लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. ~~XXXIX~~ contains Nos. 21—30]

40

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price · One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

This is translated version in a Summary of Lok Sabha debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 25—गुरुवार, 25 मार्च, 1965/4 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
567	प्रबन्ध अभिकरण प्रथा . . .	2291—94
568	संघ राज्य क्षेत्रों में शीत लहर के कारण मौतें	2294—97
569	सामान्य अंशों में पूंजी लगाना . . .	2297—99
570	दिल्ली में चिकित्सालय सम्बंधी सुविधायें	2299—01
571	प्रीमियम दर	2301—03
572	उपनगरीय बस्तियां . . .	2303—05
573	सफदरजंग अस्पताल के तकनीशन द्वारा आत्महत्या	2305—07
574	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा	2307—08
575	चिकित्सा स्नातक	2308—12
576	लागत घटाने सम्बन्धी सैल . .	2312—13

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
577	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड .	2313
578	भारत से माल का चोरी-छिपे चीन ले जाया जाना .	2314
579	खाद्य योजना	2314—15
580	राज्य विद्युत बोर्ड	2315
581	परिवार-नियोजन सप्ताह . . .	2314—16
582	शहरी क्षेत्र विकास योजना	2316
583	जीवन बीमा निगम	2316—17
584	राजनैतिक दलों को दान में प्राप्त राशि पर आय-कर .	2317—18
585	मंहगाई भत्ता सूत्र का पुनरीक्षण	2318
586	ग्रामीण अग्रिम केन्द्र	2318

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No.—24 Thursday, March 25, 1965/Chaitra 4, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	*Pages*
567.	Managing Agency System	2219—94
568.	Deaths due to Cold Wave in Union Territories	2294—97
569.	Equity Investment	2297—99
570.	Hospital Facilities in Delhi.	299—01
571.	Premium Rates	2301—03
572.	Satellite Towns	2303—05
573.	Suicide by a Safdarjung Hospital Technician	2305—07
574.	Medical Treatment of Central Government Employees	2307—08
575.	Medical Graduates	2398—12
576.	Cost Reduction Cell	2312-13

WRITTEN ANSWERS TO QUSTIONS—

Starred Questions Nos.		
577.	Bennet Coleman and Co., Ltd.	2313
578.	Smuggling of goods from India to China	2314
579.	Food Plan	2314-15
580.	State Electricity Boards	2315
581.	Family Planning Week	2315-16
582.	Urban Area Development Scheme	2316
583.	Life Insurance Corporation	2316–17
584.	Income Tax on Donation to Political Parties	2317-18
585.	Revision of D.A. Formula	2318
586.	Rural Pilot Centres	2318

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
587	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गृहनिर्माण योजना	2319
588	छिपा धन	2319
589	कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान . .	2319-20
590	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात के लिए भाड़ा . .	2320-21
591	कम्पनियों में सदाचार	2321-22
592	स्टाफ कारों की खरीद	2322
593	राष्ट्रीय योजना परिषद् . .	2322-22
594	भारतीय कर विशेषज्ञों की अमरीका यात्रा	2323
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1511	आंध्र प्रदेश को अनुदान . . .	2323
1512	परिवार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . . .	2324
1513	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी प्रमाण पत्रों का दिया जाना . . .	2324
1514	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का आयुर्वेदिक औषधालय .	2325
1515	राष्ट्रमण्डलीय चिकित्सा सम्मेलन	2325
1516	बिक्री-कर	2325-26
1517	दिल्ली में जमीनों की बिक्री	2326
1518	दिल्ली के स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य .	2327-28
1519	ग्रामीण क्षेत्र के लिये योजना बनाना . .	2328
1520	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम . . .	2328-29
1521	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भवन-निर्माण . .	2329
1522	विद्युत उपक्रम	2329
1523	पंजाब को वित्तीय सहायता . . .	2330
1524	औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम . . .	2330
1525	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्यालय का स्थानान्तरण .	2331
1526	सिंचाई योजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था .. .	2331
1527	अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन . . .	2332
1528	गांधी सागर बांध . . .	2332-33
1529	पुनर्वास वित्त प्रशासन	2333
1530	राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय . .	2333-34

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred Questions Nos.	SUBJECT	PAGES
587.	House-building Scheme for Rural Areas	2319
588.	Unaccounted Money	2319
589.	Donations to Political Parties by Companies	2319-20
590.	Freight for Imports under P.L. 480	2320-21
591.	Malpractices in Companies	2321-22
592.	Purchase of Staff Cars	2322
593.	National Planning Council	2322-23
594.	Indian Tax Experts to visit U.S.A.	2323
Unstarred Question Nos.		
1511.	Grants to Andhra Pradesh	2323
1512.	International Conference on Family	2324
1513.	Medical Certificates under C.G.H.S. Scheme	2324
1514.	C.G.H.S. Ayurvedic Dispensary	2325
1515.	Commonwealth Medical Conference	2325
1516.	Sales Tax	2325-26
1517.	Sale of Plots in Delhi	2326
1518.	Children's Health in Delhi schools	2327-28
1519.	Rural Sector Planning	2328
1520.	Public Sector Undertakings	2328-29
1521.	House Building by D.D.A.	2329
1522.	Electricity Undertakings	2329
1523.	Financial Aid to Punjab	2330
1524.	Industrial Credit and Investment Corporation	2330
1525.	Shifting of Central Water and Power Commission Office	2331
1526.	Finance of Irrigation Schemes	2331
1527.	All India Medical Conference	2332
1528.	Gandhi Sagar Dam	2332-33
1529.	Rehabilitation Finance Administration	2333
1530.	States Outlay Plans	2333-34

अतरांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1531	मध्य प्रदेश में आवास योजनायें . .	2334–35
1532	विदेशों से ऋण	2335–36
1533	दामोदर घाटी और दण्डकारण्य क्षेत्रों के लिये बृहद योजना	2236
1534	त्यौहार पर पेशगी .	2336–37
1535	झुग्गी निवासी . . .	2337
1536	नई दिल्ली नगरपालिका के उच्चतर माध्यमिक स्कूल .	2337-38
1537	गंग नहर . . .	2339
1538	योग संस्थाओं को सहायता . .	2338-39
1539	जल सम्भरण और वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता	2339
1540	अप्रयुक्त जनशक्ति	2339–40
1541	सरकारी कर्मचारियों की जीवन बीमा निगम की पालिसियां	2340
1542	सरकारी क्षेत्र में उद्योग	2340–41
1543	कच्चे टिंक्चर का विक्रय .	2341
1544	सुरक्षा कागज (सिक्यूरिटी पेपर)	2341–42
1545	गन्दी बस्तियों का सर्वेक्षण	2342
1546	गुजरात में भू-तापीय शक्ति	2342
1547	गुम्टी पन-बिजली परियोजना	2343
1548	बचत .	2343
1549	गोरखपुर में तापीय बिजलीघर	2343–44
1550	विद्युत सम्भरण प्राधिकार	2344
1551	भाप बिजली संयंत्र	2344–45
1552	जीवन बीमा निगम . .	2346
1553	दिल्ली विकास प्राधि कार	2346–47
1554	सिक्किम के लिये चिकित्सा दल	2347
1555	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाना	2347
1556	उड़ीसा में अनुसंधान योजनायें	2348
1557	उड़ीसा को सहायता में कमी	2348–49
1558	उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत योजनायें	2349–50
1559	रतिरोग क्लिनिक . .	2350
1560	पेंशन के लिये सैनिक सेवा को मान्यता देना . .	2350–51

Unstared Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1531.	Housing Schemes in Madhya Pradesh .	2334-35
1532.	Loans from Abroad	2335-36
1533.	Master Plan for Damodar Valley and Dandakaranya Regions	2336
1534.	Festival Advance	2336-37
1535.	Jhuggies Dwellers	2337
1536.	N.D.M.C. Higher Secondary Schools	2337-38
1537.	Gang Canal	2338
1538.	Aid to Yoga Institutions	2338-39
1539.	Water Supply and Environmental Sanitation	2339
1540.	Idle Manpower	2339-40
1541.	L.I.C. policies of Government employees . . .	2340
1542.	Industries in Public Sector	2340-41
1543.	Sale of Raw Tincture	2341
1544.	Security paper	2341-42
1545.	Survey of Slums	2342
1546.	Geo-thermal Energy in Gujarat	2342
1547.	Gumti Hydel Project	2343
1548.	Savings	2343
1549.	Thermal Power Plant at Gorakhpur . .	2343-44
1550.	Power Supply Authorities	2344
1551.	Steam Power Plants	2344-45
1552.	Life Insurance Corporation	2346
1553.	Delhi Development Authority	2346-47
1554.	Medical Team for Sikkim	2347
1555.	Slum Clearance in Orissa	2347
1556.	Research Schemes in Orissa	2348
1557.	Shortfall in Assistance to Orissa	2348-49
1558.	Orissa Irrigation and Power Schemes . . .	2349-50
1559.	V. D. Clinics	2350
1560.	Counting of Army service for Pension Purposes . .	2350-51

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतांरारिक

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1561	आपात जोखिम बीमा योजना	2351
1562	उड़ीसा का विकास . .	2351
1563	रिजर्व बैंक के कर्मचारी . . .	2351–52
1564	व्यास और रावी नदियों के पानी का वितरण .	2352
1565	अधिक वसूल किये गये आयकर का लौटाया जाना . .	2352
1566	राज्यों के लिये विदेशी मुद्रा . . .	2353
1567	गृह-निर्माण के लिये कर्ज देने सम्बन्धी नियम . .	2353–54
1568	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून .	2354
1569	विद्युत परियोजनाओं के लिये इस्पात .	2254
1570	इतिदाह सिंचाई योजना	2355
1571	बाघ सिंचाई परियोजना .	2355
1572	तेन्निर मुक्कम परियोजना . . .	2356
1573	दिल्ली बृहद योजना	2356
1574	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विद्युत शक्ति . .	2356–57
1575	विदेशी मुद्रा	2357
1576	सुरक्षा कागज (सिक्यूरिटी पेपर) कारखाना, होशंगाबाद .	2357–58
1577	तुगभद्रा नहर	2358
1578	मधुमेह	2358–59
1579	दिल्ली में अल्पआय वाले वर्ग को मकान बनाने के लिये ऋण .	2359
1580	नई दिल्ली में 35 मंजिली इमारत . . .	2359
1581	यमुना के पानी का दूषित होना	2360
1582	आयात की जाने वाली वस्तुओं पर विनियामक सीमा शुल्क	2360
1583	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय . .	2360
1584	जल प्रदाय निर्माण कार्य	2361
1585	आय में असमानता	2361–62
1856	वेस्टर्न कोर्ट तथा ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली . . .	2362
1587	बागान मजदूरों के लिये मकान	2362
1588	आथिक्कल में बाढ़ बैंक	2363
1589	केरल में चालियार नदी	2363
1590	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में डाक्टर	2364–67

Unstarred

Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1561.	Emergency Risks Insurance Scheme	2351
1562.	Development of Orissa	2351
1563.	Reserve Bank Employees	2351—52
1564.	Distribution of Beas and Ravi Waters	2352
1565.	Repayment of Over-charged Income-Tax	2352
1566.	Foreign Exchange to States	2353
1567.	House-building Advance Rules	2353—54
1568.	C.P.W.D., Dehra Dun	2354
1569.	Steel for Power Projects	2354
1570.	Itiadah Irrigation Scheme	2355
1571.	Bagh Irrigation Project	2355
1572.	Thannier Mukkam Project	2356
1573.	Delhi Master Plan	2356
1574.	Electric Power for Fourth Plan	2356—57
1575.	Foreign Exchange	2357
1576.	Security Paper Mill, Hoshangabad	2357—58
1577.	Tungbhadra Canal	2358
1578.	Diabetes	2358—59
1579.	Housing Loans to Low Income Group in Delhi	2359
1580.	35-Storey Building in New Delhi	2359
1581.	Jamuna Water Pollution	2360
1582.	Regulatory Customs Duty on Imported Goods	2360
1583.	C.G.H.S. Dispensaries	2360
1584.	Water Supply Construction Work	2361
1585.	Disparity in Incomes	2361—62
1586.	Western Court and Eastern Court, New Delhi	2362
1587.	Houses for Plantation Labourers	2362
1588.	Flood Bank at Ayikkal	2363
1589.	Chaliyar River, Kerala	2363
1590.	Doctors in Central Health Service	2364—67

विषय	पृष्ठ

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न) . 2367—70

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . 9ε 70—71

श्री अ० कु० सेन पर लगाये गये आरोपों के बारे में वक्तव्य . . 2372—74

सामान्य आय-व्ययक-सामान्य—चर्चा . . . . 2374—2400

श्री गजराज सिंह राव . 2374—75
श्री श्यामलाल सर्राफ 2375—76
श्रीमती सुभद्रा जोशी . 2377—78
श्री जि० मंडल 2378
श्री मौर्य . . 2378—81
श्री कमलनयन बजाज . 2381—82
श्री अचल सिंह 2382—83
श्री नि० चं० चटर्जी 2383—85
श्री रामेश्वर टांटिया . 2385—86
श्री शिवचरण गुप्त . . 2386—88
श्रीमती मिनीमाता . . 2388—89
श्रीमती कमला चौधरी . . 2389
श्री पाराशर . . . 2389—90
श्री कृष्ण मेनन . . . . 2390—92
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . . 2393—2400

लेखानुदानों की मांगें, 1965—66—पारित . . . 2400—05

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1965—पुरःस्थापित तथा पारित . 2406

उद्योग विकास तथा विनिमय संशोधन विधेयक के बारे में . . 2407

केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ; लेखानुदानों की मांगें, (केरल), 1965—66; अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (केरल), 1964—65 . 2407—08

श्री बड़े 2407

श्री केप्पन 2408

Subject	PAGES
Re : Calling Attention Notices and Motions for Adjournment (Query)	2367—70
Papers laid on the Table	2370-71
Statements re : allegations against Shri A.K. Sen	2372—74
General Budget — General Discussion	2374—2400
Shri Gajraj Singh Rao	2374-75
Shri Sham Lal Saraf	2375-76
Shrimati Subhadra Joshi	2377-78
Shri J. Mandal	2378
Shri Maurya	2378—81
Shri Kamalnayan Bajaj	2381-82
Shri Achal Singh	2382-83
Shri N. C. Chatterjee	2383—85
Shri Rameshwar Tantia	2385-86
Shri Shiv Charan Gupta	2386—88
Shrimati Minimata	2388-89
Shrimati Kamala Chaudhuri	2389
Shri Farashar	2389—90
Shri Krishna Menon	2390—92
Shri T. T. Krishnamachari	2393—2400
Demands for Grants on Account, 1965-66—*Passed*	2400—05
Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965 Introduced and passed	2406
Re : Industries Amendment Bill	2407
Kerala Budget — General Discussion Demands for Grants on Account (Kerala), 1965-66 Supplementary Demands for Grants (Kerala), 1964-65	2407-08
Shri Bade	2407
Shri Kappen	2408

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 25 मार्च, 1965 / 4 चैत्र, 1887 (शक)

Thursday, March 25, 1965 / Chaitra 4, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रबन्ध अभिकरण प्रथा

*567. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणुकाराय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री रवीन्द्र बर्मा :

श्री म० प० स्वामी :
श्री मलाइछमी :
श्री काशीनाथ दुरै :
श्री अरूणाचलम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकरण प्रथा को समाप्त करने के निर्णय को कार्यरूप देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि यह प्रथा किसी दूसरे रूप में न पनपे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत : (क) सरकार ने निगमित औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्ध अभिकरण की प्रथा को पूर्ण रूप से या किसी विशेष उद्योग या उद्योगों में समाप्त करने का निर्णय अभी नहीं किया । यह मामला, समवाय अधिनियम की धारा 324 (1) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सरकार द्वारा 4-1-1965 को नियुक्त की गई पांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा अभी जांचाधीन है । आशा है कि समिति अपनी सिफारिशें एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देगी । इसके पश्चात सरकार प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति या पुर्नियुक्ति के बारे में अपनाई जाने वाली अपनी नीति पर अन्तिम निर्णय करेगी; और

(ख) इस दिशा में पूर्वोपायों का निर्णय भी ऊपर (क) में कथित निर्णय के साथ ही किया जाएगा । फिर भी इस बीच में, कम्पनी विधि बोर्ड प्रबन्धक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों सम्बन्धी प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान करते हुए यह देखती है कि यदि प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति की स्वीकृति लोक-हित में नहीं दी गई तो कम्पनियां ऐसी व्यवस्था को न अपनाएं जोकि प्रबन्ध अभिकरण प्रथा से लगभग मिलती जुलती हो ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Federation of commerce and Industries have opposed this and the selection of Government in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : I have replied in regard to reaction everything will be placed before this committee and the committee will consider over them.

Shri Yashpal Singh : May I know the number of firms which will operate under this agency ?

Shri B. R. Bhagat : I want notice for this.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस बात को समझती है कि भारत में 25 व्यापार गृहों में 'इंटरलाकिंग मनेजमेंट' होने के कारण बड़ी गड़बड़ी होगई है और उन्होंने निगम क्षेत्र पर एकाधिकार सा कर रखा है तथा यदि हां, तो इसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : हम इन सब बातों को समझते हैं । हमने यथासंभव इनको रोकने की कोशिश की है । समिति इस सम्बन्ध में भी विचार करेगी ।

श्री हेडा : क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि कुछ उद्योगों को पूर्णतः स्थापित उद्योग समझा जाये और उनमें से प्रबन्ध अभिकरण पद्धति समाप्त कर दी जाये तथा यदि हां, तो वह उद्योग कौन कौन से हैं ?

श्री ब० रा० भगत : समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी और इसकी जांच करेगी कि किन उद्योगों में से यह प्रणाली हटा दी जाये । समिति के निर्णय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री हेडा : क्या इस संबंध में हमने कोई सिद्धांत बनाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : पूरा मामला समिति को सौंप दिया गया है। कुछ समय पहले मैंने एक वक्तव्य दिया था कि इसका निर्णय सरकार करेगी कि क्या स्थापित उद्योगों को इस सहायता की ज़रूरत है । समिति को सभी मामले सौंप दिए गए हैं ।

Shri Bade : These Managing Agents are experts. If Committee decided to turn them out then may I know whether Government propose to take them in their service ?

Shri B. R. Bhagat : Committee will consider.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of members in the Committee and how many are from public sector and how many from private sector ?

Shri B. R. Bhagat : This is a committee of five officials.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the names of the members ?

Mr. Speaker : They are Government officers.

Shri K. N. Tiwari : May I know whether reaction of the State Governments have also been solicitated in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : States are not concerned with it.

श्रीमती रेणुका राय : समिति के निर्देश पद क्या हैं क्या आरम्भ में वह कुछ समवायों पर इसे लागू रहने देंगे अथवा समस्त प्रणाली ही समाप्त कर देने की रिपोर्ट देने का उनको अधिकार होगा ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार ने उनसे इसकी जांच करने को कहा है कि क्या पूर्णतः स्थापित उद्योगों को इसकी जरूरत है परन्तु समिति जैसा चाहे वैसा प्रतिवेदन दे सकती है ।

श्री मलाइछामी : क्या ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है कि इन कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्त्ता कोई सरकारी कर्मचारी अथवा राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है ?

श्री ब० रा० भगत : समिति में केवल सरकारी कर्मचारी हैं ।

श्री मलाइछामी : मैं सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिज्ञों की बात कर रहा था । मैं जानना चाहता था कि क्या उनको प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं समझता हूं कि प्रश्न यह था कि क्या राजनीतिज्ञ तथा सरकारी कर्मचारी प्रबन्ध अभिकर्त्ता बन सकते हैं। अभिकर्त्ता कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या उद्योगपति जो प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से जनवरी में मिले थे, क्या उन्होंने उनको बताया था कि कपड़ा, सीमेंट, चीनी तथा कागज जैसे उद्योग में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली लागू है क्या उनमें अभी भी यह प्रणाली लागू रखी जायेगी तथा यदि हां, तो क्या समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे लिए यह बताना बड़ा कठिन है कि प्रधान मंत्री के साथ भेंट में एक घंटे क्या क्या बातें हुई परन्तु मैं यह नहीं समझता कि प्रबन्ध अभिकरण का प्रश्न उनको बताया गया था ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार हमें आश्वासन दे सकती है कि एक निश्चित अवधि में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में आश्वासन नहीं मांगा जा सकता है।

श्री बड़े : प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा ?

श्री दाजी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले सरकार प्रबन्ध अभिकरण के आवेदनपत्रों पर विचार कर लेगी। क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि प्रबन्ध अभिकरण की स्वीकृति देते समय इसका ध्यान रखा जायेगा कि एक ऐसी फर्म को, जो प्रबन्ध अभिकरण है, दूसरा प्रबन्ध अभिकरण बनाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न प्रबन्ध अभिकरण को जारी रखने के बारे में है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर भी विचार किया जायेगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों में शीत लहर के कारण मौतें

\+

*568. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परम शिवन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रा० गि० दुबे :

श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री हेडा :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों में शीत लहर के कारण हुई मौतों की पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1964–65 में संघ राज्य क्षेत्रों में शीत लहर के कारण कितनी मौतें हुई ; और

(ग) ऐसी घटना से व्यक्तियों का बचाव करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) निर्माण तथा आवास मंत्रालय को शीत लहर के कारण हुई मौतों के बारे में रिपोर्ट भेजना संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक नहीं है । फिर भी, उनसे इकट्ठी की गयी सूचना के अनुसार 1964–65 में, अन्डमान और निकोबार द्वीपों, गोआ, दमन और दयू, लक्कदीव, नेफा मनीपुर, पोंडचेरी, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में शीत लहर से कोई मौत नहीं हुई । कहा जाता है कि दिल्ली में शीत लहर के दौरान दिसम्बर 1964 में लगभग 16 व्यक्ति मरे हैं ।

(ग) राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों से कहा गया है कि वे पटरी पर रहने वालों के लिए रैनबसेरे बनायें और गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत नियत की गयी राशि में से इसका खर्चा करें ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह आवश्यक नहीं है कि संघ राज्य क्षेत्र इस बारे में जानकारी भेजें । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा किन कारणों से किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने जानकारी इक्ट्ठा करके सभा पटल पर रख दी है अब वह कारण क्यों जानना चाहते हैं ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : स्थानी प्रशासन अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में मरने वाले इन आदमियों को बचाने के लिए क्या पर्याप्त कदम नहीं उठाये थे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने अभी बताया है कि संघ राज्य क्षेत्र में कोई आदमी नहीं मरा है । केवल दिल्ली में ही आदमी मरे हैं । पिछली बार मैंने एक विस्तृत विवरण पेश किया था जिसमें बताया था कि दिल्ली में कई रैन बसेरे हैं परन्तु 33 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं । मैं इसके बारे में कारण भी बता चुका हूं । एक कठिनाई यह बताई गयी थी कि कुछ फीस ली जाती है । हमने फीस भी हटा दी है और अब रैन बसेरों में जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

Shri Rameshwar Tantia : Hon. Minister has just now said that last year 16 persons lost their lives due to cold in Delhi. This is very sad. May I know whether Government propose to increase grants for these night shelters and if so, the amount thereof?

Mr. Speaker: Hon. Minister has replied that people are not taking advantage of the existing night shelters.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether Government arranged to distribute blankets etc. to these persons who lost their lives due to cold wave and whether blankets were given to those persons who were found dead.

Shri Mehr Chand Khanna : Blankets were distributed to these shelterless persons on the spot. We have given Rs. one lakh for this purpose and in addition to this Rs. 10 thousand were given from P.M's Fund. But our difficulty is that persons do not take advantage of these night-shelters. We have full sympathy with them.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether we have stopped to give money to B.S.S. as we know that in the supply of blankets there was corruption ?

Shri Mehr Chand Khanna : My friend has confusion in regard to B.S.S. I think . They are doing very good work.

Shri Onkar Lal Berwa : If Hon. Minister likes I can give proof of corruption in this organisation.

Shri Mehr Chand Khanna : My views are otherwise.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ लोग पटरियों से रैन बसेरों में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस प्रकार उनको पटरी पर का अपना स्थान छोड़ना पड़ जाता है । यदि हां, तो क्या ऐसी किसी गैर-सरकारी संस्था का जपयोग किया जा रहा है जो इनको रैन बसेरों में ले जाये ?

श्री मेहर चंद खन्ना : हम उनसे कह सकते हैं कि वह आकर उनमें रहें । उनको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस बारे में कोई सुरक्षा की भावना उनमें पैदा की गयी है कि उनकी पटरी नहीं छिनेगी ?

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सच है कि भारत सेवक समाज के रैन बसेरों में लोग भरे रहते हैं और निगम के रैन बसेरे खाली पड़े रहते हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे दोनों केन्द्रों में कोई अन्तर मालूम नहीं होता है । दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं ।

Shri K. N. Tiwari : Just now Hon. Minister said that people do not take advantage of these night shelters. May I know whether government propose to take steps to popularise and advertise these night shelters.

Mr. Speaker : It has already been told that they are taking steps in this regard.

Shri Bade : May I know whether it is a fact that no body persuades these people to take advantage of these night shelters ?

Shri Mehr Chand Khanna : I have seen these night shelters and would like that Hon. Members should also see them. But it is very difficult to persuade them to go there.

Shri Hukam Chand Kachhaiya : May I know whether it is not a fact that these poor men do not take advantage of these night shelters as they are far off.

Shri Mehr Chand Khanna : I can assure the house that we have made provision for 6000 persons in these shelters and making provisions for more. The second thing is that these all are centrally located in Chandni Chowk and Town hall.

श्री हेडा : क्वा सरकार का विचार इस संबंध में प्रचार करने का है कि जनता इनका लाभ उठाये ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह एक बड़ा सुझाव है । पिछली शीत ऋतु में हमने इन रैन बसेरों का बड़ा प्रचार किया था और यह भी बताया था कि इनमें इतने लोग रह रहे सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या गत वर्ष अथवा उस से पहले वर्ष में कोई प्रयत्न किए गए थे कि इन रैन बसेरों में सुविधायें बढ़ाई जायें तथा यदि हां, तो वह सुविधायें क्या हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : उत्तर स्वीकारात्मक है । हम वहां पर कम्बलों तथा दरियों की व्यवस्था करते हैं ।

सामान्य अंशों में पूंजी लगाना

\+

*569. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में सामान्य अंशों में पूंजी लगाने

को प्रोत्साहन देने के लिये, जिनकी 24 दिसम्बर, 1964 को वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, कर सम्बन्धी प्रोत्साहन के फलस्वरूप, औद्योगिक विकास का अभाव दूर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) क्या इन रियायतों का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का भी विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत : (क) और (ख) नयी औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए 24 दिसम्बर, 1964 को घोषित की गई कर-जमा-पत्र (टैक्स क्रेडिट सर्टीफिकेट) योजना के परिणाम इतनी जल्दी नहीं आंके जा सकते । सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के ब्याज से होने वाली आय पर अनर्जित-आय-अधिभार (अन-अर्न्ड इनकम सरचार्ज) की जो छूट दी गई है और जिसकी घोषणा भी उसी तारीख को की गयी थी, उसका परिणाम आंकने का समय भी नही आया है, क्योंकि यह रियायत 1965-66 से आरंभ होने वाले आयकर-निर्धारण-वर्षों से ही प्राप्त होगा ।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, उसे देखते हुए रियायतों के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने का सवाल अभी पैदा नहीं होता ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that in spite of these tax incentives new industries have not been set up. If it is not so, may I know how many new industries have been set up.

Shri B. R. Bhagat : This relates only to a period of two months and so it cannot be assessed.

Shri Yashpal Singh : Is it also a fact that inspite of concessions offered by government, the industrialists did not accept them?

Shri B. R. Bhagat : They have welcomed these but they want more concessions.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के वार्षिक उत्सव पर प्रधान मंत्री ने जो बात कही कि अधिक कर लगाना आवश्यक है, तो क्या सरकार ऊंची आय के वर्ग के लोगों पर और अधिक कर लगाने का विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो परामर्श है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: सरकार की प्रतिक्रिया इस परामर्श की ओर क्या है कि करों में जो कमी है उसे पूंजी के रूप में लगाया जावे ?

श्री ब० रा० भगत : इसका प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । यह नया परामर्श है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि यह योजना अभी प्रारम्भ की है इसलिये अंदाजा नहीं लगाया जा सका । मैं पूछना चाहती हूं कि उन्होंने इस योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व तथा और रियायत देने से पूर्व कोई अस्थायी लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसे मामलों में कोई लक्ष्य नहीं रखे जा सकते ।

Shri Siddeshwar Prasad : Had the Minister some particular industries in mind where investment could be made when he announced there concessions? If so, what other special facilities are considered to be given for investment?

Shri B. R. Bhagat : So far as the concessions are concerned, there relate to investment in all the new industries.

Shri K. N. Tiwary : Have the industrialists submitted any memorandum regarding their difficulties in investment in new industries?

Shri B. R. Bhagat : They always send the same.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार ने बैंक की दर बढ़ाने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार किया था कि ऐसा करने से पूंजी बढ़ाने में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? यदि हां, तो इस प्रश्न पर क्या ध्यान दिया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह हमें पता था कि बैंक दर बढ़ाने से रुपया की स्थिति कुछ सख्त हो जावेगी । परन्तु कुछ और कारणों से ऐसा किया गया है ।

श्री बूटा सिंह : वित्त मंत्री ने जिन रियायतों की घोषणा की है उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राज्य सरकारों से बात करेगी कि स्थिति का पुनर्विलोकन करे जिस से उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये मैं सूचना चाहता हूं ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि सामान्य पूंजी पिछले वर्ष उस से गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ी । यदि हां, तो कितनी ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री पु० र० पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने से क्यों हतोत्साह करती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि उद्योगों में पूंजी लगाने में कोई हतोत्साह होता है तो उस के लिये उद्योग क्षेत्र उत्तरदायी है ।

Hospital Facilities In Delhi

\+
*570. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
{ **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether the extension of hospital facilities has kept pace with the increasing population of Delhi ; and

(b) if so, whether some new hospitals are proposed to be opened apart from providing more beds in the existing ones ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar): (a) Yes, Sir. A statement showing bed strength in 1947, 1950 and 1964 is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Bed strength in

1947	1950	1964
1632	1852	7353

(b) Yes, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri : The statement indicates that the total number of beds in hospitals has increased from 1852 in 1950 to 7353 in 1964. I want to know whether the increase in bed is in the same proportion as increase in population in Delhi. If not, why not ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : The increase in beds in greater proportion. In Delhi, at present, there are 2 beds for one thousand of population where as in the whole of the country it is .45 bed for thousand.

Shri Prakash Vir Shastri : There is a long queue of patients in Delhi hospitals. Recently the Minister herself stated that doctors cannot afford to spend more than 1 1/2 minutes to examine one patient. What improvement has been made in that direction ?

Dr. Sushila Nayar : Improvements have been made and the number of patients has also increased.

Patients from neighbouring states of U.P. and Punjab etc. also now come to Delhi hospitals for treatment.

Shri Prakash Vir Shastri : Is the hon. Minister satisfied with the present position ?

Mr. Speaker : The Hon. Minister has stated that they have given many facilities but patients are coming from those areas, from which they should not come.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are there Ayurvedic dispensaries in Delhi to which recognition has been given by Government to treat the Government servants also ?

Dr. Sushila Nayar : There is an Ayurvedic distenssary for Government servants and I think a second dispensary has also been opened or is likely to be opened.

श्री कपूर सिंह : क्या इस सरकार ने कभी कोई अस्पताल खोलते समय यह भी ध्यान रखा है कि उस में कार्य करने वाले योग्य कर्मचारी हों तथा वहां अच्छा सामान हो ?

डा० सुशीला नायर : अस्पताल में केवल वहां के भवन ही नहीं होते अपितु डाक्टर तथा अन्य सुविधायें भी शामिल होती हैं ।

Shri Yudhvir Singh : In view of the dearth of hospitals in Delhi, has government under consideration a scheme of setting up purely Ayurvedic and Yunani hospitals, where people may obtain medicines such as pure Makardhavaj etc.

Dr. Sushila Nayar : Government of India has no such scheme under consideration.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is the hon. minister aware of the prevalence of corruption in hospitals run by Employees State Insurance Corporation whose medicines are sold outside and the patients are put to much inconvenience?

Dr. Shushila Nayar : I can enquire into a specific case, if the hon. member supplies me the details thereof. But I am not going to accept a general statement.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I have got a letter with me.

Mr. Speaker : It may be given to the Hon. Minister.

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार ने मरीजों की हालत सुधारने के लिये क्या किया है जिन के साथ बहुत बेरुखी बरती जाती है तथा जिनके साथ बड़ा कड़ा व्यवहार होता है ?

डा० सुशीला नायर : मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि मरीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता अथवा अभद्रता बरती जाती हो । अधिकतर डाक्टर अच्छा कार्य कर रहे हैं । कहीं एक आध ऐसा मामला हो गया होगा जहां कार्यभार अधिक होने के कारण उचित ध्यान नहीं दिया गया ।

Shri R. S. Pandey : In view of the hon. minister's statement just now that people from neighbouring states flock in to get medical facilities in Delhi is there some scheme for decentralisation of health services and of setting of mobile hospitals so that medical facilities may be available to people even in villages ?

Dr. Sushila Nayar : We are making much arrangements such as opening of Primary Health centres and District hospitals but we have limited resources and so the facilities are not quite adequate.

Premium Rates

\+
*571. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri R. S. Tiwary :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 880 on the 2nd April, 1964 and state :

(a) whether the detailed investigations that were being made to reduce the premium rates of the Life Insurance Corporation's policies have been completed; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

Shri M. L. Dwivedi : It was reported in press sometimes back that the Life Insurance Corporation is going to reduce its premium rates. I want to know whether this question is under the consideration of the Government and whether the opinion of any Committee has been sought for the purpose?

Shri B. R. Bhagat : I do not know what has been reported in the press. But the Life Insurance Corporation has set up a Committee which will enquire in this matter.

Shri M. L. Dwivedi : Has the Committee set up by the Corporation, recommended something regarding the redeuction in premium rates, if so, when will a decision be taken thereon?

Shri B. R. Bhagat : That Committee will submit its report in 1966.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीय करण से पहले विभिन्न कम्पनियों के विभिन्न प्रीमियम दर थे और क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान दरों की किस प्रकार संगणना की गई थी ?

श्री ब० रा० भगत : राष्ट्रीय करण से पहले, ओरिएन्टल कम्पनी के प्रीमियम दर निम्नतम थे और क्योंकि सब कम्पनियों के विलयन से एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिये ओरिएन्टल कम्पनी जिसके दर निम्नतम थे, में से एक रुपया कम कर के जीवन बीमा निगम के दर बना दिये गये थे ।

श्री दौ० चं० शर्मा : क्योंकि प्रत्येक देश में प्रीमियम की दरें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में होती हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रीमियम दरों की संगणना करते समय राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय को ध्यान में रखा गया था, यदि हां, तो दोनों चीजों को देखते हुए क्या वह अत्याधिक नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रसंग में इन चीजों पर विचार करना सुसंगत नहीं है । वास्तव में, मृत्यु अनुपात और व्यय अनुपात और अन्य जीवनांकिक विचारों पर ध्यान दिया जाता है ।

श्री अ० प्र० जैन : जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें अन्य देशों के प्रीमियम दरों की तुलना में कम हैं या अधिक हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि भारत की दरों और अन्य देशों की दरों में अन्तर दिन बदिन बढ़ता जा रहा है ।

श्री ब० रा० भगत : दोनों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि किन्हीं दो देशों की स्थितियां भिन्न हैं । उदाहरण के तौर पर, विदेशों में एक कम्पनी भी जीवन बीमा निगम से बड़ी है, और उसके साथ साथ जीवन प्रत्याशा और अन्य स्थितियां भी भिन्न हैं। अतः, दरें तो भिन्न होंगी ही ।

श्री अ० प्र० जैन: प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है क्या दरों के अन्तर में वृद्धि हुई है कि नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसे बहुत ब्योरे में बताना पड़ेगा ।

श्री श्रीनारायण दास: इस चीज़ को देखते हुए कि भारत में मृत्यु अनुपात बहुत कम हो गया है, क्या सरकार प्रीमियम दर में संशोधन करने के लिये प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत. : समिति इस पर विचार करेगी ।

उपनगरीय बस्तियां

*572. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में उपनगरीय बस्तियां स्थापित करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी उपनगरीय बस्तियों की स्थापना से राजधानी में मकानों की समस्या पर दबाव कम हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) दिल्ली के मास्टर प्लान में दिल्ली के विकास के साथ साथ उस के इर्द गिर्द, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़-गांव, बहादुरगढ़, नरेला, लोनी तथा बल्लभगढ़, में सात उपनगरों के आयोजन तथा विकास की सिफारिश की गई है ।

(ख) आशा है कि इस प्रकार बाहर से आने वाली वह जनसंख्या किसी हद तक हट जाएगी जो अन्यथा दिल्ली में आकर यहां की आवास समस्या को अधिक ही गम्भीर बना देती ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार दिल्ली के आसपास उपनगर बसाने का विचार कर रही है, क्या हम यह समझें कि वर्तमान मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिल्ली का और अधिक विस्तार नहीं हो सकता और इसीलिये हम उपनगरों के बसाने का विचार कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : सारा विचार यह है कि कुछ ऐसे स्थान बनाये जायें और वहां ऐसे आकर्षण उत्पन्न किये जायें कि दिल्ली में जनसंख्या का दबाव कम हो जाये और इन स्थानों की ओर चला जाये । इसीलिये उपनगरों के बसाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हाल ही में दिल्ली से कुछ सरकारी कार्यालयों को पंजाब और उ० प्र० के कुछ नगरों में भेजने का प्रस्ताव था। क्या हम जान सकते हैं कि इस योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और क्या कोई कार्यालय भेजे गये हैं कि नहीं ?

डा० सुशीला नायर : निर्माण तथा आवास मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं, परन्तु मेरे विचार में कुछ कार्यालय फरीदाबाद भेजे गये हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या यह सच है कि लोगों की दिल्ली छोड़ने की अनिच्छा के कारण सरकार का 25 करोड़ रुपये की भारी लागत का निर्माण कार्य करना पड़ा है, और यदि हां, तो इन उपनगरों से राजधानी के लिए द्रुत गति के यातायात की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : उपनगरों में आवास, परिवहन सुविधायें, कार्यालय अथवा औद्योगिक भवनों आदि की व्यवस्था होगी जिससे लोगों को प्रति दिन शहर न आना पड़े, वह समय समय पर आ सकते हैं, परन्तु अन्यथा उपनगरों का जीवन यथासंभव आत्मनिर्भर होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कोई ऐसी समन्वित और ठोस योजना बनाई जा रही है जिसके अनुसार कुछ कार्यालय उपनगरों के पास स्थित किये जायेंगे जिससे लोगों को लम्बे रास्ते न तय करने पड़े ?

डा० सुशीला नायर : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है; यह योजना का एक भाग है ?

Shri Rameshwar Tantia : Will the Government provide transport facilites in these satellite towns? The reason is that transport is a big problem in Delhi also, whether hospitals, schools and parks will also be provided?

Dr. Sushila Nayar : These include in the basic necessities in every to wn. Here also arrangement will be made for them.

श्री रंगा : इस तथ्य को देखते हुए कि रोजगार में आत्मनिर्भरता के आधार पर उपनगर बसाने की कोई भी योजना हो, फिर भी हजारों लोग वहां से शहर की ओर जायेंगे, जैसा कि बम्बई और पूना के बीच हो रहा है, क्या सरकार रेल और सड़क द्वारा यातायात के पर्याप्त साधन जुटाने का विचार कर रही है जिससे मख्य शहर से जनसंख्या का बड़ा भाग उपनगरों में ले जाने के वास्तविक प्रयोजन को न्यायसंगत ठहराया जा सके।

डा० सुशीला नायर : अनुमान यह है कि 1981 तक दिल्ली और आस पास के क्षेत्रों की जन-संख्या 55 लाख हो जायेगी, इसमें से 45 लाख लोगों के लिये दिल्ली की मास्टर प्लान में व्यवस्था की जायेगी और बाकियों के लिए उपनगरों में। योजना बनाने वालों ने इन उपनगरों के लिये आवश्यक सुविधाओं पर भी विचार किया है।

Shri Sarjoo Pandey: Many persons are being displaced by the setting up of these satellite towns. What arrangement is being made for rehabilitating people thus displaced?

Dr. Sushila Nayar : When land is acquired, some persons lose there lands. State Governments are responsible for compensating them.

श्री शिव चरण गुप्त : क्या यह उपनगर राजधानी क्षेत्र के भाग होंगे और, यदि हां, तो क्या यह सच नहीं कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए गृह-मंत्री की अध्यक्षता में, दो वर्ष पहले एक समिति नियुक्त की गई थी जिसके अन्य लोगों के साथ कुछ मंत्री भी सदस्य थे और, यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशें अथवा निर्णय क्या हैं ?

डा० सुशीला नायर : यह सच है कि कुछ वर्ष हुए, गृह-मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। परन्तु मेरे विचार में उस समिति की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार शब्द "सैटेलाईट" के स्थान पर कोई और स्वीकार्य शब्द रखने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : आप भाषा विज्ञ हैं; आप ही कोई उपयुक्त नाम बताइये ।

श्री हेडा : इस चीज को देखते हुए कि लम्बे फासलों से पहले ही बहुत कठिनाई हो रही है, क्या सरकार बजाये अधिक विस्तार करने के ऊंचे भवन बनाने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : सिफारिशों में यह भी सम्मिलित हैं ।

Shri D. N. Tiwary : Has this strange fact come to the notice of Government that although the headquarters of all the public undertakings are out-side Delhi, yet each one of them has got an office in Delhi. What steps are the Government Contemplating to review this paradox ?

Dr. Sushila Nayar : I do not know anything about it. Housing Minister may be able to tell.

सफदरजंग अस्पताल के तकनीशन द्वारा आत्महत्या

\+

*573. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के एक वरिष्ठ तकनीशन की आत्महत्या द्वारा दुःखद मृत्यु की परिस्थितियों की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यावसायिक रक्त-दाताओं ने उस के विरुद्ध आरोप लगाये थे और क्या इन की जांच करने का आदेश दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या मृत व्यक्ति के परिवार को कोई सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) आरोप निराधार पाए गये ।

(घ) यह विधवा 60 रुपये मासिक पेन्शन और 2,200 रुपये उपदान (ग्रैच्युटी) पाने की अधिकारिणी है । स्वर्गीय कर्मचारी की पुत्री को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त कर दिया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या उस अधिकारी ने कोई ऐसा पत्र छोड़ा है जिस उसने अपनी इस कार्यवाही का कारण बताया हो, यदि हां, तो सरकार ने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री पू० शें० नास्कर : अपनी मृत्यकालीन घोषणा उन्होंने पुलिस को बताया कि पदोन्नति के कारण उनके सहयोगियों में द्वेष की भावना पैदा हो गई थी । इसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे रक्त-दाताओं के आरोपों का उस अधिकारी द्वारा की गई आत्महत्या से सम्बन्ध जोड़ा जाय ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जिन सहयोगियों ने उसे मृत्यु की ओर ढकेला, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कोई षड़यंत्र रच कर उसे मृत्यु की ओर ढकेला । मुझे खेद है कि उसको इतना मानसिक क्लेश पहुंचा कि उसने अपने विरुद्ध यह अत्याचार किया । उसके परिवार के सहायतार्थ हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया है ।

श्री रा० गि० दुबे : रक्त दताओं को क्या राशि दी जाती है और किस आधार पर ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास पूरी सूचना नहीं है । यह हर स्थान पर भिन्न भिन्न है ।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister told just now that no action has been taken against those people. He Committed suicide because he was not getting any promotion. Because he was getting a bad name, so he committed suicide. But has some body been held responsible for this thing which has been found in his note that because of jealousy there was a conspiracy to stop his promotion. If some body has been held responsible, whether he has been punished ?

Dr. Sushila Nayar : It was written that there was some jealousy because of his promotion; but I cannot say whether jealousy is there or not. Jealousy is there in so many places. The trouble will be if everybody, who is jealous, suicides. This thing is also here when tickets for Parliament are distributed.

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी : क्या इस आत्महत्या की जांच हो गई है, तो उस जांच का प्रतिवेदन क्या है ? क्या इससे यह पता चलता है कि उसने मानसिक असुन्तलन के कारण यह हत्या की थी ?

डा० सुशीला नायर : यही सन्देह किया जाता है कि मानसिक असन्तुलन के कारण उसने उसने यह आत्महत्या की थी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा

*574. **श्री हेडा :**
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सेवा चिकित्सा शुश्रूषा नियम, 1944 के अन्तर्गत जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली म अधिकृत चिकित्सक अपने परामर्श कक्षों में अब नहीं देखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सेन्ट्रल सर्विसेज (मैडिकल अटेण्डेन्स) नियम, 1944 के अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकृत चिकित्सकों से उनके परामर्श कक्ष में तथा अस्पताल के समय के बाद परामर्श लेने का अधिकार है। चिकित्सा अधिकारी इन रोगियों को दी गई सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क लेते हैं। तथापि, दिल्ली में दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के डाक्टरों को निजी तौर पर किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने की मनाही है। इस प्रतिबन्ध के बदले इनको उनके वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाता है बशर्ते यह राशि 150 रुपये मासिक से कम और 400 रुपये मासिक से अधिक न हो। इस प्रकार अब इन डाक्टरों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता । इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के कार्य-क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं उन्हें अस्पताल / डिस्पेंसरी के समय के बाद उपचार नहीं मिल सकता । इसलिये उचित उपचार पाने में अनुभव की गई कठिनाइयों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय ए०ओ०सी० क्लर्क एसोसिएशन तथा अखिल भारतीय डिफेंस सिविलियन क्लर्क एसोसियेशन से एक एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ । उन क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री हेडा : पुरानी कार्य प्रणाली बदलने से इन कर्मचारियों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या सरकार को उसके बारे में पता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): कोई अधिक कठिनाई नहीं होती और हम और कोई व्यवस्था करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री हेडा : बजाए इसके कि यह कर्मचारी लम्बे रास्ते तय करके औषधालय जायें, क्यों न इन्ही औषधालयों में सुविधाओं को इकट्ठा कर दिया जाये जिससे जिसके पास जो औषधालय हों, उसी से वो फायदा उठा लें ?

डा० सुशीला नायर : यह बहुत ही विस्तृत प्रश्न है । इसके अनुसार उपलब्ध सूचनाओं को, बजाय विभिन्न वर्गों के आधार पर जिनके लिये सुविधायें दी जाती हैं, क्षेत्रवार आधार पर पुनर्वटन करना पड़ेगा । इसका उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंहका : यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को उन क्षेत्रों में लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । यह कब तक लागू हो जायेगी ।

डा० सुशीला नायर : आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether this facility is not available to the teachers of Government Schools in Delhi, if so, why are they not being brought under this scheme ?

Dr. Sushila Nayar: They can get this facility from the Delhi Administration. It is not our responsibility.

चिकित्सा स्नातक

*575. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ज० ब० सिंह:
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक नियुक्ति के लिये उपलब्ध चिकित्सा स्नातकों की संख्या में कितनी कमी होगी ;

(ख) कमी को दूर करने या कम करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा स्नातकों सम्बन्धी हमारे भौतिक लक्ष्य क्या होंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) तीसरी योजना के अन्त तक 81,000 डाक्टर तैयार करने की योजना बनाई गई थी । इस अवधि तक डाक्टरों की वास्तविक संख्या लगभग 86,000 होने का अनुमान किया गया है । आशा तो यह है कि निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक डाक्टर तैयार हो जायेंगे किन्तु सामान्य रूप से डाक्टरों की कमी बनी ही रहेगी ।

(ख) नए मेडिकल कालेजों की स्थापना तथा मौजूदा कालेजों के विस्तार की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में चालू रखी जा रही है और उसे चौथी योजना में भी सम्मिलित कर लिया गया है । संकटकालीन विस्तार योजना जो तीसरी योजना अवधि के अन्तिम 3 वर्षों में चल रही है, के अधीन कतिपय मेडिकल कालेजों में प्रवेश की क्षमता भी बढ़ गई है ।

(ग) चौथी योजना में सक्रिय चिकित्सा स्नातकों सम्बन्धी भौतिक लक्ष्य 1,22,000 रखने का विचार है जिससे डाक्टर जन संख्या का अनुपात लगभग 1 : 4,600 हो जायेगा ।

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं दिया है । प्रश्न था कि तृतीय योजना का लक्ष्य क्या है और उस में कितना पूरा हो गया है ? प्रश्न है कि लक्ष्य पूरा होने में कितनी कमी रह गई है इस का बिल्कुल उत्तर नहीं दिया गया है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): आवश्यकता की परिभाषा लचीली है । कुछ देशों में 600 व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर है कई में 6,000 के लिये एक है और कई में 60,000 के लिये एक है । हमें आशा है कि हमारे यहां तृतीय योजना काल में 81,000 डाक्टर होंगे । हम इस से अधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और अब 86,000 डाक्टर हो जायेंगे । यह हमारे अन्तिम लक्ष्य से कम रह जायेंगे । चौथी योजना में विस्तार कार्य को जारी रखा जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जाहिरा तौर पर मंत्री को नियोजन की जानकारी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम एक ही भाषा में बात नहीं कर रहे हैं । मंत्री महोदया बता रही है कि विभिन्न देशों में स्थिति इस प्रकार है और किस प्रकार वह देश में चल रही कमी का उत्तर देना चाहती हैं तो वह सदन को जानबूझ कर गुमराह कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुपूरक प्रश्न करना है या नहीं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जी हां, मुझे करना है । क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों की सलाह के साथ देश के ऐसे चिकित्सालयों की गणना करायी है कि जिन में डाक्टरों की कमी है या डाक्टर है हीं नहीं ? यदि हां, तो इस गणना का आजकल क्या परिणाम है ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, हमने कोई गणना नहीं करायी । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे स्थिति को देखें और उस के बारे में उन का सुधार करने का क्या विचार है ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि डाक्टरों की कमी नहीं है ।

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य ने मेरी बात गलत समझी है । मैंने कहा है कि डाक्टरों की सामान्य रूप में कमी है परन्तु डाक्टरों को तैयार करने की योजना पूरे रूप से ही नहीं चल रही है बल्कि हम उससे अधिक डाक्टर तैयार कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के लिये देश की जन संख्या के लिये डाक्टरों की संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया है ; यदि हां, तो उस लक्ष्य की पूर्ति में कितनी कमी रह गई है ; और जिस लक्ष्य के बारे में सदन में सरकार ने कई बार कहा है ।

डा० सुशीला नायर : चौथी योजना में 4,600 लोगों के लिये एक डाक्टर का लक्ष्य है । तृतीय योजना में 5,600 व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर हो गया है जबकि लक्ष्य तो 6,000 के लिये एक डाक्टर का था । हमने लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की है ।

Shri M. L. Dwivedi : There was a proposal before Government that all new doctors after passing their examination should compulsorily work in rural areas for a few years. Have the Government considered this question; if so, when will this proposal be implemented ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, at present doctors are sent compulsorily to villages for three months. The proposal for sending them for years has been considered many times but no decision has been taken.

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के (ख) भाग के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि कितनी गैर-सरकारी निकायों द्वारा चलायी जा रही संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ताकि प्रतिवर्ष अधिक चिकित्सा स्नातक तैयार किये जा सकें । इस बारे में सरकार ने क्या किया है ?

डा० सुशीला नायर : शायद माननीय सदस्य उन कालेजों की बात कर रहे हैं जो प्रतिव्यक्ति फीस की आधार स्वैच्छिक रूप से चालू किये गये हैं । ऐसे बहुत से कालेजों ने इस वर्ष सहायता मांगी है । गत वर्षों में उन को कुछ सहायता दी गई थी परन्तु लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ने इस पर आपत्ति की । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने भी कहा है कि जब तक वे कालेज कुछ शर्तें पूरी न करें उन को सहायता न दी जाये । उन में से किसी ने भी शर्तें पूरी नहीं कीं और किसी को सहायता भी नहीं दी गई ।

Shri Yashpal Singh : Have the Government considered the question that the success of Ministry of Health is there only if the incidence of diseases very less and there would be no need for making appointments. I want to know if in some areas surgeons and Ayurvedic Vaids can make some arrangements that new diseases do not spread and consequently no new appointments are required to be made. I want to know whether Government is considering over a proposal to give them awards ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, Most of the expenditure of Health Ministry is incurred on the eradication of diseases like Malaria, small pox etc. Sir, Vaids have come to me and have said that they can treat cholera and typhoid, but when I requested them to do so, they could not help.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में भारत के चिकित्सा स्नातकों की संख्या बहुत अधिक है, यदि हां, तो सरकार इन लोगों को वापस आने के लिये राजी होने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? इन की संख्या अमरीका और ब्रिटेन में अब 5,000 से अधिक है।

डा० सुशीला नायर : हम ने पूल प्रणाली आरम्भ की है । इसके अनुसार जब कोई वापस आता है तो उचित पद पर नियुक्ति होने तक कुछ वेतन मिलता है ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो। दूसरे हम देश से निष्कासन को रोकने के बारें में भी कोशिश कर रहे हैं ।

श्री दाजी : एक हज़ार व्यक्तियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार डाक्टरों की संख्या क्या है। कितने वर्षों तक हमारा उस स्तर तक पहुंचने का प्रस्ताव है ?

डा० सुशीला नायर : कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा राष्ट्रीय स्तर है ।

श्री कपूर सिंह : आज देश में चिकित्सा स्नातकों के शीघ्र तैयार करने के कारण प्रशिक्षण के स्तर में कमी न हो इस के सम्बन्ध में क्या सावधानी बरती जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : सदन ने पहले ही भारत की चिकित्सा परिषद् को बढ़ी हुई शक्तियां दी हुई हैं। वह इस बात को ध्यान में रखती है कि स्तर कम न हों।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक ओर तो डाक्टरों की कमी है और दूसरी ओर बड़े नगरों में डाक्टरों की संख्या अधिक है और यदि उन को गांवों में सुविधायें दी जायें तो वे वहां जाने को तैयार हैं। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ?

डा० सुशीला नायर : राज्य सरकारें इस बारे में कुछ कर रही हैं और मुझे आशा है कि कुछ परिणाम होंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ?

डा० सुशीला नायर : यह केन्द्रीय सरकार का काम नहीं।

Shri Achal Singh : There is shortage of doctors. Why are not Ayurvedic & Unani Vaids and Homeopathic practitioners not encouraged ?

Dr. Sushila Nayar : That is being done and state Governments are utilising them at many places.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it in the knowledge of Government in many village hospital, compounders are working for doctors. Will the Government enquire about the number of such hospitals ?

Dr. Sushila Nayar : Out of 4300 primary health centres there are 600 centres where there are no doctors.

Shri Kishen Pattnayak : Keeping in view that poor people are not getting the medical facilities. Will the Government consider that instead of providing medical facilities, pure drinking water and fresh air should be provided ?

Mr. Speaker : Very good suggestion.

Shri Sarjoo Pandey, : There is shortage of doctors in this coutry, but medical education is very costly and its course is of four or five years. In such circumstances will the Government consider the question of shortening the period of this course and curtailing the cost of this education, so that more doctors are produced ?

Dr. Sushila Nayar : The experts have fixed the duration of study and its syllabus. As the House is aware course period has been reduced from five years to four and half. There is one year's intership period.

Shri P. L. Barupal : Will the hon. Minister state the arrangement regarding nature cure in this country and the decisions taken in this regard.

Dr. Sushila Nayar : There are nature cure centres at places. I can say that much.

लागत घटाने सम्बन्धी सैल

\+

*576. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में एक लागत घटाने सम्बन्धी सैल की स्थापना करने के बारे में वाणिज्य मंत्रालय (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) से परामर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो परामर्श करने के पश्चात् क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) किन वस्तुओं अथवा उद्योगों के बारे में यह लागत घटाने सम्बन्धी अध्ययन किया जायेगा ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) योजना आयोग या सरकार के किसी अन्य संगठन में लागत घटाने सम्बन्धी अध्ययन करने, विशेषकर निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, एक सैल की स्थापना का प्रश्न, अन्य प्रश्नों, अर्थात् लागत घटाने सम्बन्धी सैला का आकार क्या होगा, उसे क्या काम सौंपे जायेंगे, उसमें किस प्रकार के कर्मचारी होंगे तथा अन्य सम्बन्धित विषयों सहित अभी विचाराधीन है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सभी सार्वजनिक उपक्रमों में लागत घटाने सम्बन्धी लेखा प्रणाली चालू है ताकि लागत घटाने सम्बन्धी सैल आवश्यक हो ।

श्री ब० रा० भगत : यह पृथक विषय है । ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों में लागत घटाने वाली प्रणाली चालू की जाय ।

Shri M. L. Dwivedi : The cost of production in Government undertakings is more than the cost of production in private industry. May I know whether any comparative study has been made in this regard, if not, what steps are being taken to bring down cost of production in public undertakings ?

Shri B. R. Bhagat : I do not agree with this that cost of production is more in public undertakings. Efforts are being made to run these undertakings efficently and their expenditure should come down and there should be satisfactory progress.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : किनने समय से इस पर विचार किया जा रहा है और या इस पर कब विचार किया जायगा ? इस में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : एक प्रस्ताव था कि यह योजना आयोजना में हो । योजना आयोग को विचार करना है कि यह सैल इसी आयोग में हो या वित्त मंत्रालय में हो या राष्ट्रीय उत्पादन परिषद् में हो । प्रश्न यह नहीं कि यह सैल हो या न हो बल्कि इस को स्थित करने का प्रश्न है । मेरे विचार में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बैनेट कोल मैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*577. **श्री शशिरंजन :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री 21 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के कार्यों की जो जांच की जा रही थी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) जांच के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ग) सरकार ने कम्पनी के बोर्ड में जिन दो व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में मनोनीत किया है उनके नाम क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कम्पनी के लेन-देन सम्बन्धी बहुत से मामले विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा भी जांचाधीन हैं । कथित लेन-देन के मामलों के बारे में दोहरी कार्यवाही से बचने के लिए निरीक्षकों द्वारा कार्य आस्थगित कर दिया गया है । फिर भी कुछ अन्य दोषारोपों की जांच निरीक्षकों द्वारा की जा रही है ।

(ख) आशा है कि अगले कुछ महीनों में जांच-कार्य पूर्ण हो जाएगा । फिर भी इस दिशा में कार्यवाही बहुत कुछ वर्तमान तथा भूतपूर्व निदेशकों द्वारा निरीक्षकों को सहयोग देने पर निर्भर करती है ।

(ग) बम्बई विश्वविद्यालय में औद्योगिक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डा० आर० के० हजारे और लिटल एण्ड कम्पनी, बम्बई के न्यायामिकर्ता (सालिसिटर) श्री डी० पी० मेहता।

भारत से माल का चोरी-छिपे चीन ले जाया जाना

*578. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ब्लिट्ज" के गणतंत्र दिवसीय विशेषांक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चावल, चीनी, गुड़ तथा सीमेंट बड़े पैमाने पर भारत से चोरी छिपे चीन जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है, परन्तु वह रिपोर्ट कि चावल, चीनी, गुड़ तथा सीमेंट बड़े पैमाने पर भारत से चोरी छिपे चीन जा रहा है, सही नहीं है । सभी सीमा पड़ताल चौकियों को सतर्क कर दिया गया है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

खाद्य योजना

*579. श्री पैं० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
श्री कृष्ण पालसिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादन को अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर कृषि उत्पादन के लिये एक पृथक योजना तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

राज्य विद्युत् बोर्ड

*581 { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री राम हरख यादव :
डा० महादेव प्रसाद : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विद्युत सम्भरण अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत संभरण अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों को विद्युत विकास की वर्तमान गति की देख-रेख के लिये पर्याप्त समझा जाता है ; और

(ग) विद्युत-विकास के वर्तमान कार्यक्रम को चलाने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). राज्य सरकारों ने बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए राज्य बिजली बोर्ड स्थापित किये हैं । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई पुनरविलोकन नहीं किया है । कार्य में बाधा डालने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये और वैंकटरमण समिति की सिफारिशों को समाविष्ट करने के लिये अधिनियम के संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Family Planning Week

***581. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that the Family Planning Week was observed all over India in December, 1964;

(*b*) if so, the expenditure incurred by Government in this behalf ; and

(*c*) the broad outlines of the programme?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar):

(*a*) Yes, Sir.

(*b*) According to the information received so far from the State Governments a sum of Rs. 2,79,519 has been spent. As the expenditure has been incurred

by the State Governments the exact expendture figures are not available. The pattern of expenditure for observing the Family PlanningWeek at various levels, has been fixed at a maximum of (i) Rs. 100/- for Primary Health Centres, and (ii) Rs. 400/- for District Headquarters, Cities/Towns with population of one lakh and above and State Headquarters.

(c) The main objective of the Programme was to educate people in various walks of life about the necessity of Family Planning, and for motivating them to undergo sterilization operations where desirable. For this purpose, instructions were issued to have talks on Family Planning, arrange for Skits, plays, dramas etc., folk songs and dances, film shows, orientation camps of three days duration according to an approved pattern followed by sterilization operations on persons motivated during the camps and distribution of literature on Family Planning. It was suggested that atleast 150 vasectomies should be performed per district and similar number in cities and towns.

शहरी क्षेत्र विकास योजना

*582. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने शहरी विकास कार्यक्रमों के लिये आवर्तक निधि बनाने सम्बन्धी एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या योजना पर विचार करने के लिये उसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां । नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन ने एक योजना प्रारूप तैयार कर लिया है ।

(ख) योजना प्रारूप की मुख्य मुख्य बातों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया गया । देखिये संख्या एल० टी० 4060/65]**

(ग) जी हां ।

(घ) यह विषय आयोजना आयोग के विचाराधीन है ।

जीवन बीमा निगम

*583. **श्री नाथ पाई :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालिसी लेने वाले व्यक्तियों की सेवा करने के लिये जीवन बीमा निगम ने एजेंटों को प्रशिक्षण देने और उनकी एक पदाली बनाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बेनामी एजेन्सी का चलन काफी व्यापक है ;

(ग) यदि हां, तो इसका उपाय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में कितनी एजेन्सी समाप्त की गई हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जीवन बीमा निगम ने नये और पुराने दोनों प्रकार के एजेन्टों को प्रशिक्षण देने के लिए मंडल-कार्यालयों (डिवीजनल आफिसेज) में प्रशिक्षक नियुक्त किये हैं । प्रशिक्षण-सत्रों (ट्रेनिंग सेशन) का आयोजन प्रत्येक शाखा में किया जाता है । इसके अलावा , प्रशिक्षित विकास अधिकारी और शाखा कर्मचारी भी एजेण्टों को प्रशिक्षण देते हैं ।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात का पता नहीं कि बेनामी एजेंसी का चलन काफी व्यापक है या नहीं । निगम बेनामी एजेंसियों को प्रोत्साहन नहीं देता और वास्तव में उसने सभी कार्यालयों को हिदायतें दी हैं कि वे ऐसी एजेंसियों से सावधान रहें । बेनामी एजेंसियों के बारे में जो खास शिकायतें आती है उनकी जांच की जाती है और यदि किसी खास मामले में यह साबित हो जाता है कि वह एजेंसी बेनामी है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है ।

(घ) पिछले पांच वर्षों में जो एजेंसियों बन्द कर दी गयीं हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1959	1,19,994
1960 . . .	51,029
1961	41,734
1962–63 (15 महीने) . . .	65,968
1963–64 . .	59,180

राजनैतिक दलों को दान में प्राप्त राशि पर आय-कर

*584. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनतिक दलों को आय कर अधिनियम और उपहारकर अधिनियम के लागू होने से छूट प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो वे राजनैतिक दल कौन से हैं ; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय, कांग्रेस पर 1961 से सितम्बर, 1964 के दौरान कम्पनियों से दान में प्राप्त 98 लाख रुपये की उसकी आय पर कर लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं। कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के दान आय में शामिल नहीं माने ज और इसलिये किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किये जाने पर उन पर कोई कर नहीं है। इन परिस्थितियों में, जहां तक इस प्रकार के दानों की प्रमात्रा का प्रश्न है, कोई जांच की गई है।

महंगाई भत्ता सूत्र का पुनरीक्षण

*585 श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तेवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दास आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता सूत्र का पुनरीक्षण करने के लिये अब कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) राज्य सरकारों की सलाह से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण अग्रिम केन्द्र

*586. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मलाइछामी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इंडिया) का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के लिये, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिये देश के विभिन्न भागों में अनेक ग्रामीण अग्रिम केन्द्र खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

House-Building Scheme for Rural Areas

£No. 587. { Shri Madhu Limaye:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri P. R. Chakraverti:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(*a*) whether any house-building scheme for rural areas has been or is proposed to be formulated by Government; and

(*b*) if so, the broad details thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (*a*) and (*b*): A scheme entitled "Village Housing Projects Scheme" has been in operation for the benefit of rural areas since 1957. The scheme provides for loan assistance for construction/improvement of houses in 5,000 selected villages. Two thirds of the cost of house, subject to a maximum of Rs. 2,000 is advanced as Government loan, which is repayable over a period of 20 years.

छिपा धन

*588. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में फरवरी के चौथे सप्ताह में बम्बई में मारे गये नये छापों के परिणामस्वरूप लाखों रुपये के अघोषित जेवरात तथा नोट पकड़े गए ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य का सोना, हीरे तथा जेवरात पकड़े गए ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में काले धन को पकड़ने के लिये और क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु): (क) हां।

(ख) 7,25,360 रु० ।

(ग) तलाशी तथा जब्त करने के अधिकारों का समुचित मामलों में प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान

*589. { **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई अंशधारी (शेयर होल्डरस) संस्था के उस संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने की वैधता के बारे में आपत्ति उठाई है ;

(ख) क्या कम्पनी कानून बोर्ड ने राजनैतिक दलों को दान देने वाली कम्पनियों के ज्ञापन पत्र (मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन) की जांच कर ली है और क्या सभी मामलों में ऐसे दान की वैधता ठीक पाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने मामलों में यह अनियमित पाई गई है और क्या उन कम्पनियों के अंशधारियों के हित में दान में दी गई राशि को वसूल करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां। किन्तु बम्बई अंशधारी (शेयर होल्डरस) संस्था द्वारा पारित संकल्प कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान दिये जाने की वैधता के प्रश्न पर आपत्ति नहीं करता। इस संकल्प में तो केवल डा० लक्ष्मनस्वामी मुदालयार और अन्यों द्वारा बनाम जीवन बीमा निगम तथा एक और, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिनांक 11-12-1962 के निर्णय की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि ज्ञापन पत्र (मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन) धर्मार्थ-कार्यों के लिये दान देने की स्पष्ट व्यवस्था (धारा) के न होने पर, कम्पनी इस प्रकार का कोई दान नहीं दे सकती। बम्बई अंशधारी (शेयर होल्डरस) संस्था ने अन्य बातों के साथ यह विचार प्रकट किया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को भी दान देने के बारे में अधिक पुष्ट प्रमाण के रूप में लागू होगा।

(ख) पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। इस आधार पर दूसरे भाग में पूछा गया प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात के लिए भाड़ा

*590. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरुप :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोला वैंकैया :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देब :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनरीक्षित नये पी० एल० 480 करार की शर्तों के अनुसार भविष्य में अमरीका से भारत को कृषि वस्तुएं लाने वाले अमरीकी जहाजों को भाड़े का भुगतान डालरों में किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां । अक्तूबर, 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पब्लिक ला 480 में किये गये एक संशोधन के परिणामस्वरूप ऐसा किया जाएगा ।

(ख) पी० एल० 480 संबंधी मौजूदा करारों के अनुसार किये जा रहे आयात पर यह संशोधन लागू नहीं होता । यह केवल उन नये करारों पर लागू होगा जिन पर भविष्य में हस्ताक्षर किये जायेंगे । कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा देनी होगी, यह पी० एल० 480 संबंधी उस आयात के परिणाम पर निर्भर होगा जिसके लिये भविष्य में करार किये जायेंगे ।

कम्पनियों में कदाचार

*591. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य सरकार को विदित है कि कुछ कम्पनियों के प्रबन्धकों (मनेजरों) को, जिनकी परिभाषा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धार 2 की उप-धारा (24) में दी गई है, नकद वेतन नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसके बदले में उनको निशुल्क परिवहन, ठेके पर अधिकार के रूप में दलाली तथा अपने प्रियजनों को बेचे गये सामान, इमारतों के निर्माण व बीमे और सामान व मशीनरी के खरीदने पर दलाली मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) पब्लिक कम्पनियों की सहायक पब्लिक या सहायक प्राईवट कम्पनियों को प्रबन्धकों (मैनेजरों) की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति और/कुछ प्रकार के मामलों में उनके पारिश्रमिक के सम्बन्ध में वैधानिक रूप से सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है सरकार को कम्पनियों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ जिसमें माननीय सदस्य द्वारा

उल्लिखित प्रकार से नकद वेतन के स्थान पर प्रबन्धकों को कम्पनियों द्वारा कथित रूप से पारिश्रमिक देने की स्वीकृति मांगी गई हो। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, जहां पर प्रबन्धकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के बारे में सरकार से अनुमति लेना अपेक्षित नहीं होता, वहां पर इस प्रकार के अवांछित प्रचलन की सम्भावना अवश्य हो सकती है।

सरकार को इस प्रकार के अवांछनीय आचरण के प्रचलन की कोई सामान्य सूचना नहीं मिली किन्तु जब सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई विशिष्ट दृष्टान्त हो तो सरकार अवश्य ही उस की जांच पड़ताल करती है।

स्टाफ कारों की खरीद

*592. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों के लिए कितनी स्टाफ कारें खरीदी गयीं तथा इनका मूल्य कितना है ;

(ख) इनमें से कितनी कारें आयात की गयीं तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ग) देश में बनी कारों को छोड़ कर आयात की गई ये कारें किन परिस्थितियों में खरीदी गयीं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों ने 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में 38 स्टाफ कार खरीदीं जिनका कुल मूल्य 8.52 लाख रुपया था।

(ख) इनमें से 13 गाड़ियां विदेशों से मंगायी हुई और बरती हुई थीं और ये राज्य व्यापार निगम स्टेट, ट्रेडिंग कारपोरेशन से रुपये में अदायगी करके खरीदी गयीं, इसलिए इनकी खरीद पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं हुई।

(ग) ये गाड़ियां पहले से ही देश में उपलब्ध थीं। इसलिए देशी गाड़ियों के मुकाबले इन्हें तरजीह देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीय योजना परिषद्

*593. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छ० म० केदरिया :
श्री बाल्मीकी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न समस्याओं पर योजना आयोग को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय योजना परिषद बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे किस आधार पर बनाया गया है और उसमें किसी संसत्सदस्य को क्यों नहीं लिया गया; और

(ग) इस परिषद् के कृत्य तथा उत्तरदायित्व क्या होंगे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). परिषद् ने विशेषज्ञों का एक छोटा संगठन कायम किया है । यह संगठन योजन आयोग के साथ घनिष्ठ और निरन्तर सहयोग से काम करेगा । सदस्यों को विशेष क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया है । परिषद्, योजना आयोग या सदस्यों द्वारा सुझाई गई समस्याओं पर अपने सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समितियों द्वारा अध्ययन की व्यवस्था करेगा । किसी विशेष समस्या के अध्ययन के लिए समितियां अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती हैं । सदस्यों द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श के लिए परिषद् की पूरी बैठकें भी समय समय पर हुआ करेंगी ।

भारतीय कर विशेषज्ञों की अमरीका यात्रा

*594. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कर विशेषज्ञों का एक सरकारी दल इस वर्ष मार्च में अमरीक गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दौरा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो किस विशिष्ट प्रयोजन के लिए; और

(घ) क्या कर विशेषज्ञों का एक दूसरे सरकारी प्रतिनिधि मण्डल आगामी अप्रैल में वाशिंगटन भेजा जाने वाला है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जी, हां ।

(ख) दौरा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी के सहयोग से भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है ।

(ग) करों के शीघ्र निर्धारण तथा वसूली और प्रत्यक्ष करों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिये ।

(घ) नहीं ।

आंध्र प्रदेश को अनुदान

1511. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 और 1964–65 में अब तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुदान और सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

परिवार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1512. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परिवार नियोजन संस्था के संयोजक 1966 में भारत में परिवार नियोजन सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के उद्देश्य क्या हैं और वह सम्मेलन कहां तथा किस तारीख को होगा ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या सहायता देने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां। भारतीय परिवार नियोजन संघ से परिवार संगठन की अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन के तत्वावधान में 1966 में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) परिवार के बारे में यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवम्बर, 1966 में करने का विचार है और इसका मुख्य उद्देश्य वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन को, सुखमय बनाना तथा इस प्रकार परिवार नियोजन कार्य के व्यापक उद्देश्यों को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन कहां होगा इसके बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

Medical Certificates under the C.G.H. Scheme

1513. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that only Government employees can be issued medical certificates under the Central Government Health Service Scheme, while the family members of those employees are refused such certificates at times of need in spite of their getting medical treatment from these dispensaries and they are advised to get medical certificates from private practitioners; and

(*b*) if so, the reasons therefor and the steps Government propose to take in this direction ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (*a*) and (*b*). While medical certificates are issued in the case of Government servants, it is not possible to entertain requests for issue of medical certificates in respect of family members as this would take away much of the valuable time of the medical officers. Requests are received for medical certificates for purposes of appearing in competitive examinations, fitness certificate for seeking admission to educational institutions, insurance, court attendance etc. The Advisory Committee of the Central Government Health Scheme, having considered this matter, had agreed that this work will take away much of the valuable time of the medical officers. However, they are authorised to give a factual statement of the duration and nature of illness for the wards of Government servants receiving treatment at the dispensaries.

C. G. H. S. Ayurvedic Dispensary

1514. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that most of the medicines prescribed by the specialist Vaid of the only C.G.H.S. Ayurvedic Dispensary in Delhi are either not available there, or if they are available once, they are not available second time; and

(*b*) if so, the steps which Government propose to adopt to remove this inconvenience to the beneficiaries?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (*a*) and (*b*). Adequate quantities of medicines are stocked. Assessments of requirements and replacement of stocks are constantly done to check that no medicine normally runs out of stock. To obviate inconvenience to patients, the Ayurvedic Physician has been authorised to purchase medicines of the value of Rs. 25 - on any day.

राष्ट्रमण्डलीय चिकित्सा सम्मेलन

1515. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त में डिनवर्ग, स्काटलैंड में एक राष्ट्रमण्डलीय चिकित्सा सम्मेलन होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का विचार उसमें भाग लेने का है ; और

(ग) सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम तथा उद्देश्य क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां, । अक्तूबर, 1965 में ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विस्तृत कार्यक्रम की प्रतीक्षा की जा रही है । इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच अच्छे सहयोग की सम्भावना पर विचार करना है ताकि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान के क्षेत्र में इन देशों में जो साधन उपलब्ध हैं उनका पारस्परिक हित के लिये अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके ।

बिक्री-कर

1516. **श्री चुन्नीलाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के व्यापार मण्डलों ने मांग की है कि बिक्री-कर व्यवस्था में परिवर्तन करके बिक्री-कर केवल उत्पादन केन्द्रों पर थोक व्यापारियों से लिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास व्यापारी वर्ग से ऐसे अभिवेदन आते रहे हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि निर्माताओं अथवा उत्पादकों द्वारा बिक्री की पहली अवस्था पर बिक्री-कर लगाया जाय ।

(ख) चूंकि संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर सामान्यतः कराधान का राज्य-विषय है इसलिये केन्द्रीय सरकार इस सुझाव को कार्यान्वित नहीं कर सकती ।

दिल्ली में ज़मीनों की बिक्री

1517. **श्री चुनीलाल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकार ने नीलाम द्वारा विकसित और अन्य कितनी रिहायशी जमीनें बेचीं ;

(ख) नीलाम से सरकार को कुल कितनी राशि मिली ;

(ग) इसी अवधि में दिल्ली विकास प्राधिकार ने निर्धारित मूल्य पर कितनी ज़मीनें बेचीं और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(घ) निर्धारित दर के स्थान पर ज़मीनों को नीलाम द्वारा बेचने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या प्रत्येक क्षेत्र में कुछ जमीनें अनुसूचित जातियों के लोगों को बेचने के लिए सुरक्षित रखी गयीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1256।

(ख) 2,34,61,750.00 रुपये ।

(ग) (1) कम आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को पर्ची डाल कर पूर्व निर्धारित दरों पर दिये गये प्लाटों की संख्या 775

(2) वसूल किये गये प्रीमियमों की कुल राशि . . 31,66,330 रु०

(3) निम्नलिखितों के लिये पूर्व निर्धारित दरों पर नियतन के लिये आरक्षित प्लाटों की संख्या :

(1) जिनकी भूमि अर्जित की गई है . . 400

(2) ग्राम पुनर्विकास 211

(3) फौजी कार्मिक 48

(घ) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन, विकास और निपटान की योजना के अनुसार विकसित भूमि का निपटान नियमतः नीलाम द्वारा किया जाता है और सबसे ऊंची बोली पर ही प्रीमियम निर्धारित किया जाता है, ऐसा केवल वहां नहीं किया जाता, जहां भूमि निश्चित दरों पर कम आय वर्ग के 6,000 या इससे कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को दी जाये । ये नियतन दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत एक सलाहकार समिति की देख-रेख में पर्ची डाल कर किये जाते हैं ।

(ङ) जी हां, 'कम आय वर्ग' के व्यक्तियों के लिये रखे गये प्लाटों में से 15 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के व्यक्तियों को देने के लिये आरक्षित रखे गये हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य

1518. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस उपेक्षा को रोकने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था है। निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत तीन स्कूल स्वास्थ्य योजनायें चल रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 295 प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें बच्चों की कुल वंख्या 1,02,068 है। 1,94,070 बच्चों वाले शेष 470 प्राथमिक स्कूलों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाने के लिए चौथी योजना में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार करने का विचार है।

स्कूल स्वास्थ्य एक चिकित्सा एकक में 2 चिकित्सा अधिकारी, 4 स्कूल चिकित्सा निरीक्षक, सिविल असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 2 के 4 चिकित्सा अधिकारी, 4 जनस्वास्थ्य उपचारिकाएं, 1 डिस्पेन्सर, 1 प्रयोगशाला तकनीशियन, 1 दन्त स्वास्थ्य वैज्ञानिक, 1 नेत्र सहायक और अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं।

अन्य चिकित्सा एकक में एक कार्य वाहक बाल रोग चिकित्सक, कान, नाक गला सर्जन, एक नेत्र-सर्जन, 1 दन्त सर्जन, सिविल असिस्टेन्ट सर्जन ग्रेड 1 के 4 स्कूल चिकित्सा अधिकारी, 4 जन स्वास्थ्य उपचारिकाएं, प्रयोगशाला तकनीशियन, 1 नेत्र सहायक, 1 दन्त स्वास्थ्य वैज्ञानिक, 1 डिस्पेन्सर, 1 स्टोर कीपर, 1 अपर डिवीजन क्लर्क, एक ड्राइवर और 8 अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं।

इन योजनाओं के अधीन उपचारी एवं निरोधी दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं उपयुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त निगम के स्कूलों में दूध के वितरण के लिए भी कुछ कर्मचारी नियुक्त हैं।

गत तीन वर्षों में स्कूल चिकित्सा योजनाओं पर दिल्ली नगर निगम द्वारा जो खर्च किया गया वह इस प्रकार है :—

1961–62	6,000 रुपये
1962–63	1,02,000 रुपये
1963–64	1,35,000 रुपये

स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षा के लिए नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन एक स्कूल चिकित्सा योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 9,000 बच्चे आते हैं।

इस योजना के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किया गया था :—

स्कूल चिकित्सा अधिकारी	2
नेत्र विशेषज्ञ (अंश कालिक)	1
दन्त विशेषज्ञ (अंश कालिक)	1
कम्पाउण्डर	4
नर्स	1
क्लर्क-सह-टाइपिस्ट	1

स्कूल चिकित्सा योजना पर नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1961–62 . .	. 72,000 रुपये
1962–63 . . .	. 73,000 रुपये
1963–64 . . .	. 61,000 रुपये
1964–65	. 72,000 रुपये

(पूर्वानुमानित)

नई दिल्ली नगर पालिका चौथी योजना में स्कूल चिकित्सा योजना के विस्तार करने का विचार रखती है। प्राथमिक कक्षा के प्रत्येक छात्र की दो बार स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है, एक बार भर्ती होते समय और दूसरी बार स्कूल छोड़ते समय। मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों की छठी, 9 वीं और 11वीं कक्षाओं में तीन बार स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। ये परीक्षाएं छात्रों में प्रत्येक तथा आरम्भी रोगों का पता लगाने के लिए की जाएंगी। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज चिकित्सा अधिकारी करेंगे। सफदरजंग तथा इर्विन जैसे अस्पतालों की सहायता से बड़े बड़े रोगों के लिए विशेषज्ञ सेवाएं देने का भी विचार है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये योजना बनाना

1519. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजनावधि में स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजना बनाने में एकीकृत नीति अपनाने का विचार है जिसके अनुसार समाज कल्याण कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये पंचायती राज संस्थायें विशेष रूप से उत्तरदायी होंगी :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सामुदायिक विकास एवं सहकार मन्त्रालय और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसके प्रतिफलों को फरवरी 1966 में प्रकाशित होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रतिवेदन में शामिल कर दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1520. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 90 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किये जाने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अनुमान है कि प्रश्न में "लाभ" का मतलब उन 'आन्तरिक साधनों (इण्टर्नल रिसोर्सेज)' से है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मूल्यह्रास और प्रतिधारित (रिटेन्ड) लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। चालू वर्ष (1964–65) के लिए इसका अनुमान 69 करोड़ रुपया था। लेकिन ठीक-ठीक स्थिति का पता वर्ष समाप्त होने के बाद लेखे तैयार होने पर चलेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भवन निर्माण

1521. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 60,000 मकान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मकानों का आवंटन करने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं; और

(ग) अब तक लोगों को कितने मकान दे दिये गये हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) आवास एककों के निपटान के लिए नियम बनाये जा रहे हैं।

(ग) अभी तक एक भी नहीं।

विद्युत् उपक्रम

1522. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत् के उत्पादन में लगे गैर-सरकारी उपक्रमों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या के स्वरूप और विस्तार पर रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त किये जाने की सम्भावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है।

पंजाब को वित्तीय सहायता

1523. **श्री मती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार को चालू वर्ष में, अपने कर्मचारियों को सस्ता भोजन और कपड़ा देने की योजना कार्यान्वित करने के लिए, कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम

1524. **श्री प्र० चं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० रं० बरूआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को विश्व बैंक से और अधिक ऋण मांगने की अनुमति दे दी है ;

(ख) पिछले दस वर्षों के कार्याकाल में निगम ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी और किस रूप में वित्तीय सहायता दी है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने, अन्तिम रूप से बातचीत करने के लिए अपने विशेषज्ञ भारत भेजे हैं ; और

(घ) निगम ने कितना ऋण मांगा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी , हां।

(ख) इस अवधि में 102·29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी जिसमें विदेशी मुद्रा के रूप में दिये गये ऋणों की रकम 48·97 करोड़ रुपये, रुपयों में दिये गये ऋणों की रकम 25·54 करोड़ रुपये, शेयरों आदि की खरीद की जिम्मेदारी के रूप में दी गयी सहायता की कुल रकम 22.25 करोड़ रुपये और शेयरों की खरीद के रूप में दी गयी सहायता की रकम 5·63 करोड़ रुपये थी। इस सहायता से 328 कम्पनियों और 374 प्रायोजनाओं को लाभ पहुंचा है।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग 3·8 करोड़ रुपये।

केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय का स्थानान्तरण

1525. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय को शिमला से दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीयकरण तथा भीड़ भाड़ को दूर करने की दृष्टि से कार्यालय को दिल्ली से बाहर भेजने की भारत सरकार की निश्चत नीति से यह निश्चय कहां तक संगत है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के बिजली स्कन्ध के प्रशासन मंडल, पुस्तकालय और तीन निदेशालयों को, जो अभी तक शिमला में अलग रह गए थे, दिल्ली में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(ख) कार्य की निपटान में सुदक्षता को बढ़ाने और खर्च में मितव्ययता लाने के लिये।

(ग) शिमला से दिल्ली में स्थानान्तरित किये जा रहे कार्यालयों को स्थान देने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के जल स्कन्ध के कुछ निदेशालयों से जिन को फरीदाबाद में स्थानान्तरित किया जाएगा, कार्यालय स्थान खाली कराने का विचार है। इस प्रकार, दिल्ली में कार्यालयों की भीड़ और उनके केन्द्रीयकरण में कोई वृद्धि नहीं होगी।

सिंचाई योजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था

1526. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार 20 लाख रुपये से अधिक लागत वाली सिंचाई योजनाओं के लिये धन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो क्या इसको आगामी वित्तीय वर्ष 1965–66 से लागू किया जायेगा; और

(ग) बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा वित्त की व्यवस्था करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और यह योजनायें कब से सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

All India Medical Conference

1527. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri P. H. Bheel:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the various suggestions made at the All-India Medical Conference held at Kakinada in December, 1964 for the evolution of a new thinking on medical education and other related matters; and

(b) if so, the broad outlines thereof, and Government's reaction thereto ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The various suggestions made at the All-India Medical Conference held at Kakinada in December, 1964 are in the notice of the Government. These resolutions do not reveal any new thinking on medical education and other related matters.

(b) Government welcomes the offer of cooperation from the profession.

Gandhi Sagar Dam

1528. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Karni Singhji:

Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to refer to the statement ragarding shortfall in the generation of power in the Gandhi Sagar Dam laid by him on the Table of the House on the 1st December, 1964 and state the further progress made to relieve the power shortage in the Chambal service area covering Rajasthan and Madhya Pradesh ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): The progress of implementation of the various measures outlined in the statement made by the Minister of Irrigation and power in the Lok Sabha on the 1st December, 1964, in response to Calling Attention Notice ragarding the fall in the generation of power in Gandhi Sagar Dam, in so far as the same is available with this Ministry, is given below:—

(1) The erection of Ratangarh-Jaipur transmission line has been completed on 2-3-1965 and put into regular commercial operation.

(2) The diesel generating sets have already been handed over by the Punjab State Electricity Board to Rajasthan. One of these sets is being installed at Bhilwara and the other two at Jaipur. It is expected that all the three sets will be commissioned early in April, 1965. In addition one more diesel generating set has been agreed to be released by the Punjab State Electricity Board to the Atomic Energy Commission for providing construction power at the Ranapartap Sagar nuclear plant.

(3) As direct Railway Transport presented difficulties to remove 10 MW gas turbine unit from Bangalore to Rajasthan, this is not being pursued.

In addition to the above steps, the Rajasthan authorities have erected a 33 KV transmision line from Khetri to Neemkathana. This line is delivering about 1 MW of addition power from Bhakra system to Reengus-Jaipur Section.

With the implementation of the above mentioned works, the power supply position in the Chambal service area covering Rajasthan would improve.

पुनर्वास वित्त प्रशासन

1529. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1950 से 1964 तक की अवधि में पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों में से कितनी धनराशि प्रतिकर "पूल" में दी गई; और

(ख) मलधन तथा ब्याज के रूप में अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख): पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों से, जिन्होंने पुनर्वास वित्त प्रशासन (रिहैबिलिटेशन फाइनेंस एडमिन्स्ट्रेशन) से ऋण लिये थे, समायोजन के द्वारा की गयी वसूलियों की रकम में से, 5.82 करोड़ रुपये की रकम, 1963 के अन्त तक प्रतिकर "पूल" में जमा कर दी गयी है। 1964 के अन्त तक की सूचना अभी संकलित नहीं की गयी है। 5.82 करोड़ रुपये की सारी रकम, समायोजन के द्वारा वसूल की गयी मूल रकम है और यह मूल रकम ही "पूल" में जमा की जा सकती है। पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से, नवम्बर, 1964 के अन्त तक मुआवजे के समायोजन के द्वारा और नगदी के रूप में जो वसूलियां की गयीं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

मूल	6.20 करोड़ रुपया :
ब्याज	2.17 करोड़ रुपया।

राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय

1530. **श्री हेडा** :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके साथ 1965–66 की राज्य योजनायों के परिव्यय के बारे में समझौता हो गया है; और

(ख) राज्यवार कितनी धन राशि पर सहमति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) और (ख) : योजना आयोग और राज्य सरकारों के विचार–विनिमय के परिणामस्वरूप सालाना योजनायों के सहमत परिव्ययों को दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य	राज्यों की सालाना योजना परिव्यय (क) 1965-66 (करोड़ रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	88.0†
आसम	30.9
बिहार	77.6
गुजरात	56.7
जम्मू और काश्मीर	20.4
केरल	41.6
मद्रास	77.9
मध्य प्रदेश	64.6
महाराष्ट्र	120.9
मैसूर	56.1
उड़ीसा	50.7‡
पंजाब	62.1
राजस्थान	46.4
उत्तर प्रदेश	150.0
पश्चिम बंगाल	74.3

(क) सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों और चौथी योजना परियोजनायों के लिये अग्रिम कार्रवाई के परिव्यय को छोड़कर।

†अभी विचाराधीन है।

‡प्रदीप पत्तन के परिव्यय को छोड़कर।

मध्य प्रदेश में आवास योजनायें

1531. **श्री राम सहाय यादव :**
श्री उइके :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तृतीय योजना काल में विभिन्न आवास योजनाओं के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार के लिये कितनी राशि नियत की गई थी; और

(ख) अब तक मध्य प्रदेश सरकार के लिये कितनी राशि मंजूर की जा चुकी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) **और (ख):** वांछित सूचना इस प्रकार है:—

योजना का नाम	सरकारी स्रोतों से तीसरी योजना के लिये नियत की गई केन्दीय सहायता	प्रथम चार वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा निकाली गयी रकम		
		सरकारी स्रोतों से	जीवन बीमा निगम से	जोड़
	(संख्यायें लाख रुपयों में)			
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	150.00	113.54		113.54
निम्न आय वर्ग आवास योजना	216.50	98.81	45.00	143.81
ग्रामिण आवास योजना	121.00	24.49		24.49
गंदी बस्ती सफाई योजना	37.50	26.36		26.36
भूमि अर्जन और विकास योजना	केवल वर्ष से	5.24	49.80	56.12
मध्यम आय वर्ग आवास योजना			71.85	71.85
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराये की आवास योजना	वर्ष के आधार पर नियतन		65.70	65.70

विदेशों से ऋण

1532. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1965 तक भारत द्वारा विदेशों और विदेशी संस्थाओं से लिये गये ऋणों की कुल राशि देश–वार कितनी थी ; और

(ख) इसी अवधि में भारत सरकार द्वारा राज्यों को (राज्यवार) तथा पड़ौसी देशों को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें बताया गया कि 1 जनवरी, 1965 तक कुल कितनी रकम के ऋण लिये गये जिनके सम्बन्ध में करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ।

(ख) यह सूचना देने वाले दो विवरण भी सभा की मेज पर रख दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 4061/65]

दामोदर घाटी और दण्डकारण्य क्षेत्रों के लिये वृहद् योजना

1533. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दामोदर घाटी और दण्डकारण्य क्षेत्रों के विकास के लिये बृहत योजनायें बनाने के लिये एक संयुक्त आयोजन बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या यह आयोजन बोर्ड योजना आयोग अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा ।

स्वास्थ्यमंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । योजना आयोग द्वी–स्तरीय संगठन की स्थापना के लिये सहतम हो गया है, अर्थात्, (1) एक समन्वय समिति जिसमें राज्य सरकारों के सम्बन्धित मंत्री होंगे और योजना आयोग के सदस्य सभापति होंगे और (2) एक संयुक्त सलाह कार समिति जिसमें विकास आयुक्त, उद्योगों के निदेशक और सम्बन्धित राज्यों के नगर आयोजक और उस क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियां भी उसमें होंगी ।

(ख) संयुक्त सलाहकार आयोजन समिति और राज्यों के सम्बन्धीत मंत्रीयों की समन्वय समिति योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर एम० एस० थैकर के सभापतित्व में कार्य करेंगी। योजना को तैयार करने के बारे में प्रविधिक कार्य नगर और ग्राम आयोजना संगठन द्वारा किया जायेगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है ।

त्यौहार पर पेशगी

1534. **श्री हुकम चन्द कछवाय ।**
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्योहार पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेशगी की राशि बढ़ाने तथा इस राशि की वसूली की अवधि बढ़ाकर आठ या दस किस्तें करने के व्यक्तिगत तथा कर्मचारी परिषदों की मार्फत सामूहिक रूप से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमचारी) (क) जी हां, कुछ अभिवेदन (रिप्रेजेंटेशन) मिले हैं।

(ख) सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है।

झुग्गी निवासी

1535. **महाराजकुमार विजयआनन्द :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बदरपुर, सब्जी मण्डी तथा ओखला में अप्राधिकृत रूप से बनाये गये खोखों तथा झुग्गीयों की गिरा देने के बाद उन में दुकानें करने वाले को अन्य स्थान अथवा आवास स्थान दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) बदरपुर–सब्ज़ीमण्डी और हरकेश नगर (ओखला के पास) के समिप अनाधिकृत झुग्गी और खोखे वाले दूकानदारों को अभी तक नहीं उठाया गया है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका के उच्चतर माध्यमिक स्कूल

53 **श्री दाजी :**
मती विमला देवी :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के उच्चतर माध्यमिक स्कुलों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा चिकित्सा अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार भी नहीं की जाती है हालांकि प्रत्येक विद्यार्थी से प्रति मास चिकित्सा शुल्क ली जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांच अथवा छः स्कूलों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा करने के लिये केवल एक ही चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है;

(ग) यदि हां तो प्रत्येक विद्यार्थी से प्रतिमास चिकित्सा शुल्क क्यों लिया जाता है, और

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने वर्तमान स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) नई दिल्ली नगरपालिका के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा उनके स्कूल के जीवन में विभिन्न समयों पर और विशेषतया उनके स्कूल में प्रवेश करते समय तथा स्कूल छोड़ते समय पूरी तरह से की जाती है। प्राथमिक स्कूल में पहली और पांचवी कक्षाओं में उनकी पूरी तरह से परीक्षा करने के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक काल में छठी, आठवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में भी उनकी पूरी पूरी स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। हर कक्षा में जो नये नये लड़के आते हैं उनकी प्रतिवर्ष ही स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। जो छात्र एन० सी० सी० में जाना चाहते हैं और खिलाड़ी हैं उनकी नियमित ही परीक्षा

की जाती है चाहें उनकी परीक्षा की बारी हो चाहें न हों। अध्यापक जिन बच्चों को बीमार समझते हैं उन्हें भी पूर्ण जांच के लिये स्कूल मेडिकल अफसर के पास भेजा जाता है। स्कूल चिकित्सा सेवा के लिये प्रत्येक छात्र से 25 पैसे मासिक चिकित्सा शुल्क लिया जाता है।

(ख) एक स्कूल चिकित्सा अधिकारी के अधीन लगभग 5,000 छात्र होते हैं इसमें स्कूलो की संख्या का हिसाब नहीं रखा जाता। सुविधा के लिये परस्पर समीपस्थ स्कूलों का यह कार्यभार एक चिकित्सा अधीकारी को दिया जाता है।

(ग) इस योजना के अधीन चिकित्सा सेवाओं के लिये 25 पैसे का जो चिकित्सा शुल्क लिया जाता है वह बहुत कम है। इसमें रोगों का पता लगाना, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार और आंख तथा दान्तों के रोगों में विशेषज्ञ सेवायें सभी कुछ आ जाता है बड़े रोगों में अध्यापकों के द्वारा बच्चों के माता पिता को कहा जाता है कि वे उनका इलाज अस्पताल में करवायें। बच्चों को हैजा, डिप्थेरिया और चेचक जैसे रोगों के प्रति भी बच्चों का निरापदीकरण किया जाता है।

(घ) चौथी योजना में एक ऐसी स्कीम सम्मिलित की गई कि जिसके अन्तर्गत सारा नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र आजायें। इसमें वे स्कूल भी सम्मिलित हैं जो नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा नहीं चलाई जाती है। सफदरजंग और विलिंगडन जैसे अस्पतालों में बच्चों को बड़े रोगों की स्थिति में विशेषज्ञ सेवायें दी जायें गी।

गंग नहर

1537. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंग नहर को मिलने वाले थोड़े पानी की मात्रा के बढ़ाने के लिये सतलज नदी का पानी पुनः प्राप्त करने में राजस्थान का अंश निर्धारित करने का मामला किस अवस्था में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

योग संस्थाओं को सहायता

1538. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग अनुसंधान मंत्रणा समिति ने योग की चिकित्सार्थ उपयोगिता पर अनुसंधान करने के लिये अपने द्वारा चुनी गई तीन संस्थाओं (2 बम्बई में और एक दिल्ली में) को अनुदान देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था किन रोगों के लिये चुनी गई है ; और

(ग) अनुदान देने के लिये अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). योग अनुसंधान सलाहकार समिति ने निम्नलिखित तीन संस्थाओं में पुनः शारीरिक मूल के चुने हुए रोगों में योग चिकित्सा कहां तक उपयोगी सिद्ध होती है, इसका मूल्यांकन करने की सिफारिश की है।

1. आई० सी० वाई स्वास्थ्य केन्द्र, केवल्यधाम, बम्बई ।

2. योग संस्थान सांताक्रज, बम्बई ।

3. योग प्रसार समिति मन्दिर लेन, नई दिल्ली ।

इन में से किसी भी संस्था को योग चिकित्सा से किसी विशिष्ट रोग का अनुसंधान करने के लिए नहीं कहा गया है ।

अनुसंधान कार्य करने के लिये इन संस्थाओं की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा है। इन उपर्युक्त संस्थाओं को अनुदान देने का प्रश्न इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है ।

जल सम्भरण और वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता

1539. **श्री हेडा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार, पंजाब सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के बीच जल-सम्भरण और वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता के लिये हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किन्हीं गांवों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामवासियों को क्या लाभ हुए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4062/65 ।]**

(ख) जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने यह काम अपने हाथ में ले लिया है ।

(ग) नलों द्वारा जल वितरण के कार्य अभी अभी हाथ में ले लिये गये हैं और इनसे होने वाले लाभ इनके पूर्ण होने पर ही मालूम होंगे ।

अप्रयुक्त जनशक्ति

1540. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अप्रयुक्त जनशक्ति को उपयोग में लाने के लिये निर्माण और सुरक्षण के प्रयोजनार्थ एक असैनिक निर्माण कोर बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). इस प्रकार की योजना के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं और उनका योजना आयोग में अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं।

सरकारी कर्मचारियों की जीवन बीमा निगम की पालिसियां

1541. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में से, उनके प्राधिकार देने पर, जीवन बीमा निगम की पालिसियों की किस्तें काटने का प्रबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सरकारी विभाग इस कार्य-प्रणाली को अपनाने के लिये सहमत नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं और ऐसा न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देते समय उनकी बीमा पालिसियों की मासिक किस्त काटने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं। यह सुविधा 17 दिसम्बर, 1960 से बन्द कर दी गयी थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

(घ) और (ङ). जी, हां। प्रशासनिक और लेखा-विधि सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

सरकारी क्षेत्र में उद्योग

1542. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को चौथी योजना काल में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के बारे में किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). राज्य सरकारों से आजकल उनकी चौथी पंचवर्षीय योजना के जो प्रारम्भिक ज्ञापन मिल रहे हैं, उनमें सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में प्रस्ताव है। इन पर सम्बन्धित मंत्रालयों से विचार विमर्श कर विचार किया जायेगा। इनमें जो प्रस्ताव है उनपर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

कच्चे टिंक्चर का विक्रय

1543. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजधानी में कच्चे टिंक्चर विक्रय में वृद्धि हुई है ; और

(ख) इस को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीलानायर) :(क) कच्चे टिंक्चर की बिक्री में वृद्धि के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) अल्कोहोलिक टिंक्चर की विक्री को रोकने के उद्देश्य से ताकि मद्य निषेध कानूनों का उल्लंघन न हो सके, मादक प्रासवीय पदार्थ नियम, 1952 में संशोधन कर लिया गया है तथा सभी प्रासवीय पदार्थ जिनमें 20 प्रतिशत अल्कोहल हो अब लाइसेंस, परमिट अथवा पास आदि के आधार पर ही बेचे, आयात, निर्यात किये या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। ऐसे प्रासवीय पदार्थ जो अपेय हैं तथा मादक प्रासवीय पदार्थ नियमों में जिन्हें छूट दे दी गई है उन्हें छोड़कर शेष सभी ऐसे पदार्थ अब रजिस्ट्रर्ड चिकित्सक के नुस्खे के आधार पर ही रखे जा सकते हैं।

सुरक्षा कागज (सिक्यूरिटी पेपर)

1544. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुरक्षा कागज (सिक्यूरिटी पेपर) की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) इसमें से कितनी आवश्यकता देशी साधनों से पूरी हो रही है और कितना कागज आयात हो रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) : और (ख). देश की, सिक्यूरीटी पेपर की वार्षिक आवश्यकता के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस,

नासिक रोड, के लिए ऐसे कागज की औसत वार्षिक आवश्यकता 8409 मेट्रिक टन है जिसमें से 1993 मैट्रिक टन कागज बाहर से मंगाया जाता है और 6413 मेट्रिक टन देश में ही प्राप्त हो जाता है।

गन्दी बस्तियों का सर्वेक्षण

1545. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और पटना जैसे बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नगरों की गन्दी बस्तियों का सुधार करने के लिये कोई रूपरेखा तैयार कर ली गई है ; और

(ग) इन नगरों की गन्दी बस्तियों को दूर करने में कितना समय लगने तथा कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, मद्रास और बिहार राज्य सरकारों से तथा दिल्ली प्रशासन से सूचना मांगी गयी है और जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगी, उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गुजरात में भू-तापीय शक्ति

1546. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में खम्भात लूनेज, कलोल और कुछ अन्य स्थानों पर भू-तापीय शक्ति पायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके आर्थिक महत्व को सुनिश्चित कर लिया गया है ;

(ग) क्या इस शक्ति का उपयोग विद्युत्-शक्ति का उत्पादन करने में अपेक्षित पानी को गरम करने में तथा विभिन्न उद्योगों द्वारा अपेक्षित वाष्प-प्रक्रिया के लिये किया जा सकता है ; और

(घ) क्या वह समुद्र के पानी का खारा-पन निकालने के लिए शक्ति के सबसे सस्ते स्त्रोत के अधीन आ जाती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (घ). गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने सूचना दी है कि गुजरात के कुछ भागों में पिट्रोल के कुवों की खोज करने के लिये छेदन करते समय भू-ताप उर्जा मिली है। इस अरक्षित भू-ताप उर्जा को कम लागत पर ताप बिजली केन्द्रों में बायलर-पानी को गर्म करने के लिये अथवा औद्योगिक संयंत्रों को विधायित वाष्प की सप्लाई करने के लिये अथवा समुद्र के पानी का नमकीला-पन दूर करने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है या नहीं, इस बात का अभी पता लगाना है। राज्य सरकार के अधिकारी इस बारे में विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

गुम्टी पन-बिजली परियोजना

1547. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में गुम्टी पन-बिजली परियोजना के लिये एक लाख रुपया मंजूर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तव में इस राशि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :(क) से (ग). कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1964 में गुम्टी पर बिजली स्कीम के लिये 1964–65 वर्ष के लिये एक लाख रुपये की राशि की सिफारिश की थी। क्योंकि भारत सरकार ने वित्तीय दृष्टिकोण से उपरोक्त स्कीम को अभी तक पारित नहीं किया है, इसलिये यह संभव नहीं था कि 1964–65 के लिये इस स्कीम के लिये किसी फंड का प्रबन्ध किया जाता ।

बचत

1548. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1964 से फरवरी, 1965 तक इन साधनों में से प्रत्येक साधन से महीनेवार लगभग कितनी-कितनी शुद्ध आय हुई :

(एक) राष्ट्रीय अल्प बचत संस्थायें ;

(दो) डाकबचत लेखे ;

(तीन) अनुसूचित बैंक ;

(चार) जीवन बीमा निगम ;

(पांच) यूनिट ट्रस्ट ;

(छः) सहकारी बैंक तथा समितियां ; और

(सात) अन्य संस्थायें ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 4063/65]**

गोरखपुर में तापीय बिजलीघर

1549. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोरखपुर में एक तापीय बिजलीघर स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने चतुर्थ योजना के अन्तर्गत गोरखपुर में एक 60 मैंगावाट तापीय बिजली केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमति लागत 674.56 लाख रुपये है और यह परियोजना 1968–69 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी, ऐसी सम्भावना है ।

विद्युत् सम्भरण प्राधिकार

1550 { **श्री मुहम्मद इलियास :** / **श्री वारियर :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक विद्युत् सम्भरण प्राधिकार का अपने वाष्प विद्युत् घर, जल-विद्युत् घर पारेषण तथा वितरण पद्धति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार का संगठन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके कामकाज में एकरूपता ही नहीं अपितु मितव्ययता भी सुनिश्चित करने के लिये क्या सभी विद्युत् सम्भरण प्राधिकारों के लिये एक जैसा संगठन बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). विविध राज्यों का संगठनात्मक ढांचा काम की मात्रा और महत्ता के हिसाब से अधीक्षक अभियन्ताओं, कार्यकारी अभियन्ताओं, उप-मण्डल अधिकारियों और अनुभाग अधिकारियों की पर्याप्त संख्या पर आधारित होता है । जब कि संगठनात्मक ढांचा सभी हालतों में मोटे रूप से एक जैसा ही होता है फिर भी वाष्प और पन-बिजली केन्द्रों के निर्माण, चालन तथा रखरखाव के लिये और पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के लिये अपेक्षित स्टाफ के ब्यौरो के बारे में प्रत्येक राज्य में कुछ विभिन्नता अनिवार्य है । कुछ हद तक ब्यौरे राज्यों 2 में भी विभिन्न होते हैं ।

(ग) उत्तर नहीं है ।

भाप बिजली संयंत्र

1551. { **श्री मुहम्मद इलियास :** / **श्री वारियर :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में स्थापित किये जा रहे भाप बिजली संयंत्रों की वर्तमान लागत प्रति किलो-वाट की दर से अनुवर्ती शीर्षकों के अन्तर्गत कितनी है––

(1) संयंत्र और मशीनें,

(2) सीमा शुल्क, बीमा, भाड़ा और परिवहन व्यय,

(3) निर्माण व्यय,

(4) बस्ती, सड़कें और अन्य सहायक सेवायें,

(5) इंजीनियरी, आयोजन आदि, और

(6) ऊपरी खर्च आदि ।

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के उप-सभापति ने हाल में बताया था कि भाप बिजली संयंत्र की प्रति किलोवाट लागत काफी कम कर दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित शीर्षकों में से किस शीर्षक के अन्तर्गत लागत कम की जा सकती है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भाप बिजली संयंत्र के रखरखाव के लिये अपेक्षित पुर्जों में से अधिकांश पुर्जे आयात किये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में इसका निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत में अब लगाये जा रहे वाष्प बिजली संयंत्रों की वर्तमान प्रति किलोवाट लागत निम्नलिखित है :—

(1) 50 मेगावाट के निकट बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के लिये लगभग 560 रुपये और 150 मैगावाट के निकट बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के लिये लगभग 500 रुपये ।

(2) आयात किये गए उपस्कर के विदेशी मुद्रा भाग का $36\frac{1}{2}$ प्रतिशत (हाल की 10 प्रतिशत वृद्धि इस में सम्मिलित है) ।

(3) प्रति किलोवाट लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक ।

(4) प्रति किलोवाट लगभग 200 रुपये ।

(5) प्रति किलोवाट लगभग 20 रुपये ।

(6) प्रति किलोवाट लगभग 75 रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वाष्प बिजली संयंत्रों की प्रति किलोवाट लागत यूनिटों के परिणाम के हिसाब से घटती बढ़ती है । प्रायः जितना बड़ा यूनिट होगा, प्रति किलोवाट लागत उतनी कम होगी । यदि अन्य स्थितियां समान हों, तो निर्धारित क्षमता के दो यूनिटों के प्रतिष्ठान की प्रति किलोवाट लागत उसी ही क्षमता के अकेले बड़े यूनिट के प्रतिष्ठान की लागत से अधिक होगी । यही हाल संयंत्र और मशीनरी की लागत, प्रतिष्ठान, इंजीनियरी और ऊपरी खर्चों का है । सीमा शुल्क और बीमा खर्च प्रचलित दरों के अनुकूल होते हैं । बड़े परिमाण के यूनिटों के संयंत्रों का प्रति किलोवाट समग्र वजन भी छोटे यूनिटों के संयंत्रों के वजन से कम होता है । इस हद तक उसका जहाजी और परिवहन भाड़ा भी कम हो जायेगा ।

बड़े यूनिटों वाले केन्द्र को चलाने की खातिर अधिष्ठापित क्षमता के प्रति किलोवाट के लिये उसी परिमाण के छोटे यूनिटों वाले केन्द्र की अपेक्षतया कम स्टाफ की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप बस्तियां छोटी होंगी और सुविधाएं कम देनी पड़ेंगी।

ईजीनियरी पर भी भविष्य में कम लागत लगेगी क्योंकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में ताप केन्द्रों के डिजाइन के लिये एक विशिष्ट इंजीनियरी संस्था स्थापित कर दी गई है। इस से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) जल्दी से घिसने वाले कुछ पुर्जों को भारत में निर्माण स्थलों के कारखानों में बनाने के लिये उनके रेखा-चित्रों और ब्यौरों को प्राप्त करने का विचार है। जिन मशीनों को देश में बनाया जा रह है, इस प्रकार की मशीनों के लिये फालतू पुर्जे उन कारखानों में बनाये जा सकते हैं। जटिल पुर्जों के आयात को तो जारी रखना ही पड़ेगा।

जीवन बीमा निगम

1552. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कार्य और उसके परिणामों में स्वस्थ स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निगम के कई निगम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार डिवीजनल स्तर पर बीमाधारी व्यक्तियों की परिषदें बनाई जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकार

1553. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकार से उसके कार्यकरण के विरुद्ध की गई आलोचना पर एक प्रतिवेदन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके मामले में क्या फैसला किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). 1 जनवरी, 1965 को हुई दिल्ली नगर निगम की बैठक में प्राधिकार के कर्मचारियों पर लगाये गये भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के कुछ आरोपों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकार से एक रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष द्वारा दिल्ली नगर निगम के सम्बन्धित पार्षद् से एक प्रश्न किये जाने पर वह कोई विशेष उदाहरण प्रस्तुत न कर सके इसलिये सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठा। दिल्ली विकास प्राधिकार को यह सलाह जरूर दी गई है कि वे अपने कार्य संचालन को निर्दोष बनायें तथा यथासम्भव उसमें सुधार करें।

सिक्किम के लिये चिकित्सक दल

1554. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का एक चिकित्सक दल हाल ही में सिक्किम गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसे क्या सफलता मिली ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सिक्किम के आन्तरिक प्रदेशों में यौन रोग तथा आन्त्र कृमियों के विरुद्ध एक नैदानिक तथा चिकित्सीय अभियान चलाने के सम्बन्ध में 11 फरवरी, 1965 को सात सदस्यों का एक चिकित्सा दल कलकत्ता से सिक्किम के लिये रवाना हुआ।

(ख) क्योंकि इस दल ने हाल ही में अपना काम प्रारम्भ किया है अतः इतनी जल्दी इसकी निष्पत्तियों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाना

1555. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा को गंदी बस्तियों के हटाने के लिये वास्तव में कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) 1965–66 में इस कार्य के लिये उड़ीसा को कितना अनुदान देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) 5 लाख रुपये––375 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा और 1.25 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं।

(ख) उतना ही जितना कि 1964–65 में।

उड़ीसा में अनुसन्धान योजनायें

1556. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 1965–66 के लिये उड़ीसा में किन्हीं अनुसन्धान योजनाओं की मंजूरी दी गई है अथवा दिये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हीराकुड गवेषणा केन्द्र और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड, आधारिक तथा मूलभूत गवेषणा स्कीम के अन्तर्गत उन को क्रमशः मार्च, 1962 और नवम्बर, 1964 में सौंपी गई समस्याओं पर 1965–66 के दौरान काम जारी रखेंगे । इस समय किसी भी नई स्कीम पर स्वीकृत्यार्थ विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) उनको सौंपी गई समस्याएं निम्नलिखित हैं :—

(1) हीरा कुड गवेषणा केन्द्र

1. सरिताओं और जलाशयों में तल-काटन अध्ययन,
2. मसाला तथा केक्रीट मिश्रित अभिकल्पों के सिद्धान्त—विशिष्ट अध्ययन ।

(2) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड

1. बिजली प्रणालियों पर तडित् के आपतन और कान्तिमान का अध्ययन,
2. प्रणालियों में क्षतियों का अध्ययन ।

उड़ीसा को सहायता में कमी

1557. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा को 1964–65 में दी गई सहायता में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वचन दी गई राशि देकर, कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य को 1964–65 के वर्ष के लिए जो सहायता देने का वचन दिया गया था, वह विभिन्न योजनाओं

पर किये गये खर्च की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा दी जा रही है। सहायता में यदि कोई कमी हुई, तो उसका अनुमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत् योजनायें

1558. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा सरकार की कितनी सिंचाई और विद्युत् योजनायें मंजूरी के लिये केन्द्र सरकार के पास पड़ी हैं तथा इन योजनाओं पर कितना व्यय होगा और इनमें कितना लाभ होगा; और

(ख) पिछले एक वर्ष में इस प्रकार की कितनी योजनायें अस्वीकृत की गईं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ऐसी स्कीमों की संख्या 9 है। इनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमित लागत (करोड़ रु० में) (जैसाकि सरकार ने सूचित किया है)	लाभ
1.	आनन्दपुर बराज परियोजना	18.93	1,95,000 एकड़ की सिंचाई विस्तार
2.	उच्च स्तरीय नहर क्षेत्र 2 का पुनर्रूपण	0.398 (सिंचाई कार्य) 0.8 (बाढ़ नियंत्रण कार्य)	कार्यों के अधीन 12,800 एकड़ की सिंचाई और वर्तमान उच्च स्तरीय नहर क्षेत्र 3 और जयपुर नहर के अधीन 43,200 एकड़ रबी की सिंचाई।
3.	बलिमेला पन बिजली स्कीम (बांध को छोड़ कर)	21.82	360 मैगावाट
4.	उड़ीसा में पारेषण और वितरण स्कीम	5.18	बिजली के वितरण के लिये पारेषण तथा वितरण सुविधाओं का प्रबन्ध
5.	ग्राम विद्युत् स्कीमें	2.24	340 ग्रामों का विद्युतन
6.	हीराकुड बांध परियोजना चरण 3	18.00	157.5 मैगावाट

क्रम नं०	स्कीम का नाम	अनुचित सामाद (करोड़ रु० में) (जैसाकि सरकार ने सूचित किया है)	लाभ
7.	टिक्करपारा बांध परियोजना	210.51	2,000 मैगावाट
8.	मनीभद्रा (गनिया) बराज परियोजना	50.89	200 मैगावाट (बिजली) और 4,50,000 एकड़ (सिंचाई)
9.	हीराकुड बिजली उपभोग स्कीमें	2.49	हीराकुड बिजली के वितरण के लिये पारेषण तथा वितरण क प्रबन्ध ।

(ख) कोई नहीं ।

रतिरोग क्लिनिक

1559 **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को **1964–65** में देहाती क्षेत्रों में रतिरोग क्लिनिक खोलने तथा सामूहिक नियंत्रण कार्यक्रमों के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में देहाती क्षेत्रों में रतिरोग क्लिनिक खोलने अथवा सामूहिक रतिरोग नियंत्रण कार्यक्रम के विकास के लिये उड़ीसा सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है । अतः इस कार्य के लिए केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशन के लिये सैनिक सेवा को मान्यता देना

1560. श्री जेधे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने विमुक्ति अवकाश (रिलीज़ लीव) के क्रम में और बिना किसी सेवा में भंग के अस्थायी आधार पर असैनिक विभागों में प्रवेश किया है, उनके मामलों में पेंशन के लिये पूरी सैनिक सेवा को मान्यता दी जायेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार पेंशन के लिये सनिक सेवा की कुछ अवधि को मान्यता देने का लाभ देने के लिये सहमत हो गई है और यदि हां, तो वह अवधि क्या है ;

(घ) क्या पेंशन के लिये पूरी सैनिक सेवा को मान्यता देने का लाभ देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब तक असैनिक विभाग में अस्थायी सेवा के बाद नौकरी स्थायी नहीं हो जाती तब तक उस सेव ा को पेंशन के लिये मान्यता नहीं दी जाती ।

(ग) सैनिक सेवा के बाद असैनिक विभाग में नौकरी स्थायी होने पर पूरी सैनिक सेवा को पेंशन के लिये मान्यता दी जाती है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

आपात जोखिम बीमा योजना

1561. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 दिसम्बर, 1962 को अधिसूचित आपात जोखिम (कारखाना) बीमा योजना के खंड 7 के अन्तर्गत पुनर्वास वित्त निगम एकक (आपात जोखिम बीमा शाखा) को कोई निर्देश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नह ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

उड़ीसा का विकास

1562. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य के विकास के लिये पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में (अलग-अलग) कितनी धनराशि नियत की ; और

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार को उपरोक्त अवधि में वस्तुत: कितनी धनराशि दी ग ई तथा कितनी धन राशि उसने व्यय की ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर प्र स्तुत कर दी जायेगी ।

रिजर्व बैंक के कर्मचारी

1563. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 फरवरी, 1965 को रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने बैंक की श्रम-विरोधी नीति के विरोध में डेढ़ घंटे की हड़ताल की और मांग की थी कि काम करने की दशाएं अच्छी हों ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 24 फरवरी की सांकेतिक हड़ताल गैर-कानूनी थी । अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसे रिजर्व बैंक ने एक विस्तृत उत्तर में स्पष्ट कर दिया है, जो संघ के पास पहले ही भेजा जा चुका है ।

ब्यास और रावी नदियों के पानी का वितरण

1564. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यास तथा रावी नदियों के फालतू पानी के वितरण के बारे में पंजाब और राजस्थान में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) रावी और ब्यास के पानी को 1965–66 वर्ष के दौरान बांटने के लिये 15 फरवरी, 1965 को केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री द्वारा आयोजित एक बैठक में पजाब और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ था । इस बैठक में यह मान लिला गया था कि 1965–66 वर्ष में रावी और ब्यास नदियों के फालतू पानी का 30 प्रतिशत भाग राजस्थान को उपलब्ध किया जाएगा । तत्पश्चात् के वर्षों में पानी के वितरण के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा । इस समझौते को पक्का करने के लिए राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है ।

अधिक वसूल किये गये आयकर का लौटाया जाना

1565. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा 1963-64 में अधिक वसूल किये गये आयकर की एक बड़ी राशि का भुगतान करना बाकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Foreign Exchange to States

1566. Shri S. N. Chaturvedi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of foreign exchange made available to each State during the First, Second and Third Five Year Plan periods and the amount of foreign exchange demanded by them during the same period ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : Under the present system of foreign exchange budgeting no State-wise allocations are fixed. The proposals for foreign exchange sanctions received from State Governments for various purposes and projects are considered on merits, in accordance with the policy as determined from time to time in the light of the foreign exchange situation.

House-Building Advance Rules

1567. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Gauri Shanker Kakkar:
Shri U. M. Trivedi:
Shri Bade:
Shri Mate:
Shri Sinhasan Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Madhu Limaye:
Shri Sheo Narain:
Shri D. D. Mantri:
Shri D. S. Patil:
Shri P. H. Bheel:
Shri Sham Lal Saraf:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Y. D. Singh:
Shri Lahri Singh:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the house-building advance is given by Government to such Central Government employees who are displaced persons from Pakistan;

(b) whether it is a fact that aforesaid employees stationed in the various States are also required to pay the stamp duty for registration as per Central rules;

(c) whether it is also a fact that the Central Government employees working in Madhya Pradesh have been asked by the State Government to pay the stamp duty according to State rules; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) House building advances are given to displaced persons, like all other Central Government employees provided they fulfil the various conditions of eligibility mentioned in rules 1 and 2 of the rules to regulate the grant of advances to Central Government servants for the construction of hooses

(b) to (d) Under the Indian Stamp Act, stamp duty is payable on mortgage deeds executed by Central Government servants under the rules. However, at the instance of the Central Government, most of the State Governments, including the Government of Madhya Pradesh, have agreed to exempt Central Government servants from payment of stamp duty on these documents.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1568. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वर्क्स डिवीजन, देहरादून, के उन कर्मचारियों को, जो 1961 में सेवा-निवृत्त हो गये थे, सामान्य भविष्य निधि में जमा उनकी राशियां अभी तक भी नहीं लौटायी गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के वार्षिक विवरण नियमित रूप से भेजने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

विद्युत् परियोजना के लिये इस्पात

1569. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री वाडीवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उन कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है जो कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को बिजली परियोजनाओं का निर्माण करने के लिये इस्पात प्राप्त करने में हो रही है ;

(ख) यदि हां, क्या इस मामले के बारे में सम्बन्धित मंत्रालय से बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 7313 मी० टनों के लिये व्यवहृत प्राथमिकता प्राप्त कर ली गई है । इस के अतिरिक्त मार्च, 1965 के अन्त तक 988 मी० टनों के प्राप्त होने की आशा है । 3085 मी० टन प्लेटों के आयात के लिये भी प्रबन्ध किया गया था ।

इतिदाह सिंचाई योजना

1570. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दरा जिले में इतिदाह सिंचाई योजना अन्तिम रूप से मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि कार्य को शीघ्र ही हाथ में ले लिया जाएगा ।

(ग) स्कीम की अनुमित लागत 692 लाख रुपये है ।

बांध सिंचाई परियोजना

1571. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में बांध सिंचाई परियोजना के बारे में समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(घ) परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) सिर्पुर पर मंचय बांध ।

(ख) पुजारीखोला पर बीयर ।

(ग) लांजी क्षेत्र में सिंचाई के लिये बाईं तट पर एक सांझी नहर ।

(2) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 1 : 3 के अनुपात से जल का उपयोग करेंगे और इस अनुपात से उपरोक्त कार्यों की लागत को बांटेंगे ।

(ग) स्कीम के उस भाग की अनुमित लागत जो महाराष्ट्र में है, 630 लाख रुपये है । मध्य प्रदेश में नहर की लागत का अनुमान तैयार हो रहा है ।

(घ) पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट अभी भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये इस समय यह कहना संभव नहीं कि कब काम को हाथ में लिया जाएगा ।

तेन्निर मुक्कम परियोजना

1572. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्निर मुक्कम परियोजना का कार्य कब आरम्भ हुआ ;

(ख) क्या यह कार्य अब बन्द हो गया है;

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कार्य को अप्रैल, 1958 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मार्च, 1968 तक बराज का लगभग 2/3 भाग पूर्ण हो जाएगा । कार्य के बाकी 1/3 भाग को आरम्भ करने से पूर्व भी परियोजना को चालू किया जा सकता है । कार्यों के चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(घ) देरी नींव सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हो गई । इससे डिजाइन में तबदीली आवश्यक हो गई । नीचे की भूमि की भार सहने की शक्ति कम होने के कारण बाकी सभी भागों के अभिकल्पों का भी पुनरीक्षण करना पड़ा ।

दिल्ली वृहद् योजना

1573. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने सिफारिश की है कि दिल्ली तथा उसके आस पास की हाल की परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली वृहद् योजना में संशोधन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वृहद् योजना में क्या परिवर्तन किये जायेंगे तथा इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विद्युत् शक्ति

1574. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विद्युत शक्ति की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के लिये इसका अग्रिम नियतन किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये कितना और किस आधार पर नियतन किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख रखे गये योजना आयोग के ज्ञापन के अनुसार प्रस्तावित अनुमित अधिष्ठापित बिजली की क्षमता 220 लाख किलोवाट है। यथार्थ लक्ष्य को अन्तिम रूप भी देना है।

(ख) जी, नहीं। परन्तु यह अधिकार दे दिया गया है कि चतुर्थ योजना की 19 स्कीमों पर, जिनका विवरण पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिये संख्या एल० टी० 4064/65]** तृतीय योजना में अग्रिम कार्यवाही कर दी जाए।

(ग) ब्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Foreign Exchange

1575. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange spent on (i) delegations and (ii) students sent abroad and on (iii) foreign advisers and experts invited to India last year; and

(b) whether there has been any decrease or increase in such expenditure as compared to the preceding two years?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The figures relating to the foreign exchange spent on delegations are being compiled and will be laid on the Table of the House. Foreign exchange spent on students for study abroad during 1964 amounts to Rs. 452 lakhs. The collection of this information relating to foreign advisers and experts invited to India will involve labour which will not be commensurate with the results to be achieved.

(b) Foreign exchange spent on students during the 2 preceding years is as follows:

1963	1962
Rs. 406 lakhs.	Rs. 487 lakhs.

सुरक्षा कागज (सिक्युरिटी पेपर) कारखाना, होशंगाबाद

1576. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद स्थित मध्य प्रदेश में सुरक्षा कागज (सिक्यूरिटी पेपर) कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस के कब तक चालू होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं कि शुरू शुरू में कारखाने की मुख्य इमारत का काम करने के लिए उपयुक्त ठेकेदार मिलने में कठिनाई हुई, सीमेण्ट और इस्पात जैसी अत्यावश्यक इमारती चीजों की कमी बराबर बनी रही और लम्बी अवधियों पर प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण साज सामान के आर्डरों को अन्तिम रूप देने में भी कुछ देरी हुई ।

(ग) अब आशा है कि कारखाना 1966 की दूसरी छमाही में, किसी समय, चालू हो जायेगा ।

तुंगभद्रा नहर

1577. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री प० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने प्रार्थना की है कि इस वर्ष तथा अगले वर्ष तुंगभद्रा नहर के कार्य को पूरा करने म होने वाले व्यय के लिये उसे ऋण अथवा अनुदान के रूप मे अतिरिक्त धनराशि दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही को है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर स्कीम के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये 175·36 लाख रुपये तथा अगले वर्ष के लिये 155·40 लाख रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता मांगी है । चालू वित्तीय वर्ष के लिये 125 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकार कर ली गई है । अधिक ऋण सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Diabetes

1578. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to deterioration in the quality of some of the food-stuffs in India, the incidence of diabetes has increased immensely ;

(b) whether Government are investigating to start some special treatment of this disease ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) There is no reason to believe that deterioration in the quality of food leads to diabetes.

(b) and (c) : Systematic clinical trials on scientific lines, in the use of a root of a plant called 'Saptarangi (Casearia esculanta) in the treatment of diabetes has been undertaken at the Safdarjang Hospital and also at the Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi.

दिल्ली में अल्प आय वाले वर्ग को मकान बनाने के लिये ऋण

1579. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण देने के लिए सरकार ने दिल्ली प्रशासन को हाल में ही 7 लाख रुपये और मंजूर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के कार्यक्रम के अधीन इस योजना के अन्तर्गत कुल कितना ऋण दिया जायेगा ; और

(ग) अब तक इसके लिए कितना ऋण मंजूर किया जा चुका है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) 53.50 लाख रुपये ।

(ग) योजना के अन्तर्गत कर्ज के रूप में 53.50 लाख रुपये की कुल राशि दिल्ली प्रशासन के द्वारा मंजूर की जा चुकी है ।

नई दिल्ली में 35-मंजिली इमारत

1580. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने रीगल बिल्डिंग, कनाट सरकस नई दिल्ली के सामने लगभग पांच एकड़ भूमि पर 35-मंजिली इमारत बनाने का प्रस्ताव अथवा निर्णय किया है जो कि कुतुब मीनार से 100 फुट ऊंची होगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भूमिगत जल, हवा की गति में रुकावट और बिजली व्यवस्था के अव्यवस्थित होने की समस्याओं पर विचार कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर : (क) जीवन बीमा निगम ने 3.485 एकड़ भूमि पर रीगल बिल्डिंग नई दिल्ली के सामने एक 35-मंजिली इमारत बनाने का प्रस्ताव किया है । इस इमारत में एक घण्टा-घर भी सम्मिलित है जिसकी ऊंचाई 419 फुट और 2 इंच है । कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट है ।

(ख) इमारत बनाने की मंजूरी देने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा इन समस्याओं की जांच कर ली जायेगी ।

यमुना के पानी का दूषित होना

1581. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री लखम भवानी ;

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना में पानी के दूषित होने की समस्या के बारे म सलाह देने के लिए ब्रिटेन के विशेषज्ञ भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कब तक पहुंच जायेंगे ;

(ग) क्या वे भारत सरकार के निमंत्रण पर आ रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यमुना में पानी को दूषित होने से रोकने से संबंधित कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) जी नहीं । किन्तु दिल्ली नगर निगम को जल परीक्षण प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के बारे म सलाह देने के लिए 26 मार्च, 1965 को ब्रिटेन का एक विशेषज्ञ दिल्ली आ रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आयात की जाने वाली वारतुओं पर विनियामक सीमा शुक्ल

1582. **श्री मी० र० मसानी ;**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर 10 प्रतिशत के हिसाब से हाल में लगाये गये विनियामक सीमा-शुल्क से वर्ष 1965–66 में अनुमानत: कितना धन वसूल होगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : विनियामक सीमा-शल्क (रेग्युलेटरी कस्टमस ड्यूटी) से वसूली उन वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर होगी जिनका 1965–66 के दौरान अंतत: आयात किया जायेगा। इस समय ऐसे मूल्य का उचित अनुमान लगाना संभव नहीं है । 1965–66 के बजट म विनियामक शुल्क से होने वाली वसूलियों का अनुमान 40 करोड़ रुपये है ;

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1583. **श्री गुलशन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी योजना के अधीन दिल्ली तथा नई दिल्ली के विभिन्न भागों में अस्थायी कैम्पों में जाकर बसने वाले सरकारी कर्मचारियों को निकटतम केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा उपचार करने से इन्कार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरियों के क्षेत्रों से बाहर बसने वाले कुछ व्यक्तियों को हो सकता है कठिनाइयां हुई हों । उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ।

Water Supply Construction Work

1584. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the municipal water supply construction work in the Capital has been held up due to shortage of cement ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes. It was reported by the Delhi Municipal Corporation on 3rd February, 1965 that some of their works relating to augmentation of Delhi's water supply were held up due to shortage of cement.

(b) The matter was taken up with the Ministry of Industry & Supply who issued release orders for the required quantity of cement on the 5th March, 1965.

आय में असमानता

1585. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय में असमानता सम्बन्धी महलनवीस समिति के प्रतिवेदन के भाग 1 को देखते हुए 1964 में अधिकतम तथा न्यूनतम आय वर्ग के लोगों में असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन कार्यों के परिणामस्वरूप, असमानता किस हद तक दूर हुई ; और

(ग) देश में अधिकतम आय वर्ग की औसतन प्रति दिन आय क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आय-वितरण और जीवनयापन स्तर सम्बन्धी समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट का पहला भाग ही प्रस्तुत किया है । दूसरे भाग की प्रतीक्षा की जा रही है । समिति ने स्वयं इस बात पर जोर दिया है कि जो प्रश्न उसे सौंपे गये थे उनके बारे में वास्तविक विचार जानने के लिए, रिपोर्ट के दोनों भागों को एक ही समझा जाना चाहिए । इसलिए समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में फैसले तभी किये जायेंगे जब सरकार पूरी रिपोर्ट पर विचार कर लेगी ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) इस सम्बन्ध में जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह रिपोर्ट के पहले भाग में दे दी गयी है जो सभा की मेज पर पहले ही रखा जा चुका है ।

वेस्टर्न कोर्ट तथा ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली

1586. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टर्न कोर्ट तथा ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली को गिराने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) इस संबंध में कुछ सुझाव दिये गये हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

बागान मजदूरों के लिये मकान

1587. **श्री मलाइछामी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 में आवास मंत्रियों के चंडीगढ़ में हुए सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार हुआ था कि बागान मजदूरों के लिये बागान के स्वामियों द्वारा मकानों की व्यवस्था करना अनिवार्य बनाने के लिये विधान लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय हुआ ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : प्रत्येक बागान स्वामी के लिए प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट 1951 की धारा 15 में, बागान में रहने वाले सभी मज़दूरों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक आवास स्थान की व्यवस्था और अनुरक्षण को पहले से ही अनिवार्य किया हुआ है । इस एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों को परिचालित आदर्श नियमों के अनुसार बागान स्वामियों को कम से कम अपने 8 प्रतिशत निवासी मज़दूरों के लिए, प्रति वर्ष, जब तक कि सभी ऐसे मज़दूरों को पर्याप्त रूप से आवास नहीं मिल जाते, समुचित वास का बनाना आवश्यक है ।

फिर भी इस योजना के अन्तर्गत प्रगति बहुत असन्तोषजनक रही है । कानूनी व्यवस्थाओं के बावजूद, इस मामले पर ध्यान देने के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने एक वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया था जिसने यह सिफारिश की है कि बागान स्वामियों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार उन्हें आवास की लागत में 25 प्रतिशत की आर्थिक सहाता दे । यह सिफारिश विचाराधीन है ।

आयिक्कल में बाढ़ बैंक

1588. श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में आयिक्कल में एक बाढ़ बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा ;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) इस परियोजना से किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केरल सरकार ने सूचना दी है कि कोजीकोड जिले में आयिक्कल नाम का कोई स्थान नहीं है । परन्तु आजीक्कल नाम के दो स्थान हैं--एक कोजकोड जिले में माही के निकट और दूसरा कन्नानोर के निकट । इन दोनों में से किसी स्थान पर बाढ़ बैंक का कार्य नहीं हो रहा है । परन्तु कोजीकोड जिले में मुरत नाम के स्थान पर एक बाढ़ बैंक का कार्य हो रहा है ।

(ख) मुरत में बाढ़ बैंक का कार्य पहले से ही हाथ में ले लिया गया है ।

(ग) 1.76 लाख रुपये ।

(घ) मुरत में बाढ़ बैंक से पय्योली बाजार रोड, आवासों, मसजिद और निकट के दुकानों की सुरक्षा होगी ।

केरल में चालियार नदी

1589. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोजीकोड जिले में चालियार नदी के पानी को काम में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) चालियार की उपशाखा, चलिपुजा को पन-बिजली के उत्पादन के लिये नियन्त्रित करना प्रस्तावित है ।

(ख) अनुसन्धान अभी प्रगति पर है । इसलिये, इस समय स्कीम के कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में डाक्टर

1590. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री राजदेव सिंह :
श्री जेधे :
श्री सुमत प्रसाद :
श्री प्रताप सिंह :
श्री विश्वनाथ राव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री ड० प० मंडल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में 325–800 रुपये तथा 1300–1600 रुपये के वेतन क्रमों में क्रमश: कितने कितने डाक्टर तथा डाक्टर (विशेषज्ञ) हैं;

(ख) वर्ष 1954 से अब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एम० बी० बी० एस० अर्हता वाले कितने डाक्टरों की विभागीय उन्नति की गई है; और

(ग) 1600 से 2000 रुपये के वेतन क्रम में सलाहकार तथा प्रशासक के रूप में काम करने वाले डाक्टरों के अतिरिक्त कितने अन्य डाक्टर हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वर्ग "डा०" में इस के प्रारम्भिक गठन पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम 7 के अधीन 904 डाक्टर 325–800 रुपये के वेतन मान में नियुक्त किये गये हैं। इन के अतिरिक्त इस वर्ग में 173 डाक्टर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वर्ग 'ख' में इस के प्रारम्भिक गठ न पर 54 डाक्टर (इन में विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं) 1300–1600 रुपये के वेतन मान में नियुक्त किये गए हैं और इसी वर्ग में 7 डाक्टर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) 10 ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT—(Query)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : आप ने कहा था कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार मैं विएतनाम में घातक गैस के प्रयोग के प्रश्न को यहां नहीं उठा सकती। मैंने नियम और विनियम देखे हैं, और आप की स्वीकृति से मैं किसी भी अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर मंत्री महोदय

का ध्यान आकर्षित कर सकती हूं : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि वियतनाम में स्थिति बहुत गंभीर है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी तो इसे कैसे उठाया जा सकता है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यद्यपि हम उसे आप की स्वीकृति में ही उठा सकते हैं, फिर भी इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं, जैसे जहरीली अथवा घातक गैस का प्रयोग, जिन का सारी मानवता पर असर पड़ता है, तब उसी रीति में उपवाद किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप मुझे इसे उठाने देंगे और प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : क्योंकि यह विषय हाउस आफ कामन्स में भी उठ चुका है और स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सदन में यह परम्परा चलाई थी कि यदि किसी देश में अणु विस्फोट होता हैं तो इस से भारत भी उतना ही चिन्तित होता है जितना कि वह देश जहां विस्फोट हुआ है और उस पर विचार व्यक्त किये जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी एशिया के देश में घातक गैस का प्रयोग हुआ है तो उस विषय को उस सभा में लाया जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री अभी उत्तर दें, परन्तु हमें प्रश्न का अपने उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : मेरा भी यही विचार है कि जो कुछ भी दक्षिण विएतनाम में अथवा एशिया के किसी अन्य भाग में होता है, उस से हमारा भी सम्बन्ध है। और क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारत का प्रतिनिधि भी है, इसलिये वियतनाम पर चर्चा बिल्कुल संगत है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : चाहे चीन के विस्तार को रोकने के लिये कितना भी चाहें, फिर भी मानवता के विरुद्ध इस विनाशकारी हथियार के प्रयोग की हम कभी भी इजाजत नहीं दे सकते। सरकार को इस की सत्यता का पता लगाना चाहिये कि गैस का प्रयोग किया गया है कि नहीं और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यद्यपि पश्चिम देशों के हम मित्र हैं। फिर भी इस समाचार पर चुप नहीं बैठ सकते विशेषतया जब विश्व के जिम्मेदार व्यक्तियों ने इस समाचार पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। अत: इस विषय में हमें भी अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिये। हमारा इस मामले में चुप रहना अच्छा न होगा मैं नहीं चाहता कि श्रीं लालबहादुर शास्त्री किसी की निन्दा करें, परन्तु उन्हें इस सभा की चिन्ता के सम्बन्ध में बता देना चाहिये ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट है कि जिस गैस का प्रयोग किया गया है, वह जहरीली अथवा घातक नहीं है। यदि यह सही है तो चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री खाडिलकर (खेड़) : यह ऐसा विषय है जिस ने मनुष्य के अन्त:करण को छू लिया है। अत: प्रधान मंत्री को सरकार के विचारों के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं आवश्यक सूचना एकत्र कर के सभा में वक्तव्य दूंगा। मैं अभी कोई राय नहीं देना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रश्न इस प्रकार उठाये गये तो मेरे लिये सभा का कार्य संचालन करना कठिन हो जायेगा। यद्यपि मैं ने ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को स्वीकृति नहीं दी थी फिर भी मैं ने उन्हें प्रधान मंत्री के पास भेज दिया था जिस से कि वह इस पर वक्तव्य दे सकें। मेरे निर्णय के बावजूद माननीय सदस्य उन को उठाने का आग्रह करते हैं। इस प्रक्रिया काकल से उल्लंघन हो रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप ने मुझे कल यह नहीं बताया था कि आप ने इसे प्रधान मंत्री के पास भेज दिया है। यदि आप बता देते तो मैं चुप रहती।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, most humbly I want to suggset a solution to this problem. You may accept two adjournment motions daily and also motions on matters of urgent public importance. In this way ther will not be any quarrel and the bunsiness of the House will be conducted smoothly.

Mr. Speaker : Now I am daily receiving dozens of notes of motions which two should I permit ?

Shri Madhu Limaye : You select the one's which you think are important.

Mr. Speaker : If out of 20-25 motions I select two and reject others, then those whose motions have been rejected may not like it.

Shri Madhu Limaye ; Sir.....

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार एक दिन में केवल एक ही ध्यान दिलाने वाली सूचना दी जा सकती है। दूसरे, यह भी देखना होता है कि विषय इतना महत्वपूर्ण भी है कि नहीं कि मैं उसे उसी दिन लूं। तीसरे, यदि मैं सूचना को माननीय मंत्री के पास भेज दूं तो उन को जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। तो भी उसे उस दिन नहीं लिया जा सकता। यदि माननीय सदस्यों का अभिप्राय यह है कि रोज 2 अथवा 3 ध्यान दिलाने वाली अधिसूचनाओं को लिया जाय यह संभव नहीं है क्योंकि इसे सराकारी कार्य आगे नही बढ़ सकेगा।

Shri Madhu Limaye : Sir! Can you please give the reason why you have not given your permission to the calling attention notice regarding the arrests made in Nepal. It is an important matter All of us want to know.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Please take up one calling attention notice from each party daily.

Mr. Speaker : If the House takes this decision that one calling attention notice should be taken daily from each party, then I have no objection.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मुझे खेद है कि जिन लोगों ने ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं का प्रश्न उठाया था, उन के विरुद्ध आप ने कुछ कटु शब्द कहे हैं। मैं ने भी इस विषय पर हस्ताक्षर किये थे और मुझे जो उत्तर मिला था उस में केवल अस्वीकृत लिखा था। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती भी आप से मिली थीं और उन्हों ने अभी अभी सभा को बताया कि आप ने उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया कि इन सूचनाओं को प्रधान मंत्री के पास भेज दिया गया है। जब विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने सभा में जोर दिया तो प्रधान मंत्री ने बताया कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

इस मामले में हम बहुत आदर से पेश आये परन्तु आप ने हमारे लिये बहुत कटु वचन प्रयोग किये थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब इसलिये हुआ क्योंकि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती मुझे मिली थीं और मैंने उन्हें बताया था कि मैं ने उसे अस्वीकृत कर दिया , परन्तु इस के साथ मैंने यह भी कह दिया था कि इस पर चर्चा हो सकती है। परन्तु यह तब होगा जब कोई और चर्चा हो रही होगी, और इस के लिये कई अवसर आयेंगे। मैंने यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो, परन्तु कुछ समय उपरान्त । शायद यह सूचना श्री मुकर्जी को नहीं दी गई थी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब कि विश्व की सभी संसदों में इस विषय पर चर्चा हो रही है और ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में प्रश्नकाल के उपरान्त एक वक्तव्य देने के लिये बाध्य किया गया था क्या यह अनुचित नहीं होगा यदि हमारी संन्सद् में उठाने की स्वीकृति नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री ति० त० कृष्णमाचारी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समवाय न्यायाधिकरण नियम

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं समवाय, अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, दिनांक 22 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 280 में प्रकाशित, कम्पनी न्यायाधिकरण नियम, 1965 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4053/65 ।]**

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में--जारी

RE: CALLING ATTENTION NOTICE AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT—*contd.*

श्री बासुदेवन नायर : (अम्बलपुजा) : मैं आप को बताना चाहता हूं कि मुझे अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य सदस्य भी हो सकते हैं जिन को उत्तर न मिला हो । यदि उन को उत्तर नहीं मिला तो पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्यों नहीं मिला ।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, I had given notice of an adjournment motion in respect of Presidents rule in Kerala. It is an important question. If democracy is stiffled then nothing will remain alive.

Mr. Speaker : Have you received the information or not ?

Shri Bagri : I have received the information.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I have also want to say something.

Shri Bagri : If democracy is being stiffled and no adjournment motion is allowed on this subject, then on what subject will the adjournment motion be allowed.

श्री विद्याचरण शुक्ल : (महासमन्द) : वह सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव इसलिये दिया गया है क्योंकि हम इस विषय पर शीघ्र चर्चा चाहते हैं। यह सत्र बजट के विषयों से ही इतना परिपूर्ण है कि इस विषय पर अप्रैल के अन्त तक चर्चा नहीं हो सकती। देश में इस विषय पर बहुत रोष है। अत: इस विषय पर यह यथा सम्भव शीघ्र चर्चा होनी चाहिये। और यदि सरकार की ओर से आश्वासन मिल जाये कि इसी सप्ताह के अन्दर चर्चा होगी तो हमें उस से काफी सान्त्वना मिल जायेगी; और इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी।

श्री बासुदेवन नायर : हम स्थगन प्रस्ताव द्वारा सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, क्योंकि वह लोकतन्त्र की जड़ें काट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को याद होगा कि कल वक्तव्य के उपरान्त इस विषय पर चर्चा हुई थी। (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Madhu Limaye (Mongnyr) : The discussion was on constitutional point and not on merits.

Mr. **Speaker** : No care is being then to see that when I om an my legs, no body should speak.

Yesterday the Home Minister made a statement and laid the Proclamation also. Some questions were asked and some points of order were raised yesterday on this matter. But no rule will raising an adjournment motion on a matter which has been discussed yesterday. Secondly, this proclamation will be discussed soon after, how can an anticipatory discussion take place. If I start discussing all the notices received by me and give reasons for rejecting them, then the whole of the day will be taken up by them. If my decision is not satisfactory, then should I put everything before the House and go on giving decisions?

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप को यह निर्णय करने का अधिकार है कि किस मामले में कितनी शीघ्र चर्चा होनी चाहिए। आप सरकार को निदेश दे सकते हैं कि क्योंकि इस विषय पर देश में बहुत रोष है इसलिये इस पर शीघ्र चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं; परन्तु जब मैं उन का प्रयोग करता हूं तो कोई मानता नहीं। आप चाहते हैं कि इसे विशेष तरीके से प्रयोग किया जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि आप के पास पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां हैं कि आप केरल में जारी की गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में चर्चा करवा सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या नियमों के अधीन इसे स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत लाया जा सकता है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब किसी अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव आये तो आप को सरकार से पूछना चाहिये कि वे इस विषय पर सभा में चर्चा करेंगे कि नहीं । आप ने यह नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले यह देखना है कि नियमों के अधीन यह ग्राह्य भी है कि नहीं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि नियमों की भावना के बजाये हम उनके शब्दों पर चलेंगे तो हमें इस सभा का कार्य चलाना असम्भव हो जायेगा ।

श्री बासुदेवन नायर : पिछले 17 वर्षों में सरकार ने इस प्रकार कार्य नहीं किया । वह सारे देश में अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं । स्थगन प्रस्ताव के बजाय, आजकल हम ध्यान दिलाने वाली सूचनायें देते हैं । यदि हम किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो अवश्य ही हम उस विषय पर काफी चिन्तित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब शीघ्र ही इस पर चर्चा होने वाली है तो क्या आवश्यकता है . . .

श्री दाजी : हो सकता है इसमें छः सप्ताह लग जायें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता । परन्तु हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय हों—चाहे वह नियमों के अधीन ग्राह्य हों या नहीं—तो भी उन पर यहां चर्चा हो सके । मेरे विचार में संसद अपने कर्त्तव्य को नहीं निभायेगी यदि वह इन चीजों पर विचार नहीं करेगी । अतः हमें कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे इन विषयों पर समय में चर्चा हो सके ।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री द्विवेदी ने जो अन्त में कहा है, मैं उससे सहमत हूं कि इस विषय पर आप से वार्ता करने का हमें शीघ्र ही अवसर मिलना चाहिये ।

Shri Bade (Khargone) : I want to present in views of my group also. It is an important issue. If you had told in the groups conference that a discussion can take place, then there wouldn't have been so much disturbance.

Mr. Speaker : If you want to create disturbance, then how can I stop it.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to know from Shri Lal Bahadur Shastri, about the importance of this adjournment motion. Does he want the people to adopt violent means instead of democratic means.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : He is trying to encourage violence here. It is an unbecoming of him.

An hon. Member : All the thieves are sitting that on side.

Shri Raghunath Singh : Sir, an hon. member said that all the thieves are sitting here. He should withdraw this word. He has used this word for the whole House.

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur): You have said so many times that if any member speaks without your permission then that will be expunged from the records . But you are not following it.

Mr. Speaker : I have got two weapons : Firstly, if anybody speaks without my permission then I can stop it from being put on record. Secondly, as shri Mavalankar had said, they will not catch my eye.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यहां सब चोर बैठे हैं। इसको सभा की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमन्द) : इस सभा का एक प्रमुख नियम है कि आप के विनिर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। परन्तु इस नियम का यहां बार बार उल्लंघन होता है। मेरी आप से प्रार्थना है कि इस नियम का पालन होना चाहिये । और यदि इस नियम का पालन नहीं होता तो उन सदस्यों के विरुद्ध आप जो भी कार्यवाही करेंगे उसमें आप की सारी सभा का अनुमोदन प्राप्त होगा। सभी विरोधी नेता मुझ से सहमत होंगे, कि यदि आप के विनिर्णयों पर यहां बार बार आपत्ति की गई तो सभा का नियमित कार्य संचालन कठिन हो जायेगा। यदि किसी को कोई संशय है तो वह आप के कक्ष में आप से बातचीत कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या प्रधान मंत्री इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे नहीं कह रहा हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : उसको देखते हुए हम सभा-भवन से बाहर चले जायेंगे ।

[इसके पश्चात् श्री ही० ना० मुकर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये ।]

(Shri H.N. Mukerjee and some other hon. Members left the House).

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1963–64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति। **(सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4054/65]**

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) उक्त समवाय के संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधन के बारे में सरकार का वक्तव्य। **[सभा पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4055/65]**।

नारियल जटा संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं नारियल जटा सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4056/65]**

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री रामेश्वर साहू की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) नियम, 1960, में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 6 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 333]

(दो) दिनांक 6 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 334

(तीन) दिनांक 6 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 335

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4052/65]।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 28 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 354

(दो) दिनांक 28 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 355

(तीन) दिनांक 28 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 356

(चार) दिनांक 28 फरवरी, 1965 की जी० एस० आर० 357

(पांच) दिनांक 6 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 336

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4057/65]।

(3) (एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत, दिनांक 28 फरवरी, 1965, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 376 में प्रकाशित, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति।

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिय संख्या एल० टी०—4058/65]।

(दो) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963, की धारा 46 की उप-धारा, (5) के अन्तर्गत, दिनांक 4 जुलाई, 1964, की अधिसूचना में प्रकाशित, कृषि-पुनर्वित्त निगम (कर्मचारी वृन्द) विनियम, 1964 की एक प्रति।

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4059/65]।

श्री अ० कु० सेन पर लगाये गये आरोपों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ALLEGATIONS AGAINST SHRI A. K. SEN

अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रार्थना करूंगा कि श्री द्विवेदी तथा विधि मंत्री एक ही समय अपने वक्तव्य दें अर्थात् एक के बाद दूसरा। यदि विधि मंत्री भी इसके लिये तयार हैं तो मैं अनुमति दूंगा।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : जी, हां।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (कन्द्रपाड़ा): जब अविश्वास के प्रस्ताव पर 16 मार्च, 1965 को चर्चा हो रही थी तो विरोधी दल के सदस्य श्री होमी दाजी ने कहा था कि श्री अ० कु० सेन, विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोकि उड़ीसा के मामले की जांच कर रहे थे, वे भुवनेश्वर में एक मकान बनवाने के लिये भूमि लेने के लिये आवेदन पत्र दिया था जब कि वे उप-समिति के सदस्य थे और उस उप-समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पूर्व ही उन्हें भूमि मिल गई थी।

श्री अ० कु० सेन ने कहा था कि यह एक गम्भीर आरोप है और यदि सिद्ध हो गया तो वह त्यागपत्र भी देने को तयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आप ने भी उस समय कहा था कि सदन को इसके बारे में निरूपण करना चाहिये।

मैं ने इस बारे में पूछताछ की है और निम्नलिखित तथ्य सदन को विचार करने के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उड़ीसा सरकार के अभिलेख देखने के पश्चात् तथा जिम्मेदारी के साथ मैं यह कह सकता हूं कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीरेन मित्र तथा राज्य के योजना बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री बीजू पटनायक ने श्री अ० कु० सेन, केन्द्रीय विधि मंत्री के लिये मकान के लिये प्लाट ढूंढने में काफी रुचि ली तथा वहां के एस्टेट ऑफिसर से भी कहा कि एक प्लाट तलाश करें। वास्तव में उड़ीसा सरकार के अपर मुख्य सचिव ने जिस सरकारी आदेश पर 3 सितम्बर, 1964 को हस्ताक्षर किये थे यह कहा था कि यूनिट 7 में एक तीन चौथाई एकड़ भूमि केन्द्रीय विधि मंत्री श्री अ० कु० सेन के लिये सुरक्षित कर दी जावे। इस आदेश की मेरे पास फोटो द्वारा ली गई प्रति है और आपकी अनुमति से मैं इसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसे सभा-पटल पर रखा जावे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : एस्टेट अधिकारी के नोट में लिखा था कि मैं ने इस मामले पर मुख्य मंत्री से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि एक 3 या 4 एकड़ का प्लॉट केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री अ० कु० सेन के लिये सुरक्षित रखा जावे।

ऊपर के नोट पर संयुक्त सचिव ने लिखा कि यह प्लॉट सोसाइटी को दे दिये जावें। ऊपर के बताये नोट 2-9-64 और 3-9-64 के बीच भेजे गये। आप ने मुझे पहले ही इन्हें सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे दी है।

सदन को याद होगा कि उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का मामला पिछले 2 वर्षों से कई बार संसद् में उठाया गया है और इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन जुलाई, 1964 में

राष्ट्रपति की सेवा में भी भेजा और बाद में केन्द्रीय जांच आयोग को यह मामला सुपुर्द किया गया। बाद में मंत्रिमंडल की एक उप-समिति भी इन जांचों की पड़ताल के लिये नियुक्त की थी।

ऊपर के तथ्यों से यह सिद्ध हो गया है कि श्री अ० कु० सेन के लिये भुवनेश्वर में एक प्लाट सितम्बर, 1964 में सुरक्षित रखा गया। सरकार इसके लिये जांच आयोग इसलिये नहीं बिठा रही क्योंकि उसे डर है कि कहीं जो दूसरे और व्यक्ति इस मामले में थे, उनका पता न लग जावे।

क्योंकि यह मामला सदन में उठाया गया है, इसलिये इससे संदेह समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके पास सूचना है कि प्लाट संख्या 57 और 58 श्री सेन के नाम नियत किये गये ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अभिलेखों के अनुसार यह उनके लिये सुरक्षित रखे गये।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी के लिये आभारी हूं कि उन्होंने यह मामला उतने टेढ़े तरीके से नहीं उठाया जितना दूसरे सदस्य ने उठाया था। मुझे श्री द्विवेदी के वक्तव्य की प्रति केवल आज प्रातःकाल प्राप्त हुई। इस कारण यदि मैं पूरा ब्यौरा न दे सकूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे और मैं उन्हें बाद में प्रस्तुत कर दूंगा।

मैंने अब उन पत्रों की प्रतियां देख ली हैं जो मेरे स्वर्गीय भाई श्री सुकुमार सेन ने लिखीं। यह 1962 की बात है जब वह दण्डकारण्य प्राधिकार के अध्यक्ष थे। मैं इन सब पत्रों को पढ़ कर सदन का समय लेना नहीं चाहता और इन्हें मैं सभा-पटल पर रखता हूं। फिर भी इनका निचोड़ दूंगा।

पहली अगस्त 1962 के उनके सचिव, ने पत्र लिखा कि श्री सेन को भुवनेश्वर में कुछ प्लाट दिखाये गये थे। यदि आप उनके बारे में और विवरण दे दें तो वे उनमें से अपनी छांट कर लगे। उन्हें वे विवरण भेजे गये और उन्होंने छांट भी की परन्तु कुछ कारणों से उन्हें वे प्लाट नहीं दिये गये उन्हों ने फिर एक और प्लाट छांटा और इसके बारे में पत्र व्यवहार चलता रहा। बाद में उन्हें एक सहकार समिति के नियम भेजे गये और वे भुवनेश्वर की कैपीटल हाऊस बिल्डिंग कोपरेटिव कमेटी के सदस्य बन गये। उनसे कहा गया कि यदि वे अपना आवेदन पत्र दें तो उनके लिये प्लाट नम्बर 113 सुरक्षित रखा जावेगा। दुर्भाग्यवश आवेदन पत्र भेजने से पहले अप्रैल में उनका निधन हो गया। उसके पश्चात् क्या हुआ, मुझे पता नहीं। उनकी पत्नी इंग्लैंड चली गई जहां वह एक वर्ष तक रही। इसी बीच में दो और अधिकारियों ने जिनमें एक राज्यपाल के सचिव थे तथा दूसरे सहकार समितियों के रजिस्ट्रार इन प्लाटों को चाहते थे और यह सुझाव दिया गया कि क्योंकि मेरे भाई की ओर से उन्होंने कुछ नहीं सुना था, इस लिये इन अधिकारियों को दे दिये जावें। मेरे भाई की पत्नी इंग्लैंड में थी।

जब दिसम्बर, 1963 में मैं क्षेत्रीय डाक तार अधिवेशन के लिये भुवनेश्वर गया तो मुझे वहां के एक अधिकारी ने पूछा कि हमारा परिवार उस प्लाट को अब भी चाहता है या नही। मैंने उत्तर दिया कि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है और इस सम्बन्ध में मैं जाकर अपने परिवार वालों से

[श्री अ० कु० सेन]

पूछताछ करूंगा। मुझ से यह भी कह गया कि सहकारी समिति की सदस्यता जारी रखनी चाहिये। मैं ने सहकारी समिति को पत्र भी लिखा। उसके पश्चात् मार्च, 1964 में प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने मुझे फिर कुछ काम भूवनेश्वर भेजा जो वहां के मुख्य मंत्री तथा पुनर्वास सचिव ने फिर कहा कि श्री सुकुमार सेन के परिवार के सदस्यों से उन्हें प्लाटों के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और वह इस मामले को अधिक दिन नहीं टाल पायेंगे। मैंने कहा कि मैं अवश्य इसके बारे में पता करूंगा और तुम्हें लिखूंगा। उस पत्र की एक प्रति यहां लगी हुई है। मैं ने इस पत्र में लिखा कि मेरी भाभी बाहर गई हुई है और इस प्लॉट की सुरक्षितता जारी रखी जावें ताकि यदि परिवार का कोई सदस्य इन्हें लेने चाहे तो ले सके। बाद में वे दो प्लाट तो वहां के दो अधिकारियों को दे दिये और उन्होंने दूसरे दो प्लाट मेरे भाई के परिवार के लिये दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखने को कहा।

इस बात से पता चलेगा कि मैं ने स्वयं तो कभी किसी प्लॉट लेने के लिये आवेदन पत्र नहीं भेजा। यह तो मेरे भाई के परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में था। यह भी कागजात से पता चला है कि 15 सितम्बर तक प्लाट संख्या 57 तथा 58 दूसरों को दे दिये।

वैसे हम ने उड़ीसा के मामले को 11 अगस्त के पहले नहीं अपितु बहुत बाद में निबटाया। जो परामर्श मैंने जांच आयोग के बारे में दिया है वह प्रधान मंत्री को पता है। यह श्री पटनायक के हक में नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना यह है कि आपको भुवनेश्वर में कोई प्लॉट नहीं दिया गया है।

श्री अ० कु० सेन : मैं ने प्लाट के लिये कभी कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं और इस लिये मुझे प्लाट मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह सब निराधार है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जितने कागजात, पत्र आदि हैं सब सभा पटल पर रख दें। श्री द्विवेदी भी उन्हें सभा पटल पर रखें। यदि श्री दाजी के पास भी कोई प्रमाण हो तो सभा पटल पर रखें। मैं उन सब को पढ़ कर बताऊंगा कि फिर मुझे सभा से इस विषय में कुछ कहना है या नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी : मैं दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4050/65]**।

श्री अ० कु० सेन : मैं सम्बद्ध दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4051/65]**।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य-चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री गजराज सिंह राव (गुडगांव) : मैं कहूंग कि कम आय के व्यक्तियों के लिये काफी सहायता है। तरीका भी अब सरल बना दिया है। जो कर से बचते थे उस कार्य में भी अब सख्ती हो गई है। बिगम क्षेत्र की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बजट से निर्धन तथा मध्यम श्रणी के व्यक्तियों को

हानि पहुंची है। परन्तु यह सब असत्य है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर अधिक जोर देना चाहिये। तभी यहां समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण होगा।

मेरे विचार में भारत के ग्रामों को उपेक्षा की गई है। क्या बजट में उनका भी ध्यान रखा गया है।

यह यूरोपियन तरीके का बजट है और यहां के जो 80 प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है। हमें केवल 20 प्रति शत पूंजीवादियों का ही ध्यान नहीं रखना है।

हमारे देश में उस समाजवाद की आवश्यकता है जैसा गांधी जी कहते थे। मैं ने एक बार गांधी जी से यह पूछ लिया कि गांधीजी स्वराज्य तो आगया अब राम राज कब आवेगा। उन्होंने उत्तर दिया : "जब तुम गांवों में वापिस चले जाओगे, तब रामराज्य आयेगा"। उनका तात्पर्य यह था कि जब ग्रामों में खुशहाली आजावेगी तब रामराज्य यहां होगा।

आजकल हम अनाज तथा दूसरी चीजें विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं।

यदि आप गांवों में कुओं में बिजली देदें तो उत्पादन 10 अथवा 20 प्रति शत बढ़ जावेगा। परन्तु इस कार्य के लिये स्थान स्थान पर भटकना पड़ता है और फिर भी बिजली नहीं मिलती। यह तब मिलती है जब अधिकारियों को एक एक बिजली के जोड़ के लिये एक एक हजार रुपया दिया जावे।

श्रीमान अनाज भारत के गांवों में पैदा होता है। नेफा, काश्मीर अथवा किसी अन्य स्थान की रक्षा का काम भी गांव के आदमी ही करते हैं। परन्तु हमारे ग्रामीणों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। उन्हें जब कूवें बनाने के लिये सीमेंट की अथवा किसी और चीज की जरूरत होती है तो वह चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं जबकि बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए सीमेंट बहुतायत से दे दिया जाता है। बिजली लगाने के बारे में भी यही बात है। हमारे गांवों में बिजली लगाने में बड़ी ढील बरती जा रही है। मेरा इसलिए इस सम्बन्ध में यही कहना है कि भारत की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उसको भी नगरों में रहने वाली जनता के समान ही समझना चाहिए और उनके साथ भी उचित व्यवहार किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : देश में कुछ ऐसी भावना है कि हमारे वित्त मंत्री देश के सभी लोगों को रियायतें देने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्होंने अपने बजट को इसी प्रकार का बनाया है। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। मैंने इस सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों को सुना और यही पाया कि समाजवादी समाज के बारे में किसी को भी स्पष्टतया कुछ भी पता नहीं है। इसलिए इस समस्या को स्पष्ट किया जाना नितांत आवश्यक है। जहां तक मैं समझता हूं समाजवाद में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं होता है परन्तु हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था में गैर सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों ही रखे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं कहता आया हूं कि इस को स्पष्ट करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जनता पर तीन स्तर पर कर लगता है। मैं चाहता हूं कि इन तीनों स्तरों को साफ तौर पर अलग अलग बताया जाना चाहिए। इस समय

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा केन्द्र स्तर पर कर लगाया जाता है। मेरा इसके बारे में यही सुझाव है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जो इन तीनों स्तरों को स्पष्ट करे। कभी कभी इस समय स्थानीय निकाय यह शिकायतें करते रहते हैं कि राज्य सरकारें उनके क्षेत्राधिकार में कर वसूल कर लेती हैं यही शिकायत राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के बारे में करती हैं। इसलिए इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहता हूं कि हमें अपनी कराधान विधियों को सरल बनाना चाहिएं। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान वित्त मंत्री ने इनको सरल बनाया है। परन्तु फिर भी अभी इनको और सरल बनाया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने उत्पादन शुल्क में जो रियायतें दी हैं उनसे निश्चित रूप से सर्वसाधारण को लाभ हुआ है। मैं यह भी चाहता हूं कि परिवार नियोजन पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिए जिससे बच्चे कम पैदा हों और अनाज की समस्या हमारे सामने न आये।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने नगरीय सम्पत्ति पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से कम आय वाले लोगों को अपने मकान बनाने में बड़ी कठिनाई होगी।

कारपोरेट टैक्स के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने अधिकतम सीमा 70 प्रतिशत करदी है। मेरे विचार से इससे बहुत थोड़े लोगों को ही लाभ होगा। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने रेशम के कपड़े पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे रेशम के कपड़े का हमारा निर्यात बढ़ जायेगा और विदेशी मुद्रा मिल सकेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने जो यह बजट पेश किया है उससे देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। परन्तु मुझे खेद है कि बैंक की दर बढ़ाने आदि से यह संभव नहीं होगा कि लोग अपना धन उद्योगों आदि में लगायें।

इसके प्रतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने मूल्यों को स्थिर करने के बारे में क्या कार्यवाही की है। सरकार की प्रतिष्ठा इसी पर निर्भर करती है कि वह मूल्यों को स्थिर करने में सफल हों। इसलिए इसके बारे में अवश्य कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमारी अपने ऋण वापस देने की क्षमता बढ़े। व्यक्तिगत रूप से कृषि के बारे में मेरा विचार है कि सरकार ने अपने बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। भारत में उर्वरकों की कीमत सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए इन की कीमतें कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

विदेशी पूंजी के बारे में सभा में दो प्रकार की बातें कही गयी हैं। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। मेरा अपना विचार है कि विदेशी पूंजी तथा ऋणों के बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट तथा निश्चित बनानी चाहिए।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur): Mr. Deputy Speaker Sir, we were in the hope before the presentation of Budget that this would be a socialistic Budget. After the presentation we saw some concessions and were a bit happy. But when we considered those proposals we found that those concessions were only on the paper and no relief was given to common man.

A provision has been made in the Budget for the recovery of black-money. But going through this provision I find that those persons who have earned more and are in the highest income slab will pay only 80 per cent instead of 87 per-cent as is required according to the law. But those who are in lower income slab will pay the Tax at the same rate which is given in the law. So there is no rebate or concession to them. Moreover Finance Minister has provided that if those persons, who are in possession of black-money, will tell this to the Government, till a fixed date then no action will be taken against them. But I think no provision has been made in regard to those Tax-evaders, who will not announce their black-money. Therefore, I want that a provision may be made for penalising those who do not announce their black-money.

Hon. Finance Minister has opened the door for foreign investment in the country. I warn him that by doing this he is repeating the same wrong which was committed by the Moghul emperors. They allowed the Britishers to open their shops and do business. But what they did. They became rulers and we could become independent after many struggles.

Uptil now foreign investors were allowed to invest their capital in the country with some reservation. When these investors established a factory with their capital then that factory will become Indian after a fixed period. But according to the scheme which our Finance Minister has proposed we find that a foreign investor can invest his capital without any restriction and the factory which is thus established will also not be handed over to Indians.

I find that foreign collaboration have also been invited for Hotel Industries. I could not understand why this type of collaboration have been invited. We have our experience in this industry and therefore do not think it advisable to have collaboration in this industry.

In the letter of intent given to these collaborators it has specified that they can invest their money where they want. In other words they can invest their money in Private sector. This is very dangerous. We have seen that America has refused to finance Bokaro if it will be established in Public Sector. This will not be in consonance to our Peace Policy. We find that all those countries where America has invested their money are in trouble and want to get rid of it.

Recently I visited a factory being set up with American help. I found a Board there with the bold letters that it is being set up with the help of America. I asked that what is the reason. They told that that is in the agreement. I presume that after sometime we will walk with the boards on us that we are taking American wheat. By this I want to emphasise that those persons, who will invest their money, will try to force us to change our policy according to their whims.

Government has reduced some excise duty on some things. But if you go to market, you will not find cloth or other things there. Moreover they have changed the names of the varieties and charging more from the consumers.

[Shrimati Subhadra Joshi]

In the end I want to suggest to have control on Banks. I think prices can be reduced by this. I also suggest that General Insurance can also be nationalised and we can earn more. I appeal to the minister to make provisions in the Budget to make it socialistic.

Shri J. Mandal (Khagaria) : I welcome the Budget presented before the house by the finance Minister. This is a surplus Budget but the welcome sign is that he has not adopted the method of deficit financing to have this surplus Budget.

In his Budget proposals he has relaxed excise duty on some things but if these duties would have been relaxed on some consumer goods then it would have been better. Take the case of Kerosene oil. In all the villages of India people use kerosene to light their houses. Therefore, I request that he should remove the excise duty from kerosene so that ordinary and poor men may get relief.

We are facing acute shortage of foodgrains and this is our gravest problem. I think we have enough land but our farmers have not got equipment and fertilizers to produce more. I suggest that our programme for agriculture production may be taken on war footing. Our farmers should be given incentive to produce more. I suggest that in the fourth five year plan we should nake arrangements to irrigate our all land, to provide better seeds, fertilizers to our farmers and to give them interest free loans. I think if we provide all this we can produce more and solve our problem.

In regard to education I want to say that in Bihar you will find backwardness and majority of population illitrate. Three five year plans have been completed but still only 18 percent people are literate. Therefore we should provide free education to all persons and at all levels, during Fourth Five Year Plan I also suggest that the number of holidays in the schools should be reduced and the centres of examinations should not be made in the schools or colleges. In the place of these centres we should construct buildings for having these examinations conducted. These buildings should be constructed at a place which should be a central place for all purposes.

We find that so many technical hands are unemployed. Therefore it is my request that we should provide employment to these experts. I also want that our official language should be Hindi. We should start our official work immediately in Hindi. This is very sad that after so many years of freedom we are still under the influence of English. In the end I say that we should try to uplift our 65 to 70 percent backward people as has been provided in our constitution.

Shri Maurya (Aligarh) : Hon. Vijaya Laxmi Pandit who has travelled all over the world and occupied the highest office in U.N.O., the highest parliament of the world, feels satisfied with socialism and is trying to uproot inequality. I thank her heartily for she is the true servant of humanity.

On the other hand, a boy born in the lap of poverty, who has seen others being exploited and who himself has been the victim of exploitation, feels incapable of even laying the foundation of socialism, after becoming India's P.M.

What is socialism ? It means an end to inequality. The credit for presenting the first surplus budget of the Indian republic goes to Shri T. T. Krishnamachari. But I want to ask the hon. Finance Minister whether it is not a mirage ? I consider this surplus budget nothing more than a mirage. No relief has been provided to the crores of people who comprise 95 percent of the population. This Budget goes counter to the principles of our nation.

In 1955-56 the union excise duty was Rs. 145 crores and in 1964-65 it became 773 crores. The concessions allowed by the Finance Minister under this head are just nominal. Some relief has been given in respect of shoes, spare parts of cycles, vanaspati and cloth. But excise duty has been increased on steel products and copper. In this way the concession given has been neutralised.

This Government, like a businessman, remembers what is due to it but forgets what it owes to others. No relief has been given on almost all the articles of daily use such as sugar, soap kerosene oil etc. of the common man. It would, therefore, be wrong to say that this budget is for the welfare of common man.

There is no stability in the prices of essential commodities. There is lot of fluctuation at present which will continue because of this budget.

I cannot understand the arguments advanced by Shri Bhagat in this connection yesterday. These five year plans are not bearing any fruits and if at all there is any, it is going in the hands of a few people.

It is the middle class which has been provided relief through concessions in income-tax, cloth, vanaspati, shoes and spare parts of cycles. The capitalists have also got some relief by the merger of super-tax into income-tax by limiting the wealth and reducing rates of income-tax at higher levels. Pandit Jawaharlal Nehru had said that as a result of the plans the poor had become poorer and the rich had become richer. May I ask the Finance Minister why he has given income-tax concessions to those people with high incomes and why the companies with high incomes have been given this concession by merging their super-tax with income-tax. This goes counter to the views of the Late Prime Minister.

This budget has given relief to the big industrialists, established companies and to certain new groups but it has not given any relief to the exploited, the poor, the helpless, small farmers, labourers and the primary school teachers. It, therefore, becomes my duty to oppose this budget.

Even today there are crores of people who are dying of hunger, who have no shelter and who are without clothes. Such people have got no relief from the Budget.

[Shri Maurya]

I do not think that the concession in personal taxation is justified. In the name of simplifying the income-tax procedure more benefit is being given to those who are earning more. Justice has not been meted out in this budget to those unmarried persons who are earning two to three thousand rupees.

The deficit budgets which are being presented by states are an indication of great danger. Especially West Bengal has shown a deficit of 17·83 crores, U.P. 14·91 crores, and Bihar 38·94 crores in their budgets. The states had assured the Planning Commission that they would try their best to avoid deficit financing. But now they are presenting deficit budgets. The Finance Minister should try to clarify the situation.

The aid which is given by the centre to the states was 30 per cent in the first five year plan and 50 per cent during the second five year plan and it may become 65 to 66 per cent in the third five year plan. Will it not create a dangerous situation? The Finance Minister should give his views in this matter.

We have started paying back the interest of the loan which we had taken from the foreign countries. In the year 1960-61 we paid Rs. 49·9 crores as interest and Rs. 140 crores in 1964-65 so far we have taken a loan of Rs. 2,200 crores and from America alone we have received six Billion dollars *i.e.* Rs. 2800 crores in the form of loans and aid. I think we are not strengthening our economy this way, we are in fact raising a wall without foundation.

The Government has announced that those people who reveal their hidden wealth till May can keep 40 per cent of the amount declared and those who declare it till 31st March can keep 43 per cent of the amount declared. I think this is not the way a Government should function. They must take strong action against those who have not paid their taxes.

A scheme of this type was started even before and only 23 crores of rupees had come out. There are about Rs. 38,00 crores in the form of black money. It is not given in the budget as to how much money is expected to come out. This policy of leniency encourages even the honest businessmen to be dishonest. About hoarding of foodgrains the Prime Minister had announced that all foodgrains should be brought out within a week ; but nothing happened. This way the black-money will not come out rather it will increase.

There is one Mr. Chaman Lal who has established five companies.

1. Chamanlal and Bros.
2. Chaman Lal (over seas) Ltd.
3. Steel (1957) Pvt. Limited.
4. S. Pvt. Limited.
5. Baster (India) Pvt. Limited.
6. Aryavart Export Corporation.

They exported things made of 'Zari' and fixed their prices very high. It is not known whether they exported anything but they have obtained an import

licence which they have sold out after receiving 200 to 300 per cent more price. This is just an example to show how the black-money goes on increasing.

The Gold Control Order has also not been very effective. Only gold worth Rs. 8 6 crores has come out. The smuggling of the gold is on the increase. The reason is that those people who have got black money smuggle gold from foreign countries and then purchase gold bonds. This way they are able to convert black-money into white money.

I welcome the tax levied on property in the cities. But the Home Minister, Finance Minister and Housing Minister should see to it that by levying this tax, the rents of the houses habitated by middle class and petty businessmen should not increase.

Nobody can deny that there is food crisis. But it cannot be solved by simply giving lectures. The production of foodgrains cannot increase unless the land is given to the tiller and this crisis cannot be overcome till we increase the production.

You have to solve these problems of high cost of living, corruption and unemployment otherwise they can be a source of great trouble for the country in future.

People are making fun of emergency these days. D.I.R. is not being used for the defence of the country but it is being used for the defence of Congress Party. This way instead of democracy we are teaching lesson of autocracy to the coming generation.

The Prime Minister and other top Congress leaders say that the public has not understood the language problem, I want to inform the Prime Minister that when the Ministers in the cabinet are resigning on the language question then the misunderstanding lies in the cabinet and not in the public. If misunderstanding can be removed from the Cabinet that it can be removed from everywhere. There is no misunderstanding in the opposition parties. There should be no doubt about it that Hindi has become the national language and will remain so. It cannot be removed by violence, resignations or conspiracy. Hindi speaking people can return violence with violence. But we do not want to put democracy in danger.

In the end I would like to say that if we want to strengthen our economy we must natinalise the banks. Smuggling must be stopped. Hoarding of food grains should be stopped. General insurance should be nationalised. Foreign trade should be nationalised. Life insurance should bemade compulsory for the middle class, until and unless we do all these things we cannot strengthen our economy. The production of foodgrains will not increase till land is given to the tiller. With these words I oppose the budget.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दक्षिणपंथी साम्यवादी दल की माननीय सदस्या के भाषण मेरे बारे में कहे गये शब्दों पर आपत्ति प्रकट करता हूं । उन्होंने बताया था कि मैंने इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के वार्षिक अधिवेशन में कहा था कि राजनैतिक दलों को चन्दा नहीं दिया जाना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी । मैं तो उस समय दिल्ली में भी नहीं था । ग़लती से समाचारपत्र में मेरा नाम प्रकाशित हो

[श्री कमलनयन बजाज]

गया था। माननीय सदस्या ने इस सम्बन्ध में मेरे बारे में सभा में कहा कि "बिल्ली अब थैले से" बाहर आ गई है। माननीय अध्यक्ष, आप जानते हैं कि कौन 'बिल्ली' है तथा 'थैला' कहां पर है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अन्त में मेरा एक सुझाव आप से है कि यदि सभा में किसी सदस्य के बारे में कोई बात कही जाये तो उसको उसकी सूचना दी जानी चाहिए।

Shri Achal Singh (Agra): Mr. Deputy Speaker, Sir, though ours is a poor country, yet the budget which has been presented for the year 1965-66 is a very heavy one. We are not in a position to spend so much money and bear such higher taxes. There was a time when our budget had been to the tune of Rs. 200/- to Rs. 400/- but now the budget has increased to the order of Rs. 2300 crores. This rise is due to the Chinese attack for which we had to provide such huge funds to defend our country.

Ours is an agricultural country and as such our economy depends on agriculture. But we are in a precarious position as far as agriculture is concerned. There was a time when there was no shortage of commodities in India and all essential commodities such as wheat, sugar, ghee, *gur* and iron were very cheap. Even after the last world war when the price of wheat had gone up from Rs. 2 to Rs. 10 per maund, there were riots in the country, but now when the price has gone up to Rs. 40 to Rs. 60 per maund, nothing has happened. Because the income of the people have increased, the people are in possession of black-money and wages of labourers have increased. As a matter of fact even to-day there is no shortage of foodgrains in our country, but this shortage has resulted from defecive distribution system, existence of zones, controls and restricions on its movement. The prices of fodgrains have gone up and these ptrices vary from state to state because of this zonal system, That is why a lot of smuggling is going on and thousands of Rupees are being offered as bribe. I would, therefore, request that we should do away with the restrictions on movement of foodgrains and sugar immediately, because it leads to unnatural rise in prices. If there had not been the zonal system there would have not been any shortage which we are now exoeriencing. For instance, there was good crop in U.P. last year, but the U.P. Government imposed restrictions on movement of maize from one district to another as a result of which while in one district it was available at the rate of Rs. 3 per maund, the price in other district was Rs. 30 per maund. The rise in prices was due to this defective distribution system. This control system can be successful in small countries like England. but it cannot be successful in such a vast country like ours. It would, therefore, be better if such a control system is done away with.

We find that there the law lessness is on the increase in the country. Shri Kairon was murdered in broad day light. There is increase in cases of robbery on the high way. It is very important that this state of affairs should be set right and the Central Government as well as the State Governments should be very vigilant in this regard. We should educate our people in regard to the rights and duties of citizens of a free country. We should give wide publicity to these things so that the people could understand and follow them in their day to day life. Even the Members of opposition in this House indulge in such sort of things which they should not do. It is, therefore, of utmost importance

that we should tell our people as to what their duties and rights are. It is regretted that our moral standard has gone down. It was the desire of late Mahatma Gandhi to establish *Ram Rajva* in our country after attaining independence so that the people could have a sigh of relief but the picture of our country today is very gloomy. Some efforts are being made to end corruption. Shri Nanda has done well. There is a report of the Santhanam Committee on the subject also. But I am told that success can be achieved with the cooperation of the people. But unless we teach our people as to what their duties are we cannot achieve any success. Otherwise some people of low morals might try to harm us by collaborating with China and Pakistan.

As regards per capita income, some say it is Rs. 200, some say it is Rs. 250 and still some others say it is Rs. 300 whereas per capita tax works out to Rs. 40 or Rs. 45. It is very difficult for our poor country to bear this burden of heavy taxes specially on cloth. Though the excise duty on cloth has been reduced, but the prices of cloth have, on the contrary, gone up. The mill-owners are responsible for this rise and the Government should, therefore, take stringent action against them so that cheap cloth could be available to the people.

So far as planning is concerned, I want to point out that right planning has not been done in respect of agriculture with the result that there is shortage of foodgrains. We are unable to meet our requirements even after spending crores of rupees on import of foodgrains from foreign countries. I hope something would be done in this respect. Unless good seeds, water and manure are made available to farmers, we would not be able to increase our production of foodgrains.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : सरकार का समाजवाद का दावा एक नारे के अलावा कुछ नहीं है । वास्तव में इसने पूंजीपतियों से सभी स्तरों पर समझौता कर लिया है और यही इस आयव्ययक से स्पष्ट होता है । वित्त मंत्री ने जो आयव्ययक प्रस्तुत किया है उसमें 10 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया है परन्तु एक विशेषज्ञ की दृष्टि से वास्तव में 181 करोड़ रुपये का घाटा होगा, क्योंकि पी० एल० 480 निधि से 191 करोड़ रुपये का जो ऋण लिया गया है इससे खतरनाक मुद्रास्फीति होगी । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि क्या वास्तव में यह मुनाफे का आयव्ययक है अथवा घाटे का ? क्या 181 करोड़ रुपये के घाटे वाली बात सही है अथवा नहीं ? उन्होंने कर सम्बन्धी ऋण की नई पद्धति के चालू करने का वचन दिया है उस पर अनेक रोकें नहीं लगायी जानी चाहियें ताकि वह असफल ही होके न रह जाये । कर सम्बन्धी ऋण देना बहुत अच्छा प्रोत्साहन है परन्तु ऐसा न हो कि जो वर्तमान प्रोत्साहन हैं केवल उन्हीं का ही स्थान न ले लें, अपितु इस प्रोत्साहन से जो पहले दिये गये प्रोत्साहनों में जो कमी है वह दूर होनी चाहिये । लोक व्यय का जो अपव्यय हो रहा है उसे रोका जाना चाहिये । यद्यपि माननीय वित्त मंत्री इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं, परन्तु हम जानना चाहते हैं कि अपव्यय की खेदजनक प्रवृत्तियों को रोकने से वास्तव में कितनी बचत होगी । सुना है कि ब्रिटेन सरकार निगम कर को 35 अथवा 37 प्रतिशत तक सीमित करने जा रही है । गैर-सरकारी क्षेत्र में इस बारे में होने वाली निरन्तर गड़बड़ी से बचने के लिये, क्या हम किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते ? वित्त मंत्री पर भी इस बारे में निरन्तर दबाव डाला जाता है ।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

राष्ट्रपति द्वारा कल जारी की गई उद्घोषणा से प्रजातंत्र पर जो कुठाराघात किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए मैं महसूस करता हूं कि इस आयव्ययक पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वह कुछ हद तक अवास्तविक है। हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य अर्थात् केरल में हाल ही में हुए चुनावों पर लाखों नहीं अलबत्ता करोड़ों रुपये खर्च करके विधान मण्डल के सदस्य चुने गये, सरकार ने इन निर्वाचित सदस्यों को सरकार बनाने का अवसर ही नहीं दिया। सरकार ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है और लोगों के अधिकारों तथा असैनिक स्वाधीनता का अन्त कर दिया है। यह प्रजातन्त्र का उपहास है हम तो चुने हुए सदस्य अपनी सरकार के लिये अनुदानों पर मत दे रहे हैं, परन्तु उस राज्य में इस मताधिकार का क्या हुआ। उन्हें इस मताधिकार से वंचित क्यों किया गया है।

श्रीमती पंडित ने ठीक ही कहा है कि सरकार शीघ्र निर्णय न कर सकने की भावना तथा अस्थिरता का शिकार हो गई है। भाषा सम्बन्धी प्रश्न सरकार की किसी निश्चित नीति के अभाव के कारण लटका हुआ है। उन्होंने अपनी कोई नीति ही निर्धारित नहीं की। इसका भी पता नहीं है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को क्या रूप दिया जायेगा। सारे दक्षिणी राज्य, पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्य इस मामले पर क्षुब्ध हैं। कई स्थानों पर भयंकर घटनायें हुई हैं। दक्षिण भारत में एक आश्रम पर जिसका सम्बन्ध भारतीय स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वालों में से एक सेनानी से है, किये गये अपवित्र हमलों की पूरी जांच की जानी चाहिये। तब तक इन सभी उपद्रवों का अन्त नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकार इस अनियमितता तथा अस्थिरता की नीति का त्याग नहीं करती, भ्रष्टाचार के मामलों में भी ठीक इसी प्रकार किया जा रहा है। हमें ऐसी समस्या को दृढ़ता से हल करना चाहिये। विधि मंत्री कहते हैं कि वह इस दस्तावेज़ को नहीं देखेंगे कि वह सही है अथवा नहीं। ऐसी बातें करने से शंका पैदा होती है कि सरकार इस समस्या को उचित रूप से नहीं सुलझाना चाहती। भ्रष्टाचार के यह आरोप केवल दो मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि यह तो समूचे मंत्रिमंडल के विरुद्ध थे। परन्तु सरकार का निर्णय निराशाजनक है। इसीलिये मैं कहता हूं कि भाषा के प्रश्न पर सरकार को अपनी निश्चित नीति बनानी चाहिये। हम किसी भारतीय भाषा के विरुद्ध नहीं हैं। एक विदेशी भाषा को अपनाने में हमें कोई गर्व नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि कोई भाषा राज्यों पर थोपी जायेगी तो वहां गड़-बड़ी होगी। अतः भाषा को न थोपने के बारे में कानूनी गारन्टी दी जानी चाहिये।

राष्ट्रपति द्वारा केरल के बारे में जारी की गई उद्घोषणा संविधान के विरुद्ध है। ऐसी उद्घोषणा जारी करने के लिए एक शर्त यह है कि सरकार का संविधान के अनुसार कार्य न कर सकना। परन्तु केरल में तो सरकार को बनने ही नहीं दिया गया, बहुसंख्यक दल के नेता को सरकार बनाने का अवसर ही नहीं दिया गया। ऐसा निर्वाचकगण से बदला लेने की भावना से किया गया है क्योंकि वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और कांग्रेस मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य चुनावों में हार गये हैं। भारतीय रक्षा नियमों के अधीन विधान सभा के 28 सदस्यों को जो गिरफ्तार किया गया है, यह आपात शक्तियों का दुरुपयोग है। जब वहां पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं और वहां पर चुनाव प्रजातंत्रात्मक तरीके से कराये गये हैं जिसके अनुसार कांग्रेस हार गई है, फिर भी वहां पर अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। जब किसी राज्य में सरकार अपना कार्य संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं कर सकती तब तो हम इस शक्ति का सहारा ले सकते हैं इससे सपष्ट है कि वहां पर एक सरकार होनी चाहिये। परन्तु जब वहां सरकार को अपना कार्य करने ही नहीं दिया गया तो केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू करना बिल्कुल अनुचित

है। इस प्रकार सरकार प्रजातंत्र का उपहास कर रही है। संविधान में विहित शर्तों को बिना पूरे किये केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। राज्य के राज्यपाल, केन्द्रीय प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वे राष्ट्रपति को ऐसे संविधान विरोधी कदम उठाने का परामर्श दें। पहले भी इस प्रकार की उद्घोषणाएं पंजाब, पटियाला पूर्वी पंजाब राज्य संघ, आन्ध्र प्रदेश, त्रावनकोर-कोचीन, केरल तथा उड़ीसा में जारी की गई थीं परन्तु वहां पर पहले से सरकारे थीं जो संविधान के अनुसार कार्य न कर सकीं जिसके फलस्वरूप इन शक्तियों का उपयोग किया गया था। परन्तु अब जब कि लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है तो उनको पहले सरकार तो बना लेने दी जाती। यदि वह सरकार अपना कार्य संविधान के उपबन्धों के अनुसार न कर पाती तो तब उसे भंग करने तथा राष्ट्रपति का अनुशासन लागू करने की बात समझ में आ सकती थी। परन्तु अब वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करने का अर्थ यह है कि क्योंकि कांग्रेस दल की वहां हार हो गई है इसलिये वे नहीं चाहते कि वहां कोई अन्य दल अपनी सरकार बना सके। इसी प्रजातंत्र को, जिसकी एशिया में स्थापना एक महत्वपूर्ण बात है, बचाने के लिये ही तो हमने चीन से मुकाबला करने की ठानी थी और अब हमारी अपनी सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। यह जो कुछ किया गया है हमारे संविधान के विरुद्ध है। केरल के राज्यपाल, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दूरुपयोग किया है और गृह मंत्री ने भी राष्ट्रपति को संविधान विरोधी पग उठाने का परामर्श देकर एक बहुत बड़ी गलती की है।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को उस द्वारा प्रस्तुत किये गये आयव्ययक के लिये धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस वर्ष पिछले 10 वर्षों की तरह करों में वृद्धि न करके इसके विपरीत आय-कर में तथा निगमित क्षेत्र को कुछ रियायतें दी गई हैं जिसके फलस्वरूप कपड़ा, साइकल के पुर्जों और वनस्पति तेलों के मूल्यों में कमी हो गई है।

वित्त मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि वह विनियोजन को अधिक प्रोत्साहन देना चाहते हैं परन्तु निगमित क्षेत्र को अथवा आय-कर में जो रियायतें दी गई हैं इससे कोई विशेष बचत नहीं होगी जिसको अंशों अथवा निगमित क्षेत्रों में समवायों में लगाया जा सके। सामान्यतया ब्याज अथवा अंशों पर लाभांश लगभग 6 1/2 से 8 प्रतिशत मिलता है। परन्तु जैसा कि समाचारपत्रों से पता चलता है, अच्छे और प्रथम श्रेणी के समवाय 12 और 13 प्रतिशत ब्याज देने की पेशकश करते हैं। जब ऐसे अच्छे समवाय 12 से 13 प्रतिशत ब्याज देने के लिये तैयार हैं तो साधारण अंशों में 7 अथवा 8 प्रतिशत के ब्याज पर कौन अपना पैसा लगाना चाहेगा। अतः मेरे विचार में निगमित क्षेत्र में इस थोड़ी सी बचत से विनियोजन के लिये अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एक ओर तो सरकार इस बात को प्रोत्साहन देना चाहती है कि अधिक से अधिक विनियोजन हो और दूसरी ओर थोड़ी सी रियायत देने में हिचकिचा रही है। सरकार को लाभांश तथा बोनस कर का अन्त कर देना चाहिये ताकि लोगों को विनियोजन करने में वास्तव में प्रोत्साहन मिले। कम से कम 10 प्रतिशत तक लाभांश कर नहीं होना चाहिये। पूंजी लाभ कर भी विनियोजन को सीमित कर रहा है। अतः इसको भी समाप्त कर देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि बाज़ार में पूंजी की कमी है। बैंकों द्वारा ऋण की सीमा को पुनः 75 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र का होना आवश्यक है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र वाले कुछ उद्योगों जैसे उर्वरक, इस्पात तथा अन्य उद्योगों में इतनी राशि नहीं लगा सकते। परन्तु हमें यह

[श्री रामेश्वर टांटिया]

देखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में समवायों को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है । एक अधिकारी को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय और फिर वहां से हिन्दुस्तान स्टील, फिर वहां से हैवी इंजीनियरिंग और वहां से हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़ में भेज दिया जाता है जैसे वह हरफ़न मौला हों । इससे कार्यकुशलता नहीं बढ़ती है । ऐसा करना उचित नहीं है । अतः भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) की तरह सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वालों का एक पूल बनाया जाना चाहिये जिससे वे उद्योगों के चलाने के बारे में कुछ सीख सकें । सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 2,100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जिसमें से 800 करोड़ रुपये की पूंजी हिन्दुस्तान स्टील में लगी हुई है । यदि हिन्दुस्तान स्टील से कुछ वर्षों तक हानि भी होती है तो कोई बात नहीं है । परन्तु फिर भी हमारे इस्पात का मूल्य संसार भर में सब से अधिक है । श्रमिक लागत भी कम है, कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, फिर भी मूल्य सब से अधिक है । हैवी इंजीनियरिंग, रांची की स्थिति संतोषजनक नहीं है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने भी कोई विशेष लाभ नहीं दिखाया है । वित्त मंत्री को इन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों के कारण हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है । उदाहणार्थ इण्डियन एयरलाईज़, डिब्रूगढ़ की एक लारी के रबड़ का पाईप खराब हो गया इस पर 10 रुपये का कुल खर्चा था परन्तु इस खर्चे की मंजूरी बड़े अधिकारियों से लेने के लिये एक मास लग गया । इस बीच में उन्होंने 2,000 रुपये में एक और लारी किराये पर ली । इस प्रकार इन विलम्बों के कारण 10 रुपये के स्थान पर 2,000 रुपये खर्च करने पड़े । इस प्रकार की हानि रोकने के लिये छोटे कर्मचारियों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें जिससे वे ऐसे छोटे काम अपनी जिम्मेदारी पर करा सकें । सरकार को इस प्रकार के अपव्यय को रोकना चाहिये ।

जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि हो रही है । प्रत्येक वर्ष देश में 1,20,00,000 लोग बढ़ जाते हैं । इन के लिये मकानों की आवश्यकता होती है । परन्तु सीमेंट तथा अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है । हमने सीमेंट के कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस तो दिये हैं परन्तु काम किसी ने भी चालू नहीं किया; क्योंकि विनियोजन के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है । परिणाम यह निकला है कि सीमेंट का अभाव हो गया है । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र सीमेंट के कारखाने स्थापित नहीं कर रहा है तो इनको सरकारी क्षेत्र में खोला जाना चाहिये । सरकार को उर्वरक कारखाने स्थापित करने चाहियें जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो । इसी प्रकार अखबारी कागज़ के कारखाने भी लगाये जाने चाहियें ।

93 प्रतिशत व्यापारी गरीब हैं अतः उन्हें अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें । परन्तु कर अपवंचन करने वाले व्यापारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये । जिन लोगों ने चीनी बैंक से धन लिया है उनको देश के हित में उचित दण्ड दिया जाना चाहिये, क्योंकि वे देशद्रोही हैं, चाहे वे केरल के साम्यवादी हैं अथवा अन्य, इन सब को दण्ड दिया जाना चाहिये ।

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली-सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये आयव्ययक का स्वागत करता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये कुछ कदम उठाये हैं । फिर भी जीवनयापन देशनांक में वृद्धि

होती जा रही है और इसका प्रभाव विशेषतया भूमि-हीन मज़दूरों, जो समाज के पिछड़े हुए वर्गों में आते हैं, हरिजनों, निश्चित आय वाले ग्रुपों, दुकानों पर सहायकों, सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों पर पड़ता है । यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वित्त मंत्री द्वारा सुझाये गये कदमों से आगामी वर्ष में मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । परन्तु सामान्यता यह देखा गया है कि गत कुछ मासों में दिल्ली और देश के अन्य भागों में हाउस सर्जनों, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के वेतनक्रमों में वृद्धि करने के बारे में आन्दोलन किये गये हैं । अध्यापक वेतनक्रमों में समानता, वृद्धावस्था पेंशन और सेवा की सुरक्षा के लिये कह रहे हैं । पहले कि वे कोई आन्दोलन शुरू करें, हमें उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि यदि उनके आन्दोलन शुरू करने के पश्चात् हम उन्हें कोई रियायतें देते हैं तो उससे शान्तिप्रिय लोगों को हानि होती है ।

माननीय मंत्री के विनियोजन सम्बन्धी वातावरण को उत्तेजित करने के लिये वित्त मंत्री ने प्रयत्न किये हैं । इस मामले में हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिये । इस मामले में हमारा अपना ढंग है और तीसरी योजना के उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हम सरकारी, गैर-सरकारी तथा निगमित क्षेत्र के बीच एक सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं । हमारी अर्थव्यवस्था स्वयंजनित्र तथा आत्मनिर्भर होनी चाहिये । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि धन कुछ लोगों के हाथों में ही इकट्ठा न हो जाये । उत्पादन वृद्धि से हुए लाभों का समाज के सभी वर्गों में आवंटन होना चाहिये । मंत्री जी के प्रस्तावों का आधार यही है और विरोधी दल के सदस्यों द्वारा जो कुछ कहा गया है वह निराधार है । मुझे आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिये गये अपेक्षित उद्देश्यों में सफलता मिलेगी और हमें इस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी । यह सच है कि सरकारी उपक्रमों से बहुत अच्छा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिये योग्य कर्मचारियों की कमी है । फिर भी सरकार उनको सुचारु रूप से चलाने के लिये ध्यान देती रही है । उनसे होने वाले लाभों में वृद्धि हो रही है, परन्तु उन का विकास बहुत धीमी चाल से हो रहा है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । उत्पादन में वृद्धि करने के लिये विनियोजन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये । बिना उत्पादन में वृद्धि किंये हम अपने देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं कर सकते । खेद है कि हम तीसरी योजना के लोहा तथा इस्पात, औद्योगिक मशीनें, सीमेंट, उर्वरक, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, कागज़, अखबारी कागज़ तथा कपड़े सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे । इससे कई समस्यायें पैदा हो जायेंगी और अन्ततोगत्वा हमारी राष्ट्रीय आय की उन्नति में बाधा पड़ेगी । योजना के तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय अनुमानिता 15 प्रतिशत होने की बजाय लगभग 9 1/2 प्रतिशत ही हो पाई है । देश में अलोह धातुओं की कमी है । कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में उद्योगपतियों का उचित मार्गप्रर्दश नहीं किया जाता है । दिल्ली में 15,000 कारखाने हैं । परन्तु दिल्ली प्रशासन 4000 से अधिक कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है । इसका परिणाम यह है कि बहुत सारे कारखानों की क्षमता बेकार पड़ी रहती है । इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में लगभग दो लाख बेरोज़गार थे । अनुमान लगाया गया था कि तीन लाख लोगों के लिये रोज़गार के अवसर निकाले जा सकेंगे । परन्तु तीसरी योजना के दो वर्षों में लगभग 45,000 अवसर दिये गये । मार्च, 1964 के अन्त में नौकरी पाने वालों की संख्या 90,000 थी जब कि 31-3-1963 को ऐसे 80,000 व्यक्ति थे ।

[श्री शिवचरण गुप्त]

31-3-1963 को शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 48,621 थी जब कि 1953 में इन की संख्या 10,670 थी । अतः शिक्षित बेरोज़गारों में काफी वृद्धि हो गई है । उद्योगीकरण बहुत धीमी चाल से किया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में दशा अब भी खराब है । देश में गृह-उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कोई प्रगति नहीं की गई है । गृह-उद्योगों, ग्रामोद्योगों, छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्रों को निर्धारित नहीं किया गया है । इन सभी में एक ही प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही हैं। चूंकि एक छोटा एकक बड़े पैमाने के एकक का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिये सरकार ने खादी जैसी चीज़ों के लिये वित्तीय सहायता देने की योजनायें चालू की हैं। इसका परिणाम यह निकला है कि ग्रामों में करोड़ों भूमिहीन श्रमिकों के पास जीवनयापन के साधन ही नहीं हैं । उनकी दशा शोचनीय होती जा रही है अतः इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिये संसद सदस्यों तथा विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति की जानी चाहिये जो यह विचार करे कि बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग कैसे किया जाय, घरेलू तथा ग्रामोद्योग का विकास कैसे किया जाये और काम के अधिक अवसरों की व्यवस्था कैसे की जाये ।

जब भी बजट पर चर्चा होती है तो प्रतिरक्षा तथा विकास पर ध्यान दिया जाता है । लोक लेखा समिति ने इस बारे में अपने प्रतिवेदन में कहा है कि किस प्रकार मंजूर हुए धन का उपयोग नहीं किया जाता । प्रतिरक्षा मन्त्रालय को अपना बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उतना ही धन मांगा जाय कि जिसकी वास्तव में आवश्यकता है । लद्दाख तथा नेफ़ा आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहे विकास कार्य में वृद्धि होनी चाहिये । इन क्षेत्रों के लिये जो राशि रखी गई है वह कम है उसमें वृद्धि होनी चाहिये । इन क्षेत्रों का विकास हो जायेगा तो लोग वहां पर जायेंगे जिससे रक्षा व्यवस्था में काफी सहायता मिलेगी वहां की स्थानीय जनता में भी विश्वास की भावना उत्पन्न होगी । वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है परन्तु अभी मूल्य उचित दामों पर नहीं आये हैं । सरकार को वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को और अच्छा बनाना चाहिये । मैं वित्त मन्त्री के रियायतों वाले प्रस्तावों का स्वागत करता हूं । मैं आशा करता हूं वह देश की निर्धारित नीति से नहीं हटेंगे ।

Shrimati Minimata (Baloda Bazar) : Sir, I am disappointed over this Budget. We have decided to establish socialism. This Budget does not show any incilnation for socialistic ideas.

{ श्री सोनावने पीठासीन हुए / **Shri Sonavane** in the Chair }

It is very regrettable that we are inviting foreign capital. We should be able to stand on our own legs. This we can do only when we increase our industrial and agricultural production. There is no provision for giving encouragement to agricultural provision. I suggest that a separate plan should be formulated for Agriculture. We are spending crores of rupees on import of foodgrains. We should make special efforts boost the agricultural production. Our farmers are capable of increasing agricultural production. We should pay special attention to this Agriculture is the basic thing.

Madhya Pradesh is an agricultural State. This state supplies rice to other states. Production of wheat is not satisfacoty there. It is because irrigation facilities are not adequate there. Government should help the state Government should help the state in this regard. Then we will be able to produce wheat in large quantity. In Madhya Pradesh we require 12,000 tons of sugar but actually we get 600 tons. How can it be sufficient ? All the facilities are provided to urban areas and the rural areas remain neglected. I would request the Government to pay more attention to the villages. Madhya Pradesh Government had asked for setting up of ten Sugar Mills in that State but nothing has been done by the Central Government on this demand.

There is scope for bringing thousands of acres of land under cultivation under Chambal plan. Central Government should give assistance. The displaced persons who have settled there can be very good farmers. Madhya Pradesh has great forest wealth. It can be utilised, if Cental Government gives some subsidy. It is reported that the proposal to start a fertilizer factory at Korba has been dropped. It is great injustice to Madhya Pradesh. This state is being neglected. The office of M.P. Postmaster General is located at Nagpur which is Maharashtra. It should have been shifted to Bhopal at the time of reorganisation of states.

Madhya Pradesh Government had asked for more funds for education. Dhebar Committee had also recommended that more amount should be allocated for backward areas. Nothing has been done by the Central Government in this connection.

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur) : This is the first Budget session of this House when our beloved leader Shri Nehru is not here. The responsibility of our leaders has increased with the death of Shri Nehru. It is gratifying that a surplus Budget has been presented this year. High prices of essential commodities are a source of dissatisfaction in people. Something positive should be done in this connection. Some relief has been announced in taxes. It is very welcome step and the Finance Minister should be paid compliments for this. I hope he will take action against profiteers, who indulge in anti-social activities. He has announced some measures to increase production. He has given relief in taxes to individuals. It is a good step. I appeal to the Minister to instruct the officers of Income Tax department to be liberal. They unnecessarily harrass the public.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

I do not agree with the proposal for voluntary disclosure of black money. They should unearth all black money without fear or favour. It will be a good step towards eradication of corruption. In order to increase agricultural production we should provide all facilities to the farmers. So far as the question of language is concerned I would say Hindi has been declared as official language and now it is our duty to abide by this delcaration and decision.

Shri Parashar (Shivpuri) : I welcome the Finance Ministers' proposal regarding relief on Salt tax. By doing this he has fulfilled Gandhiji'st desire. It is never too late to mend. It is a step in the right direction. If we want to establish we should ensure the supply of essential commodities at reasonable rates.

Governments is discouraging construction of houses as also other urban property in the cities. It will complicate the housing problem all the more. I welcome the measures announced in regard to simplification of personal taxation. It will help our people a great deal. Then they have introduced a scheme of certificates regarding tax structure. Some relief has been announced in excise duty also. This concession should be given to textile industry as well. If we want to boost our export these concessions should be given to exportable items.

In regard to defence of the country, I would like that our country should also manufacture atom bomb. It is correct that we have an undertaking to Canada that we will use atomic energy for useful purposes, but we can make atomic bombs by our own effort. Our first priority should be the defence of our country. Our Prime Minister has said that for the present we are not thinking over this. I cannot understand this. We should make a categorical announce ment that we will make atomic bombs for defence of our country.

I would like that special attention may be paid to the development of backward of Madhya Pradesh. The proposed fertilizer factory may be set up at Korba. A bridge on river Chambal may be constructed at Pali.

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई-उत्तर): मैं अपने भूतपूर्व सहयोगी वित्त मन्त्री को इस बजट पर बधाई देता हूं । वह संगीत में रुचि रखते हैं । इसी लिये वह विभिन्न धुनों को भी जानते हैं । उन्होंने अपनी नीतियों द्वारा हम धोखा नहीं दिया है । किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं किया गया है । जो भी परिवर्तन किये गये हैं वे आर्थिक सम्बन्धों में ही किये गये हैं । इस बार बहुत सी रियायतों की भी घोषणा की गई है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार हमारे सामने राजस्व और व्यय का विवरण आया है। परन्तु वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के पृष्ठ 14 पर कहा है कि बजट केवल एक विवरण ही नहीं परन्तु आर्थिक नीति के बारे में वक्तव्य है । सभा के समक्ष एक सर्वेक्षण भी रखा गया है जिसमें देश की आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है । इस बजट को कुछ लोगों ने घाटे का तथा कुछ ने फालतू बजट कहा है । इस को आप जैसे चाहे कह सकते हैं । एक सन्तुलन पत्र में सब चीजें सन्तुलित रूप में दिखायी जाती हैं । हमें अपनी प्रगति को आंकने के लिये अन्य चीजों को देखना है । हमें देखना है कि हमारा उत्पादन कितना बढ़ा है । उसका हम जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है । हमारा सामाजिक विकास कितना हुआ है और विश्व में शान्ति स्थापना केलिये हमने क्या योगदान दिया है । आधुनिक विकास की ये बातें ही कसौटी है । हमें मानना होगा कि हमारे देश ने पिछले वर्षों में बहुत प्रगति की है । हमारे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है । इन क्षेत्रों में लोगों को अधिक संख्या में रोजगार मिला है हमारे गैर-सरकारी क्षेत्र ने बहुत अधिक प्रगति की है । इस को और बढ़ाना होगा । ऐसा करने पर ही सामा-जिक न्याय की स्थापना की जा सकती है । वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में उन बातों का उल्लेख किया है जो हमारे देश के सामने हैं जैसे कि लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है । हमें अपनी योजनायें बनाते समय सावधान रहना चाहिये कि कहीं हम किसी की दासता में फंस न जायें ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

MR. SPEAKER *in the Chair.*

हम पहले तो आत्म निर्भरता की बात करते थे परन्तु अब हम विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं । मैं इस को समझ नहीं पाया । यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास साथ साथ नहीं चल सकते । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।

इस अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य उस लक्ष्य के नितान्त विपरीत है जिसका प्रचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है ।

आज हमारे देश की जितनी भी राष्ट्रीय आय है, उसका 45 प्रतिशत कृषि से आता है । देश के 90 प्रतिशत लोग कृषि से ही पेट पालते हैं, 630 लाख परिवार इस विशाल देश में कृषि पर आश्रित हैं । देश के 570000 गांवों में खेती होती है । इसके अन्तर्गत और भी अनेकों लोग काम पाते हैं । परन्तु इस बारे में कोई आर्थिक नीति का निर्धारण नहीं किया गया । माननीय मन्त्री महोदय के भाषण के 38 पृष्ठों में से केवल आधा पृष्ठ इसके लिये दिया गया है । उर्वरकों तथा उत्पादन का उल्लेख अवश्य है परन्तु कोई आर्थिक नीति का ल्लेख नहीं । आर्थिक नीति वक्तव्य में भी इस मद का उल्लेख नहीं किया गया । ग्रामीण उद्योगीकरण का भी कोई उल्लेख नहीं । कोई ऐसा चित्र हमारे समक्ष नहीं कि हम यह महसूस कर सके कि कृषि क्षेत्र में कुछ हो रहा है । हमने 3000 लाख पौंड के उर्वरकों का आयात प्रति वर्ष किया है क्या इनसे कुछ लाभ इस दिशा में हुआ है । देश में लगता है एक प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद चल रहा है । और यह पीछे की ओर से घुस रहा है ।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के काल में हमने एकाधिकारों पर वार किया था, और इससे जो भी परिणाम होते थे, उन पर लोग विचार करते थे ताकि इस दिशा की कठिनाइयों को दूर किया जा सके । वित्त मन्त्री कहते हैं कि बैंक ऋण उपलब्ध नहीं है। परन्तु भारी मात्रा में धन राशियां आ रही हैं। इस पर भी यदि स्टाक बड़े नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि धन दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है जहां कि लोगों को अधिक लाभ की आशा है । इस प्रकार की परिस्थिति के कारण ही लोग स्टाक नहीं खरीदना चाहते । अतः मेरा मत यह है कि यह कहना प्रायः गलत ही है कि ऋण उपलब्ध ही नहीं हो रहे । कोई कारण नहीं कि बाहर से लोग आकर हमारे देश में विकास का कार्य करे । हां यदि विदेशी पूंजी सरकार के माध्यम से आये तो दूसरी बात है । देश के ८५ रसायनिक उद्योगों में से ३५ ऐसे हैं जो विदेशी सहयोग से चल रहे हैं । उनकी औसतन आय २५ प्रतिशत है पांच वर्षों में उन्हें अपनी सारी पूंजी मनाफे में उपलब्ध हो जायेगी ।

धन के उचित लेखे रखने की दिशा में यह भी किया जा सकता है कि कुछ बड़े बड़े व्यापार संस्थों से शक्ति वापस ली जाये । आज यह समय आ गया है कि देश के वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, किसी सिद्धान्त के कारण नहीं परन्तु असमता के कारण । यदि इन वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये तो बैंक हमारे समाज का एक अंग बन जायगा । यदि अमरीका में 'यूनिट बैंकों' का विकास हो सकता है तो यह यहां भी सम्भव है । ये गर-सरकारी हो सकते हैं और एकाधिकार वाले नहीं । यदि ऐसा किया गया तो जनता को बैंक सम्बन्धी सुविधायें मिल सकती हैं क्योंकि आने जाने के साधनों का बहुत अभाव है ।

इसका कोई औचित्य नहीं है कि लोग बाहर से आये और हमारे देश का विकास करें। विदेशी धन रसायन, पट्रोलियम और इंजीनियरी आदि विशेष उद्योगों में लगाया जा रहा है। विदेशी धन भारत में नहीं आना चाहिये जब तक कि उस प्रकार का धन सरकार के माध्यम से न आये। कोई भी देश विदेशी सहायता के बिना विकसित नहीं हो सकता। परन्तु १७ वर्ष के हमारे विकास के पश्चात् तथा तीसरी योजना के आरम्भ में प्रगति की और अग्रसर होने की बात करने के पश्चात् हम ऐसी स्थिति में हैं जब हमारे लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वित्त मन्त्री चौथी योजना को छोटा न करने की बात कहने के लिए भी बधाई के पात्र हैं। वास्तव में इसे छोटा किया ही नहीं जा सकता क्योंकि तीसरी योजना के काम में गति आ चुकी है तथा जनसंख्या भी बढ़ गई है।

कुछ परियोजनाएं जिन्हें पांच वर्षों में ही पूरा होना चाहिये था, अभी तक चल रही हैं। इस अवधि में हम उपकरण तथा फालतू पुर्जे आदि जुटाते रहे हैं और इस सारी अवधि में हम तानाशाही तरीके ही अपनाते रहे हैं। इसलिये समय आ गया है जब सरकार को तकनीकी जानकारों की एक समिति बनानी चाहिये जिसका सम्बन्ध न तो सरकार से हो और न ही संसद् सदस्यों से ही हो। परन्तु इस समिति में अर्थशास्त्री तथा तकनीकी जानकार हों जो गत १० वर्षों में इन सभी मामलों पर हुई कार्यवाहियों पर रिपोर्ट दें। उन्हें यह भी बताने की आज्ञा हो कि योजना काल में क्या कुछ किया जा चुका है।

सरकारी उपक्रमों की इतनी बड़ी संख्या तथा इस आशा की दृष्टि से कि यह उपक्रम प्रगति कर के हमारे राष्ट्र की आय का एक मुख्य स्रोत बन जाएंगे इसलिये इनके लिए एक अलग- आय-व्ययक पेश करना क्या विचार योग्य नहीं है ? समय आ गया है जब हमें देखना होगा जनसंख्या के साथ साथ कृषि भी बढ़े। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो इसकी प्रगति के साधन जुटाने होंगे। प्राकृतिक माल की बहुत बड़ी मात्रा को वैज्ञानिक तरीके से बड़ पैमाने से औद्योगिक आधार पर संगठित करना होगा ताकि चाहे वह खाद प्राकृतिक हो अथवा हरी हो, यह वैज्ञानिक अधिकार में आ सकें।

देश भर में ७०० से ९०० लाख एकड़ भूमि व्यर्थ पड़ी है केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य स्थानों में भी स्थिति यह है। सरकार को इस भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए। लाखों रुपयों का विदेशों से मंगाने के स्थान पर यदि इन्हें प्रोत्साहन दिया जाय तो काफी मात्रा में अनाज का उत्पादन हो सकता है। ये व्यर्थ पड़ी भूमि सोना उगल सकती है और यहां अन्न के भंडार बन सकते हैं।

मेरा मत यह है कि सामान्यतः इस बजट को धनियों का बजट कहा जायेगा। जो भी राहत दी गयी है उसका उपभोग छोटे लोग नहीं उठा सकते। इस बात को भी हमें महसूस करना चाहिए कि प्रत्यक्ष कर जनसंख्या के केवल बहुत थोड़े भाग पर ही लागू होते हैं। हर चीज अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत आ जाती है और प्रत्येक व्यक्ति इन करों को अदा करता है। कर का भार धनी व्यक्तियों के मुकाबले में निर्धन व्यक्तियों पर अधिक है। अतः सामाजिक न्याय की दृष्टि से हमारे लिए यह निर्धारित करना बड़ा ही आवश्यक है कि क्या इस भार को इस तरीके से नहीं डाला जा सकता है। गांधीजी नमक कर के विरुद्ध थे क्योंकि इसका भार सब को सहन करना पड़ता था। अंग्रेजों के जमाने में एक नमक कर था परन्तु अब तो कितने ही ऐसे कर हैं। हमें किसी ढंग से इन करों का भार सामान्य व्यक्ति पर से कम करना चाहिए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह बहुत जरूरी बात है। जो ढंग अपनाया गया है उससे ऐसा हो सकना सम्भव दिखाई नहीं देता।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैंने श्री मसानी और श्री कृष्ण मेनन के भाषण सुने हैं। दोनों दो विचारधाराओं के प्रतीक हैं जो कि परस्पर विरोधी हैं। मेरे विचार में दोनों की मूल विचारधारा विदेशी है। वे एकता पैदा करते करते विघटन कर बैठते हैं। बजट पर बोलते समय ये दोनों व्यक्तिगत कारणों के कारण भी कुछ अधिक जोश व्यक्त करते हैं। परन्तु इस सब के बावजूद मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं उन समस्त माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सामान्य विवाद में भाग लिया है। इस बार मैंने बजट प्रस्थापनाओं में ठोस बातें रखी हैं। विकसित हो रही आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। मैंने कुछ रियायतें देने का भी प्रयत्न किया है।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारी सफलताओं को तुच्छ बताने और उन्नति के प्रति आंखें मूंद लेने की प्रवृत्ति निन्दनीय है। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भारतीय उद्योगों ने एक योजना से दूसरी योजना में उत्तरोत्तर प्रगति की है। समूचे रूप से कृषि उत्पादन सम्बन्धी हमारी सफलतायें बहुत से अन्य देशों की तुलना में अच्छी रही हैं। वर्तमान वर्ष में 8 करोड़ 70 लाख टन कृषि उत्पादन होने की आशा है। राष्ट्रीय आय में प्रगति की दर, जो योजना के दो पहले वर्षों में 2.5 प्रतिशत थी, प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार तीसरे वर्ष में और 1964-65 में बढ़ कर 4.5 प्रतिशत हो गई है। वास्तव में, समूचा विकास लगभग 7 प्रतिशत हो चुका है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास संतोषजनक नहीं है।

तीनों योजनाओं के दौरान हमने सिंचाई पर लगभग 1417 करोड़ रुपया खर्च किया है। तृतीय योजना के पहले चार वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण पर लगभग 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। इसी अवधि के दौरान लगभग 104 करोड़ रुपये के उर्वरक खरीदे गये थे। चौथी योजना को समाप्त करने और तृतीय योजना को पांच वर्ष से बढ़ा कर सात वर्ष कर देने के स्वतंत्र दल का सुझाव हम स्वीकार नहीं कर सकते। वह दल कुछ भी कहे, चौथी योजना रहेगी जिसके लिए विनियोजन में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में इतना विश्वास है कि हम यह कहने के योग्य हो सकें कि विनियोजन में वृद्धि इस प्रकार से की जायेगी जिससे मुद्रास्फीति न हो।

यह आलोचना उचित नहीं है कि इस आयव्ययक से हमारा समाजवाद से पीछे हटना स्पष्ट होता है। यह आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस दिशा में की गई कार्यवाही तथा प्रयत्न स्पष्ट हैं। क्या कराधान में दी गई सामान्य राहत शहरी सम्पत्ति पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर और घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति से बचने के प्रयत्न समाजवाद के विरुद्ध हैं?

यदि आयव्ययक पर उत्तेजनारहित विचार किया जाये तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह बात समाजवादी विचार या औद्योगिक नीति के संकल्प के विरुद्ध है। यदि अप्रत्यक्ष करों को समाप्त भी कर दिया जाये तो वर्तमान वितरण पद्धति के कारण जन-साधारण को वस्तुएं सस्ती नहीं मिलेंगी। वास्तव में आज अप्रत्यक्ष कर आवश्यक और उपयोगी हो गये हैं। वह चौथी योजना के लिए सामान की व्यवस्था करने के कारण उपयोगी है और उपभोग पर रोक लगाने की दृष्टि से आवश्यक है।

देखना यह है कि हम ने सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया है अथवा नहीं ? हमने न केवल आधारभूत उद्योगों को इसके अन्तर्गत लिया है, प्रत्युत और मामलों में भी इस दिशा में चल रहे हैं। समाजवाद का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि गैर सरकारी क्षेत्र को कुछ करने ही न दिया जाय। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कोई बहुत बड़ी समस्या के हल हो जाने की आशा नहीं ।

यदि किसी ने मेरे बजट प्रस्तावों की निष्पक्ष जांच की है तो वह इन्हें सरकार के समाजवादी आदर्शों तथा औद्योगिक नीति से भिन्न नहीं पायेगा।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मैंने प्रच्छव बजट पेश किया है, क्योंकि बजट पेश करने से दस दिन पहले मैं ने विनियामक सीमा-शुल्क लागू किया था। मुझे यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि फरवरी में मुझे सीमा-शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी थी। यद्यपि सत्र के पहले दिन कोई कार्य नहीं किया जाता, फिर भी मैंने 17 फरवरी को उन प्रस्तावों की घोषणा कर दी थी। यदि सरकार किसी उपाय को आवश्यक समझती है तो यह उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि उसे तुरन्त लागू करे।

मैं घाटे के बजट की परिभाषा के वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु मेरा दावा यह है कि पिछले कुछ बजटों से मेरा बजट कम स्फीतिकारी है। बुद्धिशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्फीति न केवल आवश्यक है बल्कि वांछनीय है। परन्तु देश की स्थिति को देखते हुए अब यह आवश्यक हो गया है कि स्फीति की नीति में परिवर्तन किया जाय।

हमने इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा दीर्घावधि ऋण की मात्रा में कमी कर दी है। तथापि, माननीय सदस्य सहमत होंगे कि नकदी अतिरेक में कमी करके घाटे का बजट न बनाना और रिजर्व बैंक को राज हुंडियां देकर हम ने पिछले कार्यक्रम की अपेक्षा कुछ प्रगति की है।

राजस्व लेखे के अतिरेक को लोक बचत कहते हैं। सरकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए, यह वांछनीय है कि लोक बचत में प्रति वर्ष वृद्धि हो। सदस्यों को बजट का आर्थिक वर्गीकरण पहले ही किया जा चुका है। इस वर्गीकरण से यह पता चलता है कि उपभोग व्यय में कमी करने के कारण केन्द्रीय सरकार की बचत इस वर्ष के 181 करोड़ रु० से अगले वर्ष मे 277 करोड़ रुपये हो जायेगी।

पी० एल० 480 के सम्बन्ध में भी काफी गलत भावना विद्यमान है। वित्त मंत्री होने के नाते मैं भी अनाज के आयात पर विदेशी मुद्रा व्यय करने के विरुद्ध हूं। परन्तु जब लोग भूख से मर रहे हों तब इस सभा में और बाहर भी लोग यही कहेंगे कि अनाज को सब चीजों से पहले आयात करो। अतः हमें इन दोनों विचारों में संतुलन रखना पड़ता है।

यह भी कहा गया है कि पी० एल० 480 की तत्सम निधि (काउंटर फंड्स) का सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन इस वर्ष के 11 करोड़ से बढ़ कर अगले वर्ष 191 करोड़ हो जायेगा। और यह भी कहा गया है कि बजट की स्थिति में सुधार इसी कारण हुआ है। सदस्यों को यह भी पता होना चाहिये कि तत्सम निधि का सरकार को ऋण तथा अनुदान देने के लिये भी प्रयोग किया जाता है। यद्यपि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज के आयात से बजट की स्थिति में कुछ सुधार तो होता है, परन्तु यह कहना कि अगले वर्ष के बजट की

स्थिति में इसलिये सुधार हो रहा है क्योंकि पी० एल० 480 के अन्तर्गत हम अधिक अनाज मंगा रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। मैं यहां यह बता दूं कि हम अधिक अनाज सुरक्षित भण्डार बनाने के लिये मंगा रहे हैं।

रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तृत विश्लेषण के बावजूद, श्री दांडेकर का यह विश्वास है कि पी० एल० 480 के समझौते के फलस्वरूप घाटे का बजट बनता है। शायद श्री दांडेकर का रिज़र्व बैंक से अधिक ज्ञान है; परन्तु मुझे रिज़र्व बैंक की बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है और वह ही मेरा परामर्शदाता है।

कई सदस्यों ने राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का निर्देशन किया है। राज्यों के बजट के विश्लेषण से यह पता लगा है कि राज्य सरकारें वर्ष 1965–66 में कुल 75 करोड़ रुपये का घाटा दिखायेंगी। यद्यपि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति से मुझे बहुत चिन्ता हो रही है, फिर भी यह कहना ठीक नहीं कि राज्य सरकारों का यह घाटा राजस्व लेखे में योजना के अतिरिक्त अन्य व्यय में पर्याप्त वृद्धि के कारण हुआ है। घाटे का वास्तविक कारण उनकी योजनाओं का बड़ा आकार है। मैं शीघ्र ही, राज्य सरकारों से उनकी वित्तीय स्थिति जिसमें ऋण लेने का कार्यक्रम भी है, पर पुनः विचार करने के लिये बातचीत करूंगा। जबकि 1961 में राज्य सरकारों पर 2735 करोड़ रुपये का ऋण था, 31 मार्च, 1965 को 4623 करोड़ रुपये का ऋण था। इसमें अधिकतर ऋण केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ है।

कुछ सदस्यों ने राज्यों की अलग अलग समस्याओं का निर्देशन किया है। बिहार में हम ने 2 करोड़ एकड़ भूमि में से 70 से 80 लाख भूमि सिंचाई के योग्य बना दी है। वहां के कृषक भी बहुत मेहनती और साधनयुक्त हैं; फिर भी उत्तर बिहार का पिछड़ापन देख कर हैरानी होती है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के सहयोग से स्थिति में सुधार कर सकेगी। सरकार का यह इरादा भी है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के क्षेत्र में विस्तार। किया जाय बरेली से देहरादून तक एक पार्श्व सड़क पर, जो अमीन गांव तक जायगी, काम शुरू हो गया है। आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर बंगाल तथा आसाम के कुछ सीमावर्ती भागों का इसके फलस्वरूप विकास हो सकेगा।

हम वर्तमान स्थलों से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को भेजने के लिये योजनायें बना रहे हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण एक गलत शब्द है क्योंकि जैसे ही किसी गांव में उद्योग आते हैं वह शहर बन जाता है। हमारा विचार चौथी और पांचवीं योजना में 75 शहर बसाने का है।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, मुझे वहां दो दिन तक रहने का अनुभव है। वहां के लोग मुख्यतः कृष्य आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर हैं। वह लोग अस्पताल, मकान अथवा सड़कें बनवाने की मांग नहीं करते। वह केवल पानी मांगते हैं। मुझे यह भी बताया गया जहां तेल के लिये धरती खोदी गई थी, वहां पानी निकला है। जहां में ठहरा था, वहां हमें 110 मील से पानी लाना पड़ा। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि राजस्थान नहर के बारे में केन्द्रीय सरकार स्वयं कार्य करे। परन्तु महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यदि हम ने नहर को बना कर यूंही छोड़ दिया तो वह अनुपयोगी हो जायेगी। अतः हमें सबसे पहले राजस्थान नहर के विकास के पहलू की ओर ध्यान देना है। हमें आशा है कि हम राजस्थान नहर बोर्ड की भी स्थापना कर लेंगे और अगले 6 या 7 वर्षों में नहर को भी पूरा कर लेंगे।

विकास के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों को दृढ़ता से अंकित नहीं किया जा सकता। केन्द्र तथा राज्यों के बीच अपनी समस्याओं के बारे में कितना ही अन्तर क्यों न हो, हमें इन समस्याओं को समूचे रूप से देखना है और आपसी सूझबूझ से इन को हल करना है। इस बारे में, मैं अपने माननीय मित्र श्री मालवीय से न केवल सहमत ही हूं परन्तु अभारी भी हूं, जिन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि कांग्रस दल अपने देश को सशक्त बनाने के अपने पक्के इरादे में एकता से कार्य करेगा।

कुछ सदस्यों ने भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी कठिन स्थिति का उल्लेख किया है। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विदेशी मुद्रा की स्थिति गम्भीर है। इस स्थिति का कारण अनाज और उर्वरकों का अधिक उत्पादन किया जाना है। यद्यपि निर्यात में वृद्धि हुई है, परन्तु गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम ही निर्यात हुआ है और जो हमारी मांग के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार मार्च, 1964 के अन्त से फरवरी, 1965 के तीसरे सप्ताह की अवधि में रक्षित निधि में लगभग 90 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इतनी भारी कमी से चिन्ता होती है। मुझे हर्ष है कि हाल ही के कुछ सप्ताहों में रक्षित निधि में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु यह सापेक्षता बहुत कम है। इस के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 2000 लाख डालर के ऋण की भी व्यवस्था की गई है जोकि आड़े समय काम आयेगा। सरकार ने विदेशी सहायता के उपयोगीकरण की दर को बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। जैसे माननीय सदस्य जानते हैं, विदेशी सहायता के उपयोग की दर में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती रही है। इस के आंकड़े इस प्रकार हैं: 1961–62 में 251.2 करोड़ रुपये; 1962–63 में 325.3 करोड़ रुपये तथा 1963–64 में 402.3 करोड़ रुपये। इस वर्ष विदेशी सहायता का वितरण लगभग 500 रुपये करोड़ होगा। यह राशि मोटे तौर से प्रत्येक वर्ष मिलने वाली सहायता के बराबर है। हम अब इस अवस्था में पहुंच गये हैं कि हम पूरे उपकरणों की बजाये केवल धातु, सामग्री और पुर्जे ही बाहर से आयात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमें सहायता देने वाले देश हमारी परियोजनाओं से भिन्न मदों के लिये सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं को अधिक अच्छी तरह से समझ रहे हैं। परन्तु विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्या का हल यह है कि हमारी निर्यात आय में वृद्धि हो और आयात कम किया जाये। मैं ने जिन रियायतों की घोषणा की है उससे निर्यात में वृद्धि होनी चाहिये। हम निर्यात के रास्ते में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करना चाहते हैं। इसलिए निर्यात के लिये औद्योगिक उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिये। चीजों की कीमत और श्रेणी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हम विदेशी मण्डियों में इन का मुकाबला कर सकें।

विदेशी पूंजी के विनियोजन के बारे में कुछ सदस्यों ने जो शंका प्रकट की है वह यद्यपि सद्-भाव पर आधारित है परन्तु यह बिल्कुल निराधार है। मैं तो चाहता हूं कि यहां पर उतनी विदेशी पूंजी लगाई जाये जितनी हमें इसकी आवश्यकता है। परन्तु इतनी मिलती कहां है। यह कहना सही नहीं है कि इससे हम दूसरे देशों के गुलाम हो जायेंगे। ऐसी शर्तों को हम मानें ही नहीं, जो हमें गुलाम बनाने वाली होंगी। साम्यवादी दल के एक सदस्य ने 98 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है जो लाभों के रूप में बाहर जा रहा है। मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये ऋण पर ब्याज का बहुत बड़ा भाग भी सम्मलित है। लाभ तथा लाभांश के रूप में गई राशि तो इसका केवल एक चौथाई होगा। माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि विदेशी पूंजी चाहने वाले बहुत देश हैं और वह हमारे से भी अधिक आकर्षक शर्तों की पेशकश करते हैं। मैं इस प्रश्न के गुणदोष में नहीं जाना चाहता कि विदेशी पूंजी का भविष्य में हमारी प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस देश में विदेशी मुद्रा लगाये जाने के बारे में मेरा कोई निहित

स्वार्थ नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र इस बात के प्रतिकूल राय रखते हैं तो उन्हें इसे बदल देना चाहिए। मैं इस बारे में हार मानने के लिये तैयार नहीं हूं। विदेशी पूंजी अवश्य आयेगी परन्तु आयेगी हमारी अपनी शर्तों पर। पेंच और ढिबरियां बनाने के लिये विदेशी पूंजी के लिये नहीं कहा जायेगा। यदि पहले कुछ ऐसे कारखाने हैं भी तो उन्हें भी लाभ कमाने के लिये अन्य तरीके ढूंढने होंगे। मुझे अगले दिन लुधियाने जाने का अवसर मिला। वहां पर मैंने 40 दुकानें देखीं। वे सब चीजें बना सकते हैं परन्तु उनमें वह गुण नहीं जोकि होने चाहिएं और दूसरे उन पर लागत भी अधिक आती है। हम जो मशीनी औजार बना रहे हैं वह केवल इलेक्ट्रीकल औज़ार हैं। इलेक्ट्रानीय मशीनी औजार अभी हम नहीं बना पाये हैं। हमें इस बारे में कुछ लोगों की आवश्यकत है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भारतीय हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका में इलेक्ट्रानीय सार्थों में कार्य कर रहे हैं। हमें उन्हें वापस बुलाना पड़ेगा और उन्हें उतना वेतन देना पड़ेगा जितना वे चाहतें हैं। एक सदस्य ने कहा कि उन्हें एक-एक हजार रुपये प्रति मास दिये जाये। परन्तु उन्हें तो वहां पर इतने एक सप्ताह अथवा एक सप्ताह से भी थोड़े दिनों के लिये मिलता है। चिकित्सक भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें अधिक वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हम विदेशी तकनीशनों की सहायता के बिना काम कर सकते हैं। परन्तु हमें यह पहले फैसला कर लेना चाहिये कि हम मितव्ययता चाहते हैं अथवा विकास तेजी से करना चाहते हैं।

यदि फूलपुर से निर्वाचित महिला सदस्य ने मेरे आयव्ययक सम्बन्धी भाषण को पढ़ा होता तो वह भी यह महसूस करती कि लेखाबाह्य धन के बारे में ऐसा रास्ता अपनाने में मेरे दिमाग में भी हिचकिचाहट की भावना थी। परन्तु किया भी क्या जाये। हमें छिपे हुए धन को किसी न किसी प्रकार निकालना है। यदि इस में कुछ हमें हानि उठानी क्यों न पड़े। जब किसी व्यक्ति के पास छिपा धन है और निकालना चाहता है तो इस बारे में आय-कर अधिनियम के धारा संख्या 60 (अब शायद धारा संख्या 89) के अन्तर्गत इस पर जो आयकर लिया जाता है वह पिछले 10 अथवा 12 वर्षों से गिना जाता है और इस प्रकार भी शायद वह 60 प्रतिशत से अधिक राशि कर के रूप में नहीं देता होगा। हम यह भी नहीं चाहते कि आयकर अधिकारियों को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाये जिससे उनकी बदनामी हो और उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जायें। हो सकता है सरकार को इस तरीके से छिपे धन को बाहर निकालने में सफलता न मिले। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार अपना कार्य धीरे-धीरे करती है परन्तु करती अवश्य है और मेरा विचार है कि हम इस राशि को चाहे वह 2 करोड़, 3 करोड़ अथवा 5 करोड़ रुपये है, निकालने में सफल हो जायेंगे।

कुछ सदस्यों ने कुछ व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख किया है, क्योंकि हमारी एक विचित्र स्थिति हैं। एक बार मेरा ध्यान एक विशेष मामले की ओर दिलाया गया। मैंने संगत कागजों को मंगा कर देखा तो मुझे पता लगा कि उस मामले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर थे। मैंने उस की एक फोटो स्टैट प्रतिलिपि अध्यक्ष महोदय के पास भिजवाई और मैंने माननीय सदस्य को कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा उसे वापस लें परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है कि मैं जो कुछ करता हूं वह सब दक्षिण में अपने मित्रों के लिये करता हूं। मैंने अपने विभाग से पता किया कि मैंने ऐसा क्या किया है। इस में सन्देह नहीं कि सभी लोगों को समय-समय पर इस विभाग से व्यवहार करना पड़ता है चाहे वे मेरे दोस्त हों अथवा शत्रु और चाहे वे मेरे न ही दोस्त हों और न ही शत्रु। 1957 में भी एक ऐसा हवाला दिया गया था इसका सम्बन्ध सर्वश्री टी० वी० सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्ज के बारे में था। मुझे यह बताया गया कि वे कई वर्ष दण्ड रूप में हर्जाना देते रहे और 1962–63 में न्यायालय में गये और अधिकरण ने उनके हक में फैसला दिया। मुझे नहीं पता कि मैं जब वित्त

मंत्री बना तो मैंने इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिये विभाग को कहा था। मुझे तो इस पक्ष का शायद पता भी नहीं था। कुछ भी हो जब एक कानून का प्रतिकूल अर्थ निकाला जाता है तो हम अपील करने के लिये कहते हैं। मैं यह भी बता दूं कि अब तक जितने संशोधन किये गये हैं यह इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं ने विभाग को कह रखा है कि वे मुझे ऐसे सभी मामले दिखाया करें जिनमें वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने ठीक निर्णय दिया है तो उस दशा में हम अपील नहीं करते क्योंकि उसमें अनावश्यक अपव्यय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं और इस बीच में उस पक्ष की भी मृत्यु हो जाती है। मैंने 50 प्रतिशत मामलों में, जिनमें एक सिद्धान्त के निर्वचन से अधिक हानि न होने की सम्भावना थी, अपील न करने के लिये कहा था। ऐसा किसी विशेष पक्ष के हित अथवा अनहित की दृष्टि से नहीं किया गया। एक माननीय सदस्य ने बताया कि कानून तो ठीक है परन्तु आयकर अधिकारियों द्वारा बनाये गये नियम गलत हैं। मैंने कुछ ऐसे नियम देखे हैं, जो कि शायद अनवधानता से बनाये गये हैं, वह गलत हैं। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ हमने किया है उससे किसी को लाभ नहीं हुआ है। एक रियायत जो उक्त सार्थ को दी गई थी उसका उन्होंने लाभ ही नहीं उठाया क्यों कि वह तो उनके लिये नाममात्र ही था। दूसरी बात बर्ड एण्ड कं० के बारे में कही गई है। हमने किसी अपराधी को नहीं छोड़ा। कार्यवाही की गई, परन्तु उन्होंने इस कार्यवाही का न्यायालय में जाकर प्रतिरोध किया। परन्तु किसी को दण्ड से बचने के लिये देश से भागने नहीं दिया गया।

मेरे माननीय मित्र ने रामनाथ गोयन्का जो न्यू जूट मिल्स के मालिक हैं का जिक्र किया और बताया कि वह मेरे मित्र हैं। उन्होंने बताया कि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने उनके कहने पर जांच की और पाया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिस के आधार पर कोई कार्यवाही की जा सके।

एक मेरे मित्र ने टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी के बारे में यह कहा कि अंग्रेजों के जमाने में इसकी पूंजी 20 लाख से 30 लाख रुपये थी परन्तु अब उसकी पूंजी 4 करोड़ रुपये हो गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कम्पनी के मालिक मेरे लड़के हैं और मैं तो अब राजनीति में हूं और जानता नहीं कि मेरे लड़कों की इस समय क्या हस्ती है।

मैं समझता हूं कि इस सभा में ऐसी एक प्रथा हो गयी है कि जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं उनके विरुद्ध कहा जाये। मेरा अनुरोध है कि यह एक अच्छी प्रथा होगी कि सभा के अन्दर जो उपस्थित न हो उसके बारे में कुछ न कहा जाये। यदि मंत्रियों के विरुद्ध कुछ कहा जाता है तो वह उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित रहते हैं और ऐसा होना उचित है।

यद्यपि मेरा समय समाप्त हो गया है परतु मैं कुछ बातें अवश्य कहना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री मसानी ने मुझे एक पत्र लिखा था कि भविष्य निधि, बीमा किस्त आदि के नये उपबन्ध से करों में जो सहायता दी गयी है वह कम हो जायेगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने इस प्रकार कराधान को सरल बनाया है। उदाहरणतः यदि रकमों पर 60 प्रतिशत नियत कर दिये जायें तो जिनके पास अधिक धन है अथवा जो ऊंचे स्तर पर आते हैं उनको लाभ होगा तथा नीचे स्तर वालों को नुकसान होगा। जैसे 16,000 रुपये पाने वाले सभी व्यक्तियों को 36.25 रुपये अधिक देने होंगे, 10,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को भी इतने ही रुपये देने होंगे जब कि 20,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को 48 रुपये की बचत करनी होगी और 21,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को 43 रुपये का घाटा होगा और 22,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को 54 रुपये का घाटा होगा

जब कि 23,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को 15 रुपये का घाटा होगा। इसीलिए अब यह व्यवस्था करने का विचार है कि पहले 5,000 रुपये पर 60 प्रतिशत तथा बाद की राशि पर 50 रुपये की व्यवस्था करने का विचार है। मैंने इन नये उपबन्धों को अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था परन्तु इनकी व्यवस्था वित्त विधेयक में नहीं की थी। मैं इस गड़बड़ी को दूर कर रहा हूं।

कई वक्ताओं ने शंका प्रकट की कि निर्यात बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने आदि के लिए जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, उनसे सरकार निरंकुश हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ ग़लतफहमी है। उदाहरणतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की पहली अनुसूची में बताई गई वस्तुओं को बनाने वाली सभी कम्पनियों द्वारा कम्पनियों को देय अतिरिक्त निगम-कर के कर-ऋण प्रमाण-पत्र खरीदने की रियायत दी गई है। इसमें सरकार किसी कम्पनी को इससे मुक्त नहीं कर सकती है और निरंकुशता का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं बताना चाहता हूं कि इससे अवश्य उत्पादन बढ़ेगा तथा अब तक लगी हुई पूंजी का अच्छा तथा उचित उपयोग हो सकेगा। मैं स्पष्टतः बताना चाहता हूं कि जितनी राशि के कर ऋण प्रमाणपत्र खरीदे जायेंगे उस पर आय कर नहीं नहीं लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी समझना चाहिए कि उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं वह प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग होते हैं। मैं वित्त विधेयक पर चर्चा के समय इनको और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा।

वित्त विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि एक कम्पनी में, जहां अंश पूंजी का भाग होते हैं, अंश पूंजी पर पांच वर्ष तक सम्पत्ति कर नहीं लिया जायेगा। परन्तु यह व्यवस्था ऐसे अंशों के लिए है जिनके लिए 28 फरवरी, 1965 तक पूरा धन कम्पनी में आ गया हो। यह कहा गया कि 1964-65 में जिन अंशों का धन कम्पनी में आ गया हो उन पर भी यह कर नहीं लिया जाना चाहिए। इन अभ्यावेदनों के आधार पर मेरा विचार वित्त विधेयक में कुछ संशोधन करने का है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि अधिक सूद पर छोटे बचत प्रमाणपत्रों की नई सीरीज़ चालू की जायेंगी। मैंने यह भी कहा था कि इन प्रमाण-पत्रों पर लगे सूद पर भी कर देना होगा। नये प्रमाणपत्र 'नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (फर्स्ट इश्यू)' जून, 1965 से सभी डाकखानों में मिलने लगेंगे। जिन लोगों ने नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं वह इनको नये सर्टिफिकेटों में बदल सकते हैं। नये सर्टिफिकेटों की दस वर्ष की अवधि होगी और दस वर्ष बाद 100 रुपये के 180 रुपये मिलेंगे। एक आदमी 25,000 रुपये तक के प्रमाणपत्र तथा संयुक्त कम्पनी 50,000 रुपये तक के प्रमाणपत्र खरीद सकते हैं। इनको दो वर्ष के बाद भुनाया जा सकता है। इनको मनोनीत, हस्तांतरित आदि भी किया जा सकेगा। इन पर जो सूद मिलेगा उस पर आय कर लगेगा।

डाकखाना बचत बैंक तथा टाइम डिपोजिट एकाउन्ट की भी सूद की दरें बढ़ा दी गयी हैं। 1 अप्रैल, 1965 से डाकखाना बचत बैंक की सूद की दर 4 प्रतिशत कर दी गयी है। क्यूम्यू-लोटिव टाइम डिपोजिट एकाउन्ट, जो 1 अप्रैल, 1965 को अथवा उसके बाद खोला गया हो, पर जो धन मिलने वाला है उसके अतिरिक्त पांच वर्ष बाद 15 रुपये, 10 वर्ष बाद 50 रुपये तथा 15 वर्ष बाद 100 रुपये मिलेंगे। इन पर मिलने वाले बोनस पर कर नहीं लगेगा। इन सभी उपबन्धों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

मैं बता चुका हूं कि नये छोटे बचत प्रमाणपत्रों को अर्जित आय माना जायेगा। इसी बारे में मुझे अभ्यावेदन मिले हैं कि सरकार द्वारा चालू की गयी संस्थानों, जैसे यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया

में विनियोजित आय को भी अर्जित आय समझा जाना चाहिए । हम इन अभ्यावेदनों पर विचार कर रहे हैं और वित्त विधेयक में उचित परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं ।

अन्त में मैं अपने माननीय मित्रों से एक बात कहना चाहूंगा कि क्रोध में भड़क जाने पर अथवा किसी नीति के बारे में मतभेद होने पर हमें कोई ऐसी बात नहीं कह देनी चाहिए जिससे बाद में पछतावा हो । हम भी मनुष्य हैं और ग़लती मनुष्यों से ही होती है । संभव है इस बजट में भी मैंने कुछ ग़लतियां की हों परन्तु इतना मैं अवश्य जानता हूं कि महान् नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो सिद्धान्त हमें बताये हैं उन्हीं के आधार पर मैंने यह बजट पेश किया है । मैं समझता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारा देश फले फूलेगा ।

लेखानुदानों की मांगें 1965-66

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1965-66

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands for Grants on Account for the Year 1965-66 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	असैनिक उड्डयन मंत्रालय	2,38,000
2	ऋतु विज्ञान	50,15,000
3	उड्डयन	1,13,33,000
4	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,35,000
5	वाणिज्य मंत्रालय	6,68,000
6	विदेशी व्यापार	1,81,60,000
7	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	81,86,000
8	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	5,44,000
9	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सहकारिता	84,59,000
10	प्रतिरक्षा मंत्रालय	11,38,000
11	रक्षा सेवाएं—सक्रिय सेना	97,79,55,000
12	रक्षा सेवाएं—सक्रिय नौसेना	4,18,46,000
13	रक्षा सेवाएं—सक्रिय वायु सेना	26,23,00,000
14	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	3,57,85,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	शिक्षा मंत्रालय	15,21,000
16	शिक्षा	7,45,17,000
17	पुरातत्व	20,33,000
18	भारतीय सर्वेक्षण	71,76,000
19	वनस्पति सर्वेक्षण	5,51,000
20	जन्तु सर्वेक्षण	4,84,000
21	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,79,50,000
22	आदिम जाति क्षेत्र	2,69,61,000
23	वैदेशिक-कार्य	3,13,87,000
24	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,44,23,000
25	वित्त मंत्रालय	41,02,000
26	सीमा शुल्क	83,58,000
27	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	2,07,39,000
28	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	1,57,41,000
29	स्टाम्प	59,17,000
30	लेखा-परीक्षा	2,66,89,000
31	मुद्रा और सिक्का-ढलाई	1,50,32,000
32	टकसाल	48,11,000
33	कोलार की सोने की खानें	78,67,000
34	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,47,14,000
35	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	3,64,000
36	अफीम	2,51,64,000
37	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व यय	11,84,82,000
38	आयोजना आयोग	25,58,000
39	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	42,71,30,000
40	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	6,82,000
41	विभाजन पूर्व की अदागियां	55,000
42	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	16,08,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
43	कृषि . .	69,62,000
44	कृषि सम्बन्धी गवेषणा . .	1,08,66,000
45	पशुपालन . .	21,49,000
46	वन	24,35,000
47	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	5,87,43,000
48	स्वास्थ्य मंत्रालय	4,20,000
49	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	2,69,02,000
50	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	16,79,000
51	गृह-कार्य मंत्रालय	80,87,000
52	मंत्रिमण्डल	8,80,000
53	क्षेत्रीय परिषदें	22,000
54	न्याय प्रशासन	54,000
55	पुलिस	3,00,03,000
56	जनगणना	23,01,000
57	अंक संकलन	44,07,000
58	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते . .	28,000
59	दिल्ली	3,95,69,000
60	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह . . .	62,48,000
61	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र . . .	4,24,000
62	लक्षदीवी, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	9,64,000
63	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	58,54,000
64	उद्योग और संभरण मंत्रालय . . .	17,43,000
65	उद्योग	81,28,000
66	नमक	10,15,000
67	संभरण और निपटान	62,69,000
68	उद्योग और संभरण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	7,50,000
69	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	2,96,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
70	प्रसारण	1,07,75,000
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	82,46,000
72	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	5,09,000
73	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं	35,06,000
74	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,56,95,000
75	श्रम और रोजगार मंत्रालय	5,00,000
76	खानों का मुख्य निरीक्षक	6,82,000
77	श्रम और रोजगार	2,24,87,000
78	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,66,000
79	विधि मंत्रालय	8,35,000
80	निर्वाचन	17,10,000
81	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	33,000
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	3,03,000
83	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,13,11,000
84	पुनर्वास मंत्रालय	6,44,000
85	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,86,17,000
86	इस्पात और खान मंत्रालय	9,06,000
87	भूगर्भ सर्वेक्षण	64,56,000
88	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,48,25,000
89	परिवहन मंत्रालय	19,11,000
90	केन्द्रीय सड़क निधि	73,52,000
91	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	1,89,85,000
92	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	25,38,000
93	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	19,43,000
94	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	50,13,000
95	निर्माण और आवास मंत्रालय	4,26,000
96	लोक निर्माण-कार्य	6,46,49,000
97	लेखन-सामग्री और छपाई	2,40,39,000
98	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	17,70,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
99	अणु शक्ति विभाग	4,53,000
100	परमाणु शक्ति गवेषणा	1,87,67,000
101	संचार विभाग	1,97,000
102	समुद्रपारीय संचार सेवा	28,89,000
103	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय)	23,39,04,000
104	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधि में विनियोग	1,72,59,000
105	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	4,53,000
106	संसद कार्य विभाग	76,000
107	सामाजिक सुरक्षा विभाग	2,72,000
108	सामाजिक सुरक्षा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,28,19,000
109	लोक सभा	20,97,000
110	लोक सभा का अन्य राजस्व व्यय	43,000
111	राज्य सभा	9,33,000
112	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	40,000
113	असैनिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	1,04,01,000
114	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,000
115	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	13,22,000
	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय:	
116	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,83,000
117	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	21,75,83,000
118	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,00,93,000
119	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	25,00,000
120	इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	1,29,000
121	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	1,19,65,000
122	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	2,16,000
123	कोलार की सोने की खानों का पूंजी परिव्यय	12,42,000
124	पशनों का राशीकृत मूल्य	27,16,000
125	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	14,05,33,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
126	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य क्षे ों की सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . .	8,52,08,000
127	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	71,74,68,000
128	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	31,000
129	अन्न की खरीद . .	1,15,24,00,000
130	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	20,45,95,000
131	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,64,27,000
132	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	14,54,000
133	उद्योग और संभरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	10,81,92,000
134	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	31,68,000
135	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	4,25,51,000
136	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,71,35,000
137	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	97,000
138	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	5,32,28,000
139	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,83,84,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,55,31,000
141	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	11,07,38,000
142	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय .	1,50,05,000
143	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	63,55,000
144	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,16,05,000
145	दिल्ली पूंजी परिव्यय .	3,39,07,000
146	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	23,37,000
147	अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	5,50,00,000
148	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (जो राजस्व से नहीं किया गया)	9,01,83,000
149	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय .	5,86,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६५

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1965–66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्त यह है :

'कि वित्तीय वर्ष 1965-66 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 से 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 1 to 3 the Schedule the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक के बारे में

RE: INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री मि०ना० सिंह) : मैं ने तीन दिन पहले यह अनुरोध किया था कि (उद्योग विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, लोक सभा में विचार किया जाये । कुछ कारणों से इसको कार्यसूची में नहीं रखा जा सका परन्तु इसको पारित करना इसलिए नितांत आवश्यक था क्योंकि इस अधिनियम की अवधि समाप्त हो रही थी; और संशोधन विधेयक के द्वारा ही इसकी अवधि बढाई जा सकती थी, अत: मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इस पर कल विचार करने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : इसको कल की कार्यसूची में रखा जाये । कल जब यह विधेयक आयेगा तभी इस बात पर भी विचार कर लिया जायेगा ।

केरल आय-व्ययक---सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (केरल) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1964-65--जारी

GENERAL BUDGET (KERALA)—GENERAL DISCUSSION; DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (KERALA) SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA) 1964-65—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब केरल से संबंधित आय-व्ययक, लेखानुदानों की मांगों तथा अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी ।

Shri Bade (Khargone) : This is very unfortunate that even after three elections these are being discussed in this house. I feel that we should have given an opportunity to left communists to form a Government in Kerala and if they would have failed then there should have been a proclamation by the President. But our Central Government do not want that any other party should form a Government in any state except Congress Party. . Therefore they have not given that opportunity which was necessary in a democratic country.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

We are being told often that in whole of Asia ours is the country which is fully democratic. But if we look to ourselves we find that all the democratic

principles are being violated in our country and the responsibility for this comes to the Congress. Firstly they should have faced the Communists and given an opportunity to form a Government.

Yesterday, Shrimati Vijay Laxmi Pandit said here that left Communists are traitors as they want Chinese here. I ask the Government why this party should not be proclaimed illegal. Why Chinese Embassy is allowed to function here. We should have severed our Diplomatic relations with China, when they invaded our country. But we have not done that and say now and then that China is our enemy. I have nothing to say in regard to Demands. We should pass then. I support these demands.

श्री कैप्पन (मुत्रात्तुपुजा) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं परन्तु यह मुझको एक दुकानदार का बहीखाता लगता है ।

Shri Hukam Chand Kachhaviya (Dewas) : Sir there is no quoram in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है । पांच मिनट हो गये । कोरम नहीं हुआ । अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 26 मार्च, 1965/5 चैत्र, 1887 (शक) तक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, March 26, 1965/Chaitra 5, 1887 (Saka).

———

GMGIPND—LSIII—643(Ai)LS—14-7-65—600.